खण्ड-314, अंक-6
शुक्रवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1896
(21 मार्च, 1975 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1975

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

**शुक्रवार, 21 मार्च, 1975**

---

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

**उपस्थित सदस्य--375**

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट)
उर्फ जिमी मियां,
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री

कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीन नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री

प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्न लाल द्विवेदी, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुहम्मद अमरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद मकीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद अमलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री

रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रमाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रमाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
राम रती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला वस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री

शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

---

## प्रश्नोत्तर

**शुक्रवार, 21 मार्च, 1975**

### अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

**सत्यनामी विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाराबंकी के अध्यापकों द्वारा अनशन**

**1—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20 फरवरी, 1975 से हायर सेकेन्डरी स्कूल, शुक्लापुर, जिला बाराबंकी के अध्यापकों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन प्रारम्भ किया? यदि हां, तो अनशन-कारियों की मांगें क्या हैं तथा शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की?

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हां। सत्यनामी विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शुक्लापुर, जिला बाराबंकी के एक अध्यापक, श्री रघुबीर सिंह सिन्हा ने दिनांक 20 फरवरी, 1975 तथा दूसरे अध्यापक, श्री राम धैर्य यादव ने दिनांक 21 फरवरी, 1975 से अनशन प्रारम्भ किया।

उनकी मांगों तथा उस पर की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

श्री सिन्हा ने अपना अनशन दिनांक 12 मार्च, 1975 से और श्री यादव ने दिनांक 6 मार्च, 1975 से समाप्त कर दिया है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 719 पर।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, बराबर यह अध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रयास करते रहे कि 1969, 1972, 1973 का पुनरीक्षित वेतनमान कर दिया जाय लेकिन नहीं किया गया। 22 दिनों तक इन्होंने अनशन किया तब कहीं जाकर यह माना गया। लेकिन प्रावीडेन्ट फन्ड सम्बन्धी मांग अभी भी नहीं मानी गयी है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनका पुनरीक्षित वेतन-मान पहले से ही क्यों नहीं कर दिया गया, जिसके कारण इनको अनशन पर बैठना पड़ा और जिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और जो दोषी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो इससे सम्बन्धित कागजात थे, वह प्रबन्धक समिति से नहीं मिल सके। इसी तरह से प्रावीडेन्ड फन्ड के कागजात भी नहीं मिल पाए। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, छानबीन के बाद जो भी अधिकारी दोषी पाए जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि जहां तक भविष्य निधि सम्बन्धी इनकी मांग का सवाल है, तो इसमें सारा दोष प्रबन्धक कमेटी का है। उसने इस सम्बन्ध म अभी तक कोई प्रस्ताव भी पास नहीं किया है। क्या मन्त्री जी प्रबन्धक समिति के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रबन्धक कमेटी को लिखा जाएगा कि तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जब यह लोग भूख हड़ताल पर बैठे तो इन्होंने 15 दिन का नोटिस दिया। जैसा कि मन्त्री जी ने उत्तर दिया, यह मांगें मानी भी गयीं, अंशत : मानी गयी, लेकिन 12-13 दिन गुजर जाने के बाद मानी गयीं। इसका मतलब है कि इनकी मांगें जायज थीं। अगर मांगें जायज थीं, तो नोटिस देने पर ही क्यों नहीं मानी गयीं, और भूख हड़ताल पर इन अध्यापकों के बैठने की नौबत क्यों आयी ? क्या मन्त्री जी इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक मांगों का सम्बन्ध है, वह सही थीं और अगर सही न होतीं तो मानी ही क्यों जातीं। इसमें शक नहीं कि जिस वक्त उन्होंने नोटिस दिया तो शासन का ध्यान आकर्षित हुआ। तुरन्त कार्यवाही की गयी लेकिन उसमें कुछ समय लगता है और इसलिए थोड़ी सी देर हुई। लेकिन जल्द ही कार्यवाही की गयी और इसी का नतीजा है कि उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। दूसरी मांग, प्रावीडेन्ट फन्ड के बारे में है, उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इन अध्यापकों ने 22 दिन तक अनशन किया और इसमें किसी की मौत भी हो सकती थी। बड़ी गैरजिम्मेदारी और उपेक्षा का व्यवहार जिला अधिकारियों ने उनके प्रति रखा। मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि जब कि उनकी मांगें जेनुइन थीं, उनके प्रति वहां के अधिकारियों ने जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया इसके लिए उन अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है इसको दिखला लेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

**अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की सूचना**

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रश्नों के बारे में आपको यह सूचना दे दूं कि यह तय हुआ है कि प्रश्नकर्ता को 3 प्रश्न तथा अन्य माननीय सदस्य जो प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं, उनको दो-एक प्रश्न करने दिया जाय ताकि सही स्थिति का ज्ञान हो सके और क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों के प्रश्न आ नहीं पाते उनको भी अवसर मिल सके। मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं।

**प्रश्नोत्तर (क्रमागत)**

**फर्रुखाबाद जिले में आलू की कीमतों में मन्दी**

**2--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद जो आलू उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी है, की मन्डी में विभिन्न प्रकार के आलू की कीमतों में भयंकर मन्दी आ गई है ? जिसके कारण आलू उत्पादक कृषकों में घोर असन्तोष एवं चिन्ता व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार, इस मन्दी के क्या कारण हैं तथा आलू उत्पादकों को इस भयंकर आर्थिक क्षति से बचाने के लिए अविलम्ब क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

जी हां, फर्रुखाबाद जनपद में इस समय आलू के बाजार भाव में मन्दी आ गई है। बाजार भाव में मन्दी आने का कारण आलू का अधिक उत्पादन है। इस मन्दी को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं :--

(1) फर्रुखाबाद जनपद से अधिक से अधिक मात्रा में रेल द्वारा आलू अन्य प्रदेशों को भेजने के लिए प्रचुर मात्रा में रेल के खाली डिब्बे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) प्रदेश के उन सभी शीतगृहों को जो राज्य विद्युत् परिषद् के सब-स्टेशन से सीधी फीडर लाइन से जुड़े हैं, 18 घन्टे प्रतिदिन विद्युत् उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा दी गयी हैं। उन शीतगृहों को जो सीधी फीडर लाइन पर नहीं हैं, सीधी फीडर लाइन लगवाने में प्राथमिकता देने का प्रबन्ध करा दिया गया है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में आलू का भन्डारण हो सके।

(3) भारतीय खाद्य निगम द्वारा फर्रुखाबाद मन्डी से आलू क्रय करने का प्रयास किया जा रहा है।

(4) विदेशों को आलू निर्यात कराने की सम्भावनाओं पर तेजी से विचार किया जा रहा है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि फर्रुखाबाद के बाजार में आलू के भाव में मन्दी आ गई है, बल्कि वास्तविकता यह है कि भयंकर मन्दी आई है। आज जब कि लागत 40 रुपया क्विन्टल पड़ रही है, आलू 19 या 20 रुपये बिक रहा है। पिछले साल जब कि खाद की बोरी का दाम 56 रुपया था और आज जब कि 107 रुपये खाद की बोरी का दाम है, आलू 19-20 में है जो कि भूसे के दाम से भी कम बिक रहा है। इस समय भूसा 30 रुपये क्विन्टल है ....

श्री अध्यक्ष—

आप तो बयान दे रहे हैं, प्रश्न करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि, जैसा उन्होंने कहा कि रेलवे वैगन की समुचित व्यवस्था की जा रही है, कि कितने एम्पटी वैगन्स इस साल और उसके मुकाबले में 1973 में कितने सप्लाई हुए, जब कि इस वर्ष बम्पर क्राप हुई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, सन् 1973-74 के मार्च के महीने में 1762 वैगन्स सप्लाई किये थे। इस वर्ष अकेले मार्च के महीने में 19 मार्च तक 445 तो बड़ी लाइन पर अकेले फर्रुखाबाद मेन रेलवे स्टेशन पर सप्लाई किये जा चुके हैं, और जिले के दूसरे स्टेशन्स पर 19 मार्च तक 889 रेलवे वैगन्स सप्लाई किए जा चुके हैं। चूंकि फर्रुखाबाद में बड़ी और छोटी दोनों रेलवे लाइन्स हैं, इसलिए दोनों का बताना उचित होगा। छोटी रेलवे पर 1408 रेलवे वैगन्स सप्लाई किए जा चुके हैं। मान्यवर, इसी तरह से अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहें कि फरवरी में कितनी वैगन्स सप्लाई किए जा चुके हैं, तो इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि बड़ी लाइन पर 677 वैगन्स और छोटी लाइन पर 1706 वैगन्स सप्लाई किए जा चुके हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मेरी जानकारी यह है कि सन् 1973–74 के मुकाबले इस साल रेलवे वैगन्स का अलाटमेन्ट कम हुआ है और उसकी तुलना में स्थिति सही नहीं आई है, उसको भी माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मार्च के महीने में पिछले साल 1762 वैगन्स सप्लाई हुए थे। 1972–73 में 1976 वैगन्स सप्लाई हुए थे, इसी तरह से 1970–71 में 1884, 1971–72 में 1757, 1972–73 में 1976 तथा 1973–74 में 1762 वैगन्स सप्लाई हुए थे। जहां तक इस वर्ष 19 मार्च तक वैगन्स सप्लाई की बात है, उसके फीगर्स मैं दे ही चुका हूं। मैं इतना और बतलाना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर, इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप उनको और मौका दे देंगे तो मैं सबका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

सब को मौका देने को आप तैयार हैं, तो क्या इसको चर्चा का विषय बना दिया जाय ?

(कई सदस्य खड़े हो गये और कहने लगे कि हां इसे चर्चा का विषय बना दें।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। इस पर नोटिस देना होगा और इस पर चर्चा हो जाएगी।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

### लखनऊ के भूतपूर्व तहसीलदार, श्री मुजम्मिल हसन के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*1--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन), श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर), श्री झाम लाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद), श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच), श्री सोहन लाल (जिला बदायूं) तथा श्री राम लखन--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील लखनऊ में तैनात दो नायब तहसीलदारों के विरुद्ध लाखों रुपये के गबन और भ्रष्टाचार की जांच खुफिया विभाग द्वारा पिछले नवम्बर, 1974 से की जा रही है और क्या खुफिया विभाग के अधिकारियों ने माह दिसम्बर, 1974 में शासन से यह सिफारिश की थी कि वह दोनों जांच में अनावश्यक प्रभाव डलवा रहे हैं, उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय? यदि हां, तो क्या यह सही नहीं कि वह दोनों अब भी उसी पूर्व स्थान पर काम कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच होने में बाधा पहुंचा रहे हैं? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)--

जी नहीं, किन्तु एक भूतपूर्व तहसीलदार, सदर लखनऊ के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है। शासन से ऐसी सिफारिश नहीं की गयी है कि लखनऊ में तैनात दो नायब तहसीलदार जांच में अनावश्यक प्रभाव डलवा रहे हैं या निष्पक्ष जांच में बाधा पहुंचा रहे हैं किन्तु जांच के हित में दो नायब तहसीलदारों को भी अन्यत्र स्थानान्तरित करने की संस्तुति की गयी थी। उनके स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

डाक्टर मलखान सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके स्थानान्तरण के आदेश कब जारी किये गये हैं, और उनको अब तक रिलीव क्यों नहीं किया गया, और कब तक रिलीव कर दिया जायगा? यह भी बतलाने की कृपा की जाए कि ये कौन से दो नायब तहसीलदार हैं?

श्री प्रभु नारायण--

राजस्व विभाग ने दिनांक 25 नवम्बर, 1974 को आदेश जारी कर दिए थे और इन नायब तहसीलदारों का नाम है, भारत सिंह तथा शम्भू शरण श्रीवास्तव और लखनऊ के बाहर ट्रान्सफर के लिए आदेश जारी किए गए थे। राजस्व विभाग ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1974 को आदेश कर दिए कि रुहेलखंड मण्डल में इनका स्थानान्तरण कर दिया जाए, लेकिन चूंकि वसूली का कार्य चल रहा था, इसलिए जिलाधीश, लखनऊ ने इस बात की सिफारिश की कि वसूली पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए इन दोनों को 31 मार्च तक स्थानान्तरण न किया जाय और शासन के सामने यह बात विचाराधीन है कि 31 मार्च के बाद इनको स्थानान्तरित कर दिया जायगा।

डाक्टर मलखान सिंह--

खुफिया विभाग ने जांच के दौरान क्या इसको प्राइमाफेसाई ठीक पा कर इस बात की सिफारिश की है, कि कौन-कौन से लोग दोषी हैं और उनमें से अब भी कितने लोग ऐसे हैं, जो अब भी लखनऊ में किसी न किसी पद पर कार्य कर रहे हैं?

श्री प्रभु नारायण--

पहली बात तो यह है कि खुफिया विभाग के द्वारा इसकी जांच नहीं हुई बल्कि विजिलेंस के जरिए से इसकी जांच कराई जा रही है।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसकी जांच सतर्कता आयोग से करायी जा रही है, उसमें नायब तहसीलदार, वीरेन्द्र कुमार गुप्ता भी हैं ?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, यह जांच केवल जो भूतपूर्व तहसीलदार हैं जो दिनांक 6 फरवरी, 1970 से दिनांक 24 अप्रैल, 1972 तक रहे, इनका नाम मुजम्मिल हसन है, के बारे में जांच हो रही है। ये रिटायर हो गए हैं। और किसी के बारे में जांच नहीं हो रही है।

डाक्टर मलखान सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस केस में केवल एक तहसीलदार जो रिटायर हो चुके हैं, ही केवल दोषी हैं ? मेरी जानकारी है कि जब 1971 में बाढ़ रिलीफ में 65 लाख रुपया अनुदान का बांटा जाना था, उसमें कई लोग दोषी पाए गए थे और उसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान को दी गई थी। उनके आप नाम बतायें ?

श्री प्रभु नारायण--

जांच तो अभी चल रही है। जब तक जांच पूरी न हो जाय तब तक यह बताना सम्भव न होगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

## मेरठ जिले की मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड द्वारा गांव बिसोखर की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*1--श्री राजपाल (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोदी परिवार ने मोदीनगर के समीप स्थित ग्राम बिसोखर, जिला मेरठ की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है ? यदि हां, तो इस अवैध कब्जे को हटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण--

मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, मोदीनगर, का गांव बिसोखर की 15 बीघा 9 विस्वा भूमि पर अनधिकृत कब्जा है जिसे हटाने के लिए वैधानिक कार्यवाही की गई है। यह मामला राजस्व परिषद् के न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष--

यह न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री राजपाल--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह अवैधानिक कब्जा हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने कहा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि अवैध कब्जा कब किया गया और उसको हटाने की कार्यवाही कब शुरू की गई ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, यह जमीन गांव समाज की है और उसने 1961 में इलाहाबाद में इस सम्बन्ध में रिट भी किया था और उस पर यह निर्णय हुआ था कि जो अवैध कब्जा है, उसको हटाने के लिए कहा जाय। ऐसी स्थिति में इस सिलसिले में गवर्नमेन्ट की तरफ से तभी कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

भान्यवर, कब से यह अनधिकृत कब्जा है, और किस तारीख से गवर्नमेन्ट की तरफ से हटाने की कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, 1959 में एक बाढ़ आई थी जिससे सारी बस्ती ध्वस्त हो गई थी। जिलाधिकारी, मेरठ ने मोदी को यह सलाह दी थी कि नाले में बन्धा बनाकर उसको मोड़ने का काम करें। 1959 में वह बन्धा बनाया गया और उस नाले को मोड़ने का काम किया गया। वह 15 बीघे जमीन थी जिस पर अब क्वार्टर बन गये हैं। गांव समाज वालों ने इस जमीन के लिए इलाहाबाद में एक रिट भी की। उसमें कुछ लैन्ड एक्वीजीशन का कार्य भी किया गया जिसको बाद में गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया।

## मिर्जापुर जिले में भूख से तथाकथित मृत्यु

*2—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि मिर्जापुर जिले में अक्तूबर, 1974 से जनवरी, 1975 तक भूख से कुछ लोग मरे ? यदि हां, तो मरने वालों की संख्या कितनी है तथा सरकार वहां के लोगों के लिए राशन की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

मिर्जापुर जिले में अक्तूबर, 1974 से जनवरी, 1975 तक भूख से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में मोटा गल्ला सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

श्री आशा राम यादव—

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि भूख से मरने वाले व्यक्ति की क्या पहचान है ? किस व्यक्ति को भूख से मरा हुआ मानते हैं ? उसकी क्या परिभाषा है ? जोगइल की एक महिला जिसका पोस्ट मार्टम किया गया, के पेट से पीपल के पत्ते मिले तो क्या पीपल के पत्ते खाने के पदार्थ हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

भूख से मरने की परिभाषा मान्यवर, जो है कई दिन तक लगातार खाना न मिला हो। महीनों तक खाना न मिलने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाय तो उसको भूख से मरने की परिभाषा में कहा जायेगा। लेकिन यदि किसी बीमारी से मृत्यु हो जाय या किसी

दूसरे कारण से हो जाय तो वह भूख से मरना नहीं है। मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में एक लड़की ने फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली थी, समाचार-पत्रों में जिसका जिक्र छपा था जिसमें कहा गया था कि भूख के कारण आत्म-हत्या कर ली है। उसकी जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उसने आत्म-हत्या की थी। भूख के कारण मृत्यु नहीं हुई।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला वितरित किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितना गल्ला आबंटित किया गया और प्रति यूनिट कितना वहां पर दिया जा रहा है ?

श्री प्रभु नारायण---

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में परीक्षण कार्यों की व्यवस्था की गई और उसके लिए 13,50,000 रुपये आबंटित किए गए। मोटे गल्ले का सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण सुचारु रूप से किया जा रहा है। दुद्धी क्षेत्र के पूरे ग्रामीण क्षेत्र तथा शेष पहाड़ी भागों में भूमिहीनों तथा सवा छ : एकड़ से कम जमीन वालों को एवं परीक्षण कार्य कर रहे व्यक्तियों को मीटे अनाज का 4 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह की दर से दे रहे हैं।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापूर)---

श्रीमन्, अगर वह फांसी लगा कर मरी थी तो उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या थी ?

श्री प्रभु नारायण---

मान्यवर, इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री आशाराम यादव---

मैं माननीय मन्त्री जी को कुछ भूख से मरे हुए आदमियों के नाम बता दूंगा तो क्या वह पुन : उनकी जानकारी प्राप्त कर सदन को अवगत करायेंगे ? सामारू, आसन डीह, बमनी ब्लाक, रामलखन, म्योरपुर, सीताराम और राम चन्द्र तथा तीन बच्चे इन सभी को भूख से मौत हुई तो उनकी जानकारी पुन : वह करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण---

मान्यवर, जिन नामों की चर्चा की, माननीय सदस्य ने, उनकी जांच अवश्य करा ली जाएगी। लेकिन शासन को निश्चित सूचना है, जो शासन की व्यवस्था है, उसके कारण कहीं भी भूख से मौत नहीं हुई।

**बाराबंकी जिले के सरहद स्थित किसानों से बाराबंकी एवं गोंडा दोनों जिलों द्वारा लगान की वसूली**

*3---श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी की तहसील फतेहपुर व राम सनेही घाट के अन्तर्गत कितने ऐसे ग्राम हैं जो जिला गोंडा की सरहद में पड़ते हैं और वहां के किसानों की जमीनें दोनों जिला बाराबंकी व गोंडा के कागजातों में दर्ज है व उन्हें दोनों जिलों को लगान देना पड़ता है ? यदि हां तो ऐसे गांव व किसानों के नाम क्या हैं और सरकार को इन किसानों की ओर से बार-बार लिखा पढ़ी किए जाने के बाद भी, अभी तक इन गांवों की भूमि को गोंडा जिले के कागजात से क्यों खारिज नहीं कराया गया है ?

श्री प्रभु नारायण--

बाराबंकी एवं गोंडा दोनों जिलों के ग्रामों के अभिलेखों को ठीक किये जाने के लिए जिला गोंडा के 15 ग्राम तथा जिला बाराबंकी के 16 ग्रामों में भूमापन एवं अभिलेख क्रियायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं। यहां की स्थिति विस्तृत सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के बाद ही स्पष्ट होगी।

इन क्रियाओं के अन्तर्गत अभिलेखों में जो भी त्रुटियां पायी जायेंगी उनका सुधार स्वत: हो जाएगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी में ऐसे भाग हैं, जो सबसे पिछड़े भी हैं, जहां पर किसानों को बाराबंकी और गोंडा दोनों को लगान देना पड़ता है। क्योंकि वह गरीब लोग हैं, उनकी दशा में जमींदारी एबोलीशन के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे किसान हैं, जिनको दो जिलों में लगान देना पड़ता है ? इस सम्बन्ध में सरकार को सूचना कब प्राप्त हुई ? यह भू-अभिलेख रिकार्ड में कब देखने में आया ?

श्री प्रभु नारायण--

श्रीमन्, जहां तक प्रश्न इस बात का है कि कितने किसान इससे प्राभावित हैं इसकी जानकारी में समय लगेगा। जब सर्वेयर रिकार्ड आपरेशन का कार्य पूरा कर लें तभी मालूम होगा। लेकिन वैसे मोटे तौर पर लगभग 150 किसान हैं जो इससे प्रभावित हैं। दूसरे जहां तक सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के नोटीफिकेशन का प्रश्न है, इसका 18 अक्तूबर, 1973 को नोटीफिकेशन हो गया था और 1974-75 में उसकी क्रिया आरम्भ हो गई है, अभिलेख का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

इसकी सूचना शासन को कब प्राप्त हुई थी कि इन जिलों के इन-इन गांवों में नक्शा ओवरलैप करता है और किसानों को दोनों जगह लगान देना पड़ता है ?

श्री प्रभु नारायण--

इसमें तो सूचना की आवश्यकता है। चूंकि यह मसला बहुत दिनों से पेंडिंग था, इसी कारण इसमें ऐसी कार्यवाही करने के लिए नोटीफिकेशन करना जरूरी था, उसको सोच समझकर करने में थोड़ा समय लगा इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

ये किसान बहुत दरिद्र हैं और शासन की ओर से इन पर अन्याय हो रहा है क्योंकि इन लोगों को नक्शे की शासन की गलती से दोनों जिलों को लगान और विकास कर देना पड़ता है। इसलिए जब तक सब क्रियाएं समाप्त न हो जाएं, तब तक इन गांवों के लोगों को लगान और विकास कर वसूली से छूट देने की क्या सरकार कृपा करेगी ?

श्री प्रभु नारायण--

यह सम्भव नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन-कौन से लोग प्रभावित हैं। जो गलत तरीके से लगान वसूल हो गया, उसकी बाद में वापसी कर दी जाएगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

ये जो 150 हैं, जिनके बारे में मन्त्री जी ने माना है और जो 25 वर्ष से दे रहे हैं, इनके बारे में ही माफ कर दें, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष---

वर्मा जी कह रहे हैं कि जो गांव हैं, जिनसे लगान वसूल किया जा रहा है, बाद में निर्धारित होगा कि सीमा किसकी है। लेकिन इनसे दो जिलों में वसूल हो रहा है, यही हो जाए कि एक ही जिले में वे दें।

श्री प्रभु नारायण---

माननीय वर्मा जी का सुझाव माना जाएगा तो पूरे गांव की वसूली बन्द करनी पड़ेगी। तो 10-15 किसान किसी गांव में प्रभावित हैं, किन्तु ऐसा करने से जिनकी वाजिब तौर से मालगुजारी देनी है, उनकी भी बन्द करना पड़ेगा इसलिए यह बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष---

दो जिलों से वसूल हो रहा है, एक ही जिले से नहीं हो सकता है, क्या ?

श्री प्रभु नारायण---

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है गोंडा के 112 और 18 बाराबंकी के हैं। यह संख्या एक्यूरेट तो पता नहीं है। अब इसको देखने की कोशिश होगी कि क्या यह सम्भव है। लेकिन कोई आश्वासन देने की स्थिति में, मैं नहीं हूं, क्योंकि आश्वासन देने से उलझन की सम्भावना है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या यह मामला सन् 1950 से, जमींदारी उन्मूलन के बाद से ही चला आ रहा है कि दोनों जिले के किसान घाघरा के कटान की वजह से प्रभावित हैं, और तभी से इनसे दोनों जिलों में लगान वसूल हो रहा है ? यदि हां, तो सन् 1950 से लेकर अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सरकार द्वारा क्यों नहीं की गई ?

श्री प्रभु नारायण---

मान्यवर, जहां तक प्रभाव होने की बात है, यह अवश्य पड़ा लेकिन जब शासन के सामने यह बात आई तो उसके सम्बन्ध में सारी चीजे देखकर सर्वेक्षण और नोटीफिकेशन की बात हुई और उसमें थोड़ी दिक्कत अवश्य है। फिर भी सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है।

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)---

चूंकि माननीय मन्त्री जी के पास पर्याप्त सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं आई, इसलिए यह सूचना पुनः मंगा लें और आप इस पर एक घंटे की चर्चा का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न नहीं है।

यह आप अलग से प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

सवाल यह है कि मन्त्री जी ने खुद माना है कि डेढ़ सौ ऐसे किसान हैं। उन डेढ़ सौ किसानों की वसूली रोक सकते हैं, जिनसे 25 वर्ष से दो-दो जगह लगान लिया जा रहा है, फिर क्या वजह है कि नहीं रोकते ?

श्री अध्यक्ष---

उसका जवाब उन्होंने दिया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मन्त्री जी ने कहा है कि डेढ़ सौ की सूचना है। उनकी वसूली रोक देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि विचार करेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

वह खुद मान रहे हैं कि डेढ़ सौ से दोनों जगह से लगान लिए जा रहे हैं। उनको क्यों नहीं रोकते ?

श्री अध्यक्ष--

कह तो रहे हैं कि विचार करेंगे।

एक सदस्य--

मन्त्री जी ने कहा है कि जांच करने के बाद निर्णय लेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

डेढ़ सौ लोगों की सूचना आपके पास है। उनके बारे में फौरन आदेश दे देना चाहिए कि मालगुजारी की वसूली बन्द कर दी जाय। मान्यवर, बड़े महत्व का प्रश्न है। पिछली असेम्बली में भी मैंने दिया था। उस बार नहीं आया। इस बार मंजूर हुआ। फिर जवाब अधूरा मिल रहा है।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, स्थगित कर दीजिए।

(श्री अध्यक्ष के पुकारने पर श्री प्रभु नारायण ने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ कर दिया।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अब ऐसे कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

अब हम आगे चले गये। माननीय मुहम्मद असरार अहमद से मैं निवेदन करूंगा कि मैंने स्वयं उस चीज को उठाया। मुझे उठाना पड़ा। मुझे नहीं उठाना चाहिए। अब वह आएगा। उन्होंने कहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह प्रश्न अधूरा रह गया है।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं निकलेगा। उन्होंने कह दिया कि उसको देखेंगे।

.श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

फौरन स्थगित करना चाहिए। मन्त्री जी आश्वासन दें।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

मन्त्री जी को साहस नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री से जवाब दिलवा दीजिए। मन्त्री जी खुद ही नए हैं।

(शोर के बीच)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

पूरी जांच पड़ताल करा लीजिये तब कायम हो लगान और तब लगान वसूल करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

इसके दूसरे उपाय हैं। जो चौथे सवाल का.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह मान्यवर बिलकुल अन्याय है। मन्त्री जी जवाब नहीं देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं।

एक सदस्य—

मन्त्री जी से आश्वासन दिलवाना चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—

अब वह नहीं। अब हम चौथे पर चले गये।

श्री केशरी लाल—

स्थगित करने में माननीय मन्त्री जी को क्या कठिनाई है?

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

आप नहीं चाहते हैं कि यह आगे चले, तो ठीक है। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं।

श्री केशरी लाल—

हम निवेदन करेंगे अध्यक्ष जी कि मन्त्री जी आश्वासन दे दें, वसूली स्थगित करवा दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक सवाल हम को करने दीजिये। साफ हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कानून के अनुसार कोई लगान दो बार नहीं दे सकता। यह सवाल ही निराधार है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता।

नेताओं की बैठक में इस प्रश्न पर विचार हुआ था और फैसला हुआ था कि तीन सवाल, जो सवाल दे, वह कर ले और उसके बाद और भी दो एक सवाल हो जायं। आगे का काम रुकेगा नहीं। जो जायज रह जाता है, उसके बाद दूसरा ढंग है। वह माननीय असरार अहमद साहब से पूछ लीजिए।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

वह तो हम ले लेंगे। आप नोटिस दे दीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

दोनों जिलों से किसानों से लगान लिया जाता है। शासन कोई जवाब नहीं देता है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

यह तो इस दल का कर्त्तव्य है कि वह अपने लोगों को शान्त करे।

श्री ऊदल--

कल जो तय हो गया है, उसके मुताबिक काम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

वह तो तय हो गया और माननीय चौधरी साहब की मैं तारीफ करूंगा। कल जो तय हुआ है, उसी हिसाब से चलेगा।

श्री ऊदल--

सभी दलों के नेताओं ने तय कर लिया है, तो सभी माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि उसके मुताबिक सदन को चलायें।

श्री अध्यक्ष--

धन्यवाद।

(प्रश्न संख्या 4 के पुकारे जाने के उपरान्त।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मन्त्री जी लगान की छूट के बारे में कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं उसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

## बाढ़ग्रस्त गांवों को दी गई सहायता

*4--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के दूसरे शुक्रवार के नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन बाढ़ प्रभावित गांवों में सहायता पहुंचाई गयी है वे सबसे अधिक प्रभावित थे फिर भी हल्का लेखपाल ने 18 प्रतिशत क्षति का अनुमान लगा कर दिया है? यदि हां, तो क्या ऐसे लेखपालों को सरकार दन्डित करेगी ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो? क्या सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले गांवों का लगान माफ किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण--

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक सहायता व्यक्तिगत आवश्यकता को देखकर की जाती है। कम क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों में भी यदि साधनहीन व्यक्ति हों तो उनको तात्कालिक

सहायता देना आवश्यक है। इस परिस्थिति में किसी लेखपाल को दन्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है। 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले गांवों का लगान अभी माफ नहीं किया गया है। जिलाधिकारी से खरीफ 1382 फसली मालगुजारी आदि में छूट का प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के दूसरे शुक्रवार के नत्थी (ख) के प्रश्न 14 के उत्तर में बताया गया था कि क्रम संख्या 116, 118, 120, 121 तथा 123 में बाढ़ के मौके पर सहायता की गई थी वह नदी के आधे मील के अन्तर्गत था और शत प्रतिशत क्षति हो गई थी, फिर भी लेखपाल ने 18, 23, 24 तथा 26 प्रतिशत ही नुकसान दिखाया है, तो क्या मन्त्री जी इसकी पुन : जांच करायेंगे कि इतना कम नुकसान क्यों दिखाया गया है ?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, जहां तक शासन का प्रश्न है अभी तक 1382 फसली का छूट का प्रस्ताव जिलाधिकारी की तरफ से नहीं आया है। यदि प्रस्ताव पास होने के बाद निर्णय लिया जाता है, तो जांच करके समुचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने स्वयं स्वीकार किया है। 89,90,92 तथा 95 प्रतिशत की क्षति हुई है गांव में, इसके बावजूद जहां 50 परसेंट से अधिक क्षति हुई है, उनको लगान से मुक्त करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, लगान की छूट के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के पास से प्रस्ताव आता है, उस पर शासन निर्णय लेता है। वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जहां 50 परसेंट से अधिक की क्षति का सवाल है, उनकी मालगुजारी माफ हो जाएगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

हमारे माननीय आदित्यकुमार चतुर्वेदी सफल जिलाधिकारी रहे हैं और इस समय राजस्व सचिव हैं, उनको मालूम है जो क्षति हुई है, तो क्या मन्त्री जी इसकी सूचना अविलम्ब मंगा कर इन क्षतिग्रस्त गांवों को लगान से मुक्त करने का निर्णय लेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

जो विलम्ब हुआ है, उसके लिये शीघ्र प्रस्ताव मंगवाकर शासन की तरफ से तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, शासन का जो आदेश है उसके अन्दर ऐसा कह रखा है, कि किसी क्षेत्र की रिपोर्ट जाय तो कम क्षति दिखाई जाए। प्रदेश के किसी क्षेत्र में यदि कोई बिधायक शिकायत करे कि इस क्षेत्र में लेखपाल या किसी अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, वह गलत है और क्षति कम दिखाई गई है, तो क्या मन्त्री जी उसकी जांच करायेंगे और उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, जहां तक यह सवाल है कि शासन ने ऐसे आदेश दे रखे हैं, गलत है, असत्य है ।

मान्यवर, उसमें शासन की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं है और न कोई ऐसी इन्स्ट्रक्शन्स हैं । जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि ज्यादती की गई है, यदि उनकी तरफ के लिखित बात आएगी तो अवश्य जांच कराई जाएगी ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, यह जो आदेश दिए गए हैं, जबानी दिए गये हैं, लिखित नहीं दिए गए हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर,आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हुं कि जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, वहां पर लगान माफ करने की बात कही गई है, अपितु वहां पर जुल्म, दबाव डालकर स्वास्थ्य सेवा की गाड़ी से लगान वसूल किया जा रहा है । मान्यवर, लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जा रहा है । मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री प्रभु नारायण---

मान्यवर, जहां तक इसका प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा कि शासन का आदेश है कि सवा 6 एकड़ तक के काश्तकारों के साथ कोई कड़ाई नहीं होगी । यदि माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि शख्ती की जा रही है, यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो अवश्य जांच करा ली जाएगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मैं तो यह कहता हूं कि जो यूनिसेफ की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के द्वारा कड़ाई से लगान वसूल किया जा रहा है ।

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, मैंने तो कहा कि यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो अवश्य जांच करा ली जायगी । ऐसी कोई ज्यादती सवा 6 एकड़ तक की जोत वाले किसानों पर नहीं की जा रही है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, मेरी बात बिलकुल सही है । अगर मेरी बात गलत हो जाय तो मैं चुनौती देता हूं, यह बड़ी लज्जा की बात है कि इस प्रकार से आप झूंठ बोल रहे हैं ।

श्री प्रभु नारायण---

इस पर मुझे एतराज है जो माननीय सदस्य झूठ की बात कह रहे हैं । यह गैर जिम्मेदारी की बात है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, अगर मैं गैर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तो मुझे अवश्य दण्ड दे सकते हैं ।

## एटा जिले के ग्राम समाज, मजरा जात की भूमि का विक्रय

*5--श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 जुलाई, 1974 को कोई शिकायती-पत्र तथा लिस्ट, ग्राम समाज, मजरा जात, आवागढ़, जिला एटा की भूमि के पट्टे वितरण में चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी, आवागढ़ व सम्बन्धित दो लेखपालों द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुयीं थी और जिसके सम्बन्ध में मन्त्री जी ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रभु नारायण--

जी हां। शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई और रिपोर्ट हाल में प्राप्त हुई है जो शासन के विचाराधीन है।

श्री गंगा प्रसाद--

मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ग्राम समाज, मजरा जात, अवागढ़ के लेखपाल और टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ भूमि के पट्टे वितरण के सम्बन्ध में अभी हाल ही में कोई रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है ?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, रिपोर्ट जो है, वह अभी 20 मार्च, 1975 को यानी कल आई है, उसको विभाग की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन जो मोटी बात रिपोर्ट में कही गई है कि लेखपाल और टाउन एरिया के चेयरमैन के रिश्तेदारों के नाम ? जमीन के एलाटमेंट की बात है, वह एलाटमेंट की बात सही नहीं है, बल्कि खरीद की बात है। लगता ऐसा है मान्यवर, कि यह किसी के नाम जमीन एलाटमेंट थी और वे लोग भूमिधर होकर इस जमीन को लेखपाल या टाउन एरिया के चेयरमैन के रिश्तेदार के हाथ बेंच दिया है। मान्यवर, जो मैंने अब तक देखा है, मुझे लगता है कि उसमें अभी कुछ और जानकारी करना आवश्यक है।

श्री गंगा प्रसाद--

मान्यवर, एलाटमेंट के बाद जब कागज अदालत में दाखिल खारिज के लिए गया तो वहां के भूमिहीन हरिजनों ने एतराज किया, लेकिन फिर भी वहां के अधिकारी ने प्रभावित होकर लेखपाल और चेयरमैन के रिश्तेदारों के नाम दाखिल खारिज कर दिया।

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, जहां तक उस रिपोर्ट का सम्बन्ध है जैसा मैंने कहा कि अभी उसका परीक्षण हो रहा है। मोटी बात यह है कि जहां तक लेखपालों के रिश्तेदारों का प्रश्न है, और जहां तक टाउन एरिया के अध्यक्ष के रिश्तेदारों का प्रश्न है, यह बात सत्य है कि उनके नाम जमीन है, लेकिन वह जमीन उन्होंने खरीदी है। उन्होंने जमीन खरीदी है, उनके नाम एलाटमेंट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अवश्य ही इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि इसकी पुनः जांच करा ली जाए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे एक बात साफ है कि जो जांच हुई है, वह न्याय संगत नहीं है, और टाउन एरिया के जो अध्यक्ष हैं, उनके प्रभाव के कारण निष्पक्ष जांच नहीं हो पायी है। मन्त्री जी ने बताया है कि जमीन को खरीदा गया है, तो यह मानकर कि जांच निष्पक्ष नहीं है, क्या माननीय मन्त्री जी इसकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

रिपोर्ट उनको कल मिली है। आपको मिल गयी है, क्या?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है जैसी आवश्यकता समझी जायेगी, उस तरह से कार्यवाही की जाएगी।

श्री गंगा प्रसाद--

मैं तो यह चाहता था कि पूर्ण जानकारी देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो चेयरमैन हैं वह कांग्रेस सत्तारूढ़ दल में हैं और इस विलम्ब का कारण है कि वह 50 बार मन्त्री जी से मिल चुके हैं, और इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गयी है। जब लेखपालों ने अनियमितता की है, तो फिर क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रभु नारायण--

जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, उस पर कार्यवाही हो रही है, जांच रिपोर्ट आयी है कल ही मिली है। उस पर कार्यवाही की जाएगी और शासन के सन्तुष्ट न होने पर पुनः जांच करायी जायेगी और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा।

**हरदोई जिले की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत हरिजनों को भूमि का आबंटन**

*6--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के ग्राम नारायनपुर तथा खेम्मापुरवा कुचिला, बिजना, पदौला खदेरिया के जमीन को भूमि-हीन हरिजनों के नाम सन् 1972 के माह मार्च में तहसीलदार ने लाटरी द्वारा पट्टे कराए थे परन्तु उस भूमि को ,अभी तक भूमिहीन हरिजनों को नहीं दिया गया है जबकि तहसीलदार ने अपने आदेश दे दिए हैं ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रभु नारायण---

भूमि प्रबन्धक समिति के अनुरोध पर तहसीलदार द्वारा केवल लाटरी निकाल कर भूमि पाने के पात्र अभ्यर्थियों की सूची बनाई गई। तहसीलदार द्वारा कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। उक्त भूमि के पट्टे अभी तक नहीं किए जा सके। छानबीन होने पर हल्का लेखपाल प्रस्ताव से सम्बन्धित कागजात दबाने के लिए दोषी पाया गया तथा उसे निलम्बित कर दिया गया है। अन्य दोषी कर्मचारियों के विषय में भी जांच की जा रही है।

जांच से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि अनधिकृत कब्जे में है। कब्जे हटवा कर ही भूमि नियमानुसार आबंटित करने की कार्यवाही होगी।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, भूमि वितरण के सम्बन्ध में है, और यह बहुत बड़ा गम्भीर मामला है। 3 साल पहले यह भूमि बांटी जानी थी, लेकिन अभी तक उसकी जांच नहीं हो पायी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी और वह इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? दूसरा, जिन भूमिहीनों के नाम पट्टा नहीं हो सका है, यह नये पट्टे कब तक कर दिए जायेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

इस सम्बन्ध में स्थिति इस तरह से है कि तहसीलदार को पट्टे नहीं करने थे, पट्टे करने थे गांव समाज को। लाटरी डाली गयी उसके सामने और जो नाम निकले उनको पट्टे कर दिए गए। यह कार्यवाही होने के बाद स्थिति यह बनी कि पट्टे करने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही लेखपाल को करनी थी, उसको नहीं किया, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। पट्टा करने के सम्बन्ध में एस0 डी0 ओ0 के पास मामला चला गया है, उन्होंने उसको देखा और मौके पर तहसीलदार को भेजा कि जल्दी-जल्दी से पट्टे हो जायें, जो खाली जगह है, उन पर तुरन्त पट्टा हो जाए और जो खालीं नहीं है तो अनधिकृत पजेशन को हटाकर पट्टा कराया जाए।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या गांव समाज मैनुअल में भूमि वितरण सम्बन्धी मामलों में लाटरी से भूमि देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वह पैरा या धारा उद्धृत करने की कृपा करें ?

श्री प्रभु नारायण--

इस सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति ने सोचा कि जब एक ही कौम के लोग हैं तो उनमें किसके नाम आए और किसके न आएं। निष्पक्षता बरतने के लिए भूमि प्रबन्धक समिति ने निष्पक्ष अधिकारी, तहसीलदार, को यह काम सौंपा ताकि जो नाम निकलें उनको भूमि दे दी जाय।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, इसमें 2-3 प्रश्न उठते हैं। गांव समाज ने प्रस्ताव पास करके यह कार्य तहसीलदार को दिया तब उसने लाटरी निकाली। जिन लोगों ने उस जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा था, उसका रिकार्ड तहसीलदार या लेखपाल के पास थे। तो क्या माननीय मन्त्री जी इन 2 बातों की जांच करायेंगे कि जब तहसीलदार ने गांव समाज के प्रस्ताव पर लाटरी निकाली तो अब तक पट्टे क्यों नहीं करवाये ? दूसरे, जो उस जमीन पर अनधिकृत कब्जा था, उसको खाली कराने के लिए अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री प्रभु नारायण--

जमीन के मामले में माननीय ऊदल को बहुत जानकारी है। मैंने निवेदन किया कि भूमि प्रबन्धक समिति को उस भूमि के पट्टे करवाने थे, इस कार्य के लिए उन्होंने तहसीलदार से लाटरी निकलवाई। इस सम्बन्ध में जो कागजात हैं, उनको देखने से पाया गया कि लेखपाल दोषी है और उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में अभी भी जांच जारी है और लेखपाल के अतिरिक्त जो और भी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

जब लाटरी से किसी को जमीन मिल जा रही है तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री और मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही यहां भी लाटरी द्वारा मन्त्रियों का चयन हो जाया करे ? (हंसी)।

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, यह हमारे पुराने दोस्त हैं, मेरी इच्छा है कि इनको भी एक लाटरी मिल जाया करे।

## गोरखपुर जिले के गांव भरकछा की सीलिंग-भूमि की पैमाइश की मांग

*7--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के एस0 के0 सर्किल राजधानी के गांव भरकछा में सीलिंग की जमीन जो हरिजनों एवं भूमिहीनों में बांटी गयी है, के पैमाइश हेतु प्रश्नकर्ता ने वर्ष 1974 के प्रारम्भ से अन्त तक कई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी एवं शासन को प्रेषित किए हैं? यदि हां, तो उसकी अब तक पैमाइश आदि न करने के कौन-कौन से कारण हैं तथा कब तक पूर्ण रूप से पैमाइश. करा कर कब्जा दखल करा दिया जायेगा?

श्री प्रभु नारायण--

जी हां, सीलिंग भूमि के पैमाइश हेतु प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए थे। ग्राम भरकछा में निकली हुई सीलिंग-भूमि की पैमाइश दिनांक 10 अप्रैल, 1973 को प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में किया गया था और सम्बन्धित पट्टेदारों को भूमि का कब्जा दिलाया गया था। सन् 1974 में प्रश्नकर्ता महोदय ने पुन: भूमि के पैमाइश किए जाने की मांग की। परन्तु उक्त ग्राम के समस्त कागजात सीमा विवाद के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् न्यायालय में चले गये थे और अभी तक वापस प्राप्त न होने के कारण दोबारा पैमाइश नहीं की जा सकी। उक्त न्यायालय से कागजात वापस आने पर ही भूमि की दोबारा पैमाइश की जा सकती है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जो पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है, क्या माननीय मन्त्री जी उसको पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे कि उसमें क्या-क्या तथ्य हैं? यदि माननीय मन्त्री जी के पास वह पत्र न हो तो मैं दूसरा प्रश्न कर लूं?

श्री अध्यक्ष--

वह तो आपको मालूम है, आप दूसरा प्रश्न कर लें?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या इस विषय में अभी हाल ही में एक ऐसी घटना घटी थी, जब कि अभिलेख राजस्व परिषद् में नहीं आया था कि इस विवादग्रस्त भूमि पर मुलरी नाम की हरिजन बेवा को मारने के सम्बन्ध में मुकदमा कायम हुआ था, तो उस समय क्यों नहीं पैमायश करा दी गयी, क्या इसकी भी जांच करा लेंगे?

श्री प्रभु नारायण--

जहां तक जांच कराने की बात है उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि जो आवंटन हुआ उस हिसाब से 10-7-74 को कब्जा दे दिया गया था। तो माननीय सदस्य को जानकारी रहते हुये अब उसको छेड़ने से क्या लाभ है?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

राप्ती नदी के कारण मेड़ का झगड़ा पैदा हो जाता है। तो सम्बन्धित विवाद को छोड़ कर तत्काल राजस्व परिषद् से पुन: कागजात को वापस मंगाने में क्या हर्ज है, ताकि सही-सही पैमाइश हो सके?

श्री प्रभु नारायण--

शासन का इस सम्बन्ध में पूरा ध्यान है। जो जमीन आवंटित हुई उसमें 2 एकड़ भूमि का पट्टा माननीय विधायक के भाई के नाम से है, और जो उनको जमीन का कब्जा दिलाया गया बाकायदा पिताजी ने लिख कर दिया, जिलाधीश को, कि उनको कब्जा मिल गया है। तो शासन का ध्यान पूरी तरह से है। अब अगर कागजात बोर्ड आफ रेवेन्यू के सामने हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं?

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

आज हरिजनों को जो जमीन आपकी तरफ से बांटी जाती है, उसका सही सीमांकन न होने की बजह से झगड़े होते ही रहते हैं। तो क्या सरकार ऐसा करेगी कि जब जमीन हरिजनों को दी जाय तो उसके किनारे पत्थर लगा दिये जायं? दूसरे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायक जी के भाई को जमीन दी गयी। तो वह हरिजन हैं, अगर उनको जमीन दी गयी तो कोई खास बात तो की नहीं गयी जो खासतौर से विधायक के भाई की बात कही।

श्री प्रभु नारायण--

मैंने तो इस सबूत में कहा कि उसका आवंटन हुआ, उस पर कब्जा दिलाया गया और इसका यह सबूत है कि कब्जा पाने की रसीद शासन के पास मौजूद है। ऐसी स्थिति में सही बात को बताना कोई खराब बात तो है नहीं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि शासन हरिजनों में जमीन वितरित करना चाहता है।

श्री शारदा प्रसाद रावत-

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि भरकछा गांव में मुलरी नाम की एक हरिजन विधवा को उस जमीन के कब्जे के सम्बन्ध में मारा गया और जब थानेदार ने कागजात देखने चाहे तो तहसीलदार ने या स्थानीय अधिकारियों ने वह कागजात नहीं दिखाये हालांकि वह राजस्व परिषद् को तब तक नहीं भेजे गये थे जिसके कारण उसकी तफतीश अभी भी नहीं हो पायी है ?

प्रभु नारायण--

जहां तक मुलरी स्त्री के सम्बन्ध में जांच की बात है वह मैंने पहले ही कहा कि उसकी जांच करा ली जायगी, लेकिन इस वक्त कागजात बोर्ड आफ रेवेन्यू के सामने हैं। जब तक वह वहां से वापस न आयें तब तक उनको कैसे उपलब्ध करा सकते हैं।

## 21 मार्च, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1--2--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[ माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ]

**अलाभकर जोतों से लगान समाप्त करने की मांग**

*3--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि सरकार पुनः अलाभकर जोतों से लगान समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण--

जी नहीं।

अलाभकर जोत की कोई स्पष्ट परिभाषा संभव नहीं है और प्रदेश के विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए आय के साधनों में कमी करना अन्यथा भी प्रदेश के हित में न होगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मंत्री जी जब इधर बैठते थे, तो समाजवादी थे और अलाभकर जोत के प्रश्न पर वे कई बार जेल भी गये हैं। तो अलाभकर जोत की परिभाषा आज उनकी दृष्टि में जो हो, वह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

मंत्रि परिषद की इस संबंध में जो राय होती है उसी के मुताबिक काम होता है और मंत्री उससे प्रभावित होता है।

*4--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[2रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित।]

**श्री मंगल देव विशारद समिति के प्रतिवेदन की संस्तुतियों से बचने के लिए सरैया शुगर मिल, गोरखपुर द्वारा की गई तथा कथित कार्यवाही**

*5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री हाल में प्रकाशित विशारद कमेटी के प्रतिवेदन में बताये गये सरैया शुगर मिल, सरदार नगर, जिला गोरखपुर की भूमि की चोरी एवं फर्जी प्रबन्धों की जांच करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

श्री मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति के प्रतिवेदन के परिशिष्ठ-18 में कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख है जिनमें उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के प्रभाव से बचने की तरकीबें की गई है। इन मामलों में गोरखपुर जिले से सम्बन्धित सरैया शुगर मिल, सरदारनगर का कोई मामला शामिल नहीं है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

**गोंडा जिले में अतिवृष्टि के कारण तथा कथित अनुदान का वितरण**

*6--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1970-71 में जो अनुदान अतिवर्षा के कारण घर गिर जाने के सम्बन्ध में गोंडा जिले में वितरित किया गया था, उसमें लाखों रुपयों का घोटाला किये जाने के कारण उनकी जांच सी0 आई0 डी0 को तत्कालीन सरकार ने सौंप दी थी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि इस घोटाले के लिये वहां के डी0 एम0 को जिम्मेदार बता कर वहां के कुछ विधायकों ने शिकायत की थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग नहीं उठते।

**नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन प्रदेश के कतिपय हिस्सों से सम्बन्धित विज्ञप्ति का न जारी किया जाना**

*7--श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अरबन जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट जो 1956 में पारित किया गया था, किन-किन शहरों में अभी तक प्रभावी नहीं किया गया है ? इस विलम्ब का क्या कारण है और इसके जिम्मेदार कौन-कौन हैं ?

---

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 का प्रचलन पूरे प्रदेश में हो चुका है, पर इस अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत कृषि क्षेत्रों के राज्य में निहित होने की विज्ञप्ति अभी तक मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज टाउन एरिया, लखनऊ जिले की अमेठी टाउन एरिया, वाराणसी जिले की भदोही, रामनगर नगर पालिकाओं, गंगापुर, गोपीगंज, चकिया, ज्ञानपुर टाउन एरिया, रामपुर नगरपालिका, झांसी जिले की गमश्वर टाउन एरिया तथा हमीरपुर जिले की चरखारी नगरपालिका के सम्बन्ध में जारी नहीं की गई है।

विलम्ब का कारण इन 11 नागर क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के परिच्छेदन की कार्यवाही का अन्तिम न होना है।

कृषि क्षेत्र के परिच्छेदन प्रस्तावों के विरुद्ध की जाने वाली आपत्तियों का निस्तारण न्यायिक प्रकार से होता है, जिसमें समय लगता है।

## गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क मजदूरों की मजदूरी की भुगतान

*8--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपर में चल रहे टेस्ट वर्क में काम करने वाले मजदूरों का पारिश्रमिक लगभग 15 दिन का बकाया हो गया है ? यदि हां, तो शासन से कितने रुपये की मांग मुखमरी को रोकने हेतु की गयी है तथा मांगी गयी धनराशि कब तक गोरखपुर को भेज दी जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जनपद गोरखपुर में चल रहे टेस्ट वर्क में काम करने वाले मजदूरों का भुगतान जिले में धन उपलब्ध न होने के कारण जनवरी माह के वित्तीय पक्ष में लगभग 15 दिन बकाया हो गया था किन्तु शीघ्र ही दो लाख रुपये की धनराशि गोरखपुर के लिये शासन द्वारा आवंटित की गई जिसमें से बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। धन के अभाव में अब कोई भुगतान नहीं रुका हुआ है।

## पर्यटन निगम को व्यापार चलाने हेतु दिया गया अनुदान

*9--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश टूरिस्ट कारपोरेशन ने टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसकी पूरी रूप रेखा क्या है और सरकार उस पर कितना रुपया व्यय करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

पर्यटन विकास निगम को व्यापार प्रारम्भ करने के लिये रजिस्ट्रार कम्पनीज से प्रमाण-पत्र दिनांक 29-8-74 को प्राप्त हुआ है। टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ाने के लिये जिन बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध किया जाना आवश्यक है, उनमें होटल भी एक मुख्य उद्योग है। होटलों को अधिक से अधिक स्थापित किया जा सके इस उद्देश्य से पर्यटन विकास निगम होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग का एक प्रशिक्षण 100 प्रशिक्षार्थियों को दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण के बाद इन शिक्षित बेरोजगारों को अपना निजी होटल उद्योग चलाने में निगम उन्हें आर्थिक सहायता देगा और इसके लिये निगम को शासन द्वारा रु0 2,24,000 का अनुदान तथा रु0 1,79,000 रु0 ऋण के रूप में दिये गये हैं।

पर्यटकों का मार्ग दर्शन करने के लिये टूरिस्ट रोड मैप को उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। यू0 पी0 रोड मैप छप गया है जिसे निगम द्वारा पर्यटकों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस पर शासन द्वारा रु0 40,000 व्यय किया गया था।

इसके अतिरिक्त अब आयोजित दौरों का चलाया जाना भी निगम के विचाराधीन है ।

**पिथौरागढ़ जिले के ग्राम क्वीटी में आबादी बनाने पर वन विभाग द्वारा लगायी गयी रोक**

*10—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम क्वीटी के अन्तर्गत खेत नं0 7822, 7823 जिसका रकबा 381 नाली है, का बावजूद लगातार लगान देने के जंगलात विभाग (मजिया का हाडा रिजर्व फारेस्ट) द्वारा आबादी करने पर रोक लगायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**गोरखपुर जिले के मधौलिया रेंज के श्री जान मोहम्मद निकासी मुहर्रिर का गायब होना**

*11—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के मधौलिया रेंज का कोई निवासी मोहर्रिर (जान मोहम्मद) सन् 72 में था, जो बन विभाग का 25 साल से अधिक काल का कर्मचारी था, और जिसको 30-3-72 को मधौलिया रेंजर ने पत्र देकर चौक रेंज भेजा था तभी से लापता है जिसकी जांच करने के सम्बन्ध में उसके परिवार के लोगों एवं लड़कों ने तथा वर्तमान क्षेत्रीय विधायक ने बहुत सी दरख्वास्तें शासन को दी थीं, प्राप्त हुयीं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्री जान मोहम्मद गोरखपुर के मधौलिया रेंज में 1972 में निकासी मोहर्रिर थे। बन विभाग में उनका सेवा काल 25 साल से अधिक था। मधौलिया रेंजर ने उनको 30 मार्च, 1972 को पत्र देकर चौक रेंज नहीं भेजा था। किन्तु यह सही है कि वह दिनांक 30 मार्च, 1972 से लापता हैं। उनके लापता होने की जांच कराने के विषय में उनके परिवार के सदस्यों से पांच प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। एक पत्र क्षेत्रीय विधायक से भी प्राप्त हुआ था। श्री जान मोहम्मद के लापता होने की जांच पुलिस विभाग द्वारा कराई गई। जांच से उनकी हत्या का कोई षड्यंत्र सिद्ध नहीं हुआ। पुलिस द्वारा दी गई फाइनल रिपोर्ट 1 सितम्बर, 1973 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई ।

उनके एक पुत्र, श्री हाजी अहमद को उनके स्थान पर निकासी मुहर्रिर के पद पर रख लिया गया।

*12—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[2रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

**गोरखपुर शहर के मुहल्ला मिर्जापुर (बेतिया हाता) के रजक वर्ग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा**

*13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के बेतिया हाता उर्फ मिर्जापुर के ग्राम समाज के प्लाट नं0 322/1/1 तथा 277/1 के विषय में अवैध कब्जा करने के विषय में स्थानीय रजक वर्ग के लोगों ने अपने पूर्वजों व देवताओं के अपमान को लेकर विशाल प्रदर्शन किया तथा इससे सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह सितम्बर, 74 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्लाट संख्या 322/1/1 तथा 277/1/1 गांव समाज की भूमि नहीं है। मोहल्ला मिर्जापुर ( बेतिया हाता) गोरखपुर शहर का एक मोहल्ला है और नगरपालिका के अन्तर्गत है ।

इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ था। जिसकी जांच कराई गई और यह पता लगा कि असल काश्तकारान ने एक मुकदमा धारा 229-बी जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत दायर किया था जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा 30-8-74 को खसरे को इंद्राज प्लाट संख्या 322/1/1 तथा 277/1/1 से "स्थान सतोभाई धोबी तथा "सडन सतोभाई धोबी" खारिज होने का पारित हो चुका है तथा " स्थान सतोभाई धोबी" गाटा संख्या 277/1/1 में समान रहेगा और असल काश्तकारान का नाम अंकित होने का आदेश हुआ है ।

*14--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

[6वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न 41 पर स्थानान्तरित ।]

## अतारांकित प्रश्न

### गोरखपुर जिले के मजिठिया परिवार की भूमि पर कब्जे से सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा दाखिल किया गया मुकदमा

1--श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों में गोरखपुर जनपद में मजिठिया परिवार से सम्बन्धित और उनके अधिकार की कितनी एकड़ भूमि पर 229 'बी" के मुकदमें काश्तकारों द्वारा दाखिल किये गये और उसमें से कितनी भूमि पर उन्होंने अपने बयान द्वारा काश्तकारों का कब्जा स्वीकार किया तथा लेखपालों ने भी काश्तकारों के कब्जे होने का दावा मान्य करते हुए बयान दिये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पिछले दस वर्षों में से वर्ष 1964-65, 1966-67 तथा 1967-68 को, जिनके मिसिलबन्द रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, छो कर तथा उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर, गोरखपुर जनपद में मजिठिया परिवार से सम्बन्धित और उनके अधिकार की 310-94 एकड़ भूमि पर 229 'बी' के मुकदमें काश्तकारों द्वारा दाखिल किये गये और उसमें से 72-67 एक भूमि पर उन्होंने अकबाल दावा व सुलहनामा द्वारा काश्तकारों का कब्जा स्वीकार किया है। लेखपालों ने काश्तकारों के कब्जे होने का दावा मान्य करते हुये, अब तक उपलब्ध किसी भी मामले में बयान नहीं दिया है। उपलब्ध मिसिलबन्दों में से 17 मुकदमात की पत्रावलियां अपील इत्यादि में अन्य उच्च न्यायालयों में हस्तान्तरित होने के कारण देखी नहीं जा सकी है जिसके कारण उन मामलों में यह बताना सम्भव नहीं है कि मजिठिया परिवार से सम्बन्धित भूमि की बाबत काश्तकारों का कब्जा होना स्वीकार किया है अथवा नहीं और लेखपालों ने काश्तकारों के कब्जे का दावा मान्य करते हुए बयान दिया है अथवा नहीं।

### आजमगढ़ जिले के ग्राम भूसाडोही एवं चक्की भूसाडोही के लेखपाल एवं कानूनगो का निलम्बन

2--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13-9-74 का लिखित एवं प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र ग्राम भूसाडोही एवं चक्की भूसाडोही, तहसील घोसी, जिला आजमगद के लगभग 140 किसानों के हस्ताक्षर से उक्त ग्राम के लेखपाल तथा कानूनगो, मधुबन के विरुद्ध 10,264 रु0 ग्राम समाज की भूमि का पट्टा करने का किसानों को लालच देकर हड़पने का शिकायती पत्र उन्हें

तथा माननीय मुख्य मंत्री और जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां, शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की प्रारम्भिक जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई गई। जांच के दौरान आरोपित लेखपाल तथा कानूनगो के चरित्र संदिग्ध पाये गये दोनों कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

3---श्री हरिकेवल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर स्थानान्तरित ]

**बहराइच जिले के ग्राम सभा लक्ष्मनपुर से मरहनियां की भूमि का हरिजनों में आबंटन**

4---श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लक्ष्मनपुर से मरहनिया, परगना चरया, तहसील नानपारा, जिला बहराइच के अन्तर्गत ग्राम समाज की कितनी भूमि कब और किन-किन व्यक्तियों को आवंटित की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

ग्राम सभा की भूमि 8 प्रतिशत से कम होने के कारण कृषि कार्य के लिये उठाई नहीं गई ।

दिनांक 26 जनवरी, 1973 को गांव सभा भूमि में से, गांव सभा में रहने वाले 29 गृह विहीन हरिजनों को आवास हेतु भूमि का पट्टा तथा कब्जा दिया गया। सूची अध्यक्ष के कक्ष में देखी जा सकती है ।

**बिजनौर जिले के विधान सभा क्षेत्र स्योहारा के अन्तर्गत सीलिंग भूमि का आबंटन**

5---श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्योहारा, जिला बिजनौर में कितनी भूमि सीलिंग की निकली है और जिनको एलाट की गयी है उनके नाम क्या-क्या हैं और जो बाकी है, वह कब तक एलाट कर दी जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र स्योहारा जिला बिजनौर में 188.25 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी जिसमें से 183 एकड़ भूमि संलग्न सूची के 59 व्यक्तियों को आवंटित की गई है। शेष 5.25 एकड़ भूमि कृषि अयोग्य होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 720-721 पर।)

**खाद्य मन्त्री तथा खाद्य विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना**

श्री अध्यक्ष---

एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय पुरुषोत्तम कौशिक का है.....

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

19 तारीख को एक पत्र मैंने आपको लिखा था.....

श्री अध्यक्ष---

आपने एक पत्र निजी मुझे लिखकर भेजा है। मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि उसको यहां पढ़ूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

निजी पत्र यहां न पढ़ें।

श्री बाबूलाल वर्मा---

एक मिनट का अवसर दे दें। वह पत्र सभी माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुरूप है और सभी यह चाहते हैं कि आपको यहां कैनिंग करने का अधिकार मिले। स्कूल में लड़के जब गलत जबाब देते हैं तो मास्टर कैनिंग करते हैं, उसी प्रकार जब यहां पर मंत्री गलत जवाब दें या इस तरह से कोई उद्दंडता करें तो आप कैनिंग करें, उसको सजा दें। आप हाथ उठवा कर पूछ लें सभी माननीय सदस्य इसके लिये तैयार होंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाबूलाल वर्मा जैसे लोग जब स्पीकर होंगे तो वे बेंत का प्रयोग करने का प्राविधान नियमों में समाविष्ट करा देंगे। (हंसी)।

माननीय पुरुषोत्तम कौशिक ने लिखा है कि खाद्य तथा रसद विभाग का वार्षिक कार्य–विवरण 1974–75 में कई विषयों का उल्लेख है जो वस्तुस्थिति पर पर्दा डालने तथा प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला है। माननीय कौशिक ने यह भी कहा है कि जान-बूझकर तथ्यों को न केवल छिपाया गया है अपितु घोर असत्य का सहारा लेकर विभाग ने अपनी अक्षमता को प्रशासनिक कौशल व क्षमता का नकली जामा पहनाने की कुचेष्टा की है जिससे सदन की मर्यादा को आघात पहुंचा है।

इस संबंध में बहुत सी व्यवस्थायें हैं। जो पुस्तकें, कागजात या पत्र आपको दिये जाते हैं या बांटे जाते हैं उनमें यदि कोई चीज यथार्थ के विपरीत छपी है तो आप उसके बारे में आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता। किताब लिखने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा उसमें सही ही सब हो। बोलने का मतलब भी यह नहीं है कि सब सही ही बोलें। गलत भी हो सकता है। आपको उसकी आलोचना करने का अधिकार है, प्रेस के जरिये भी आप आलोचना कर सकते हैं अगर कोई किताब ठीक नहीं छपती है तो यथा पूर्व इस प्रश्न को उठाने की आपको छूट है। कोई साहित्य पटल पर रखा जाता है या जो प्रतिवेदन आपके समक्ष रखा जाय उसकी बात अलग है लेकिन जो किताब विभागों द्वारा दी जाती है, उनमें कोई गलती है तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल नहीं उठता है। उस पर आलोचना और टीका हो सकती है। (व्यवधान)। आपने कोई आधार भी तो नहीं दिया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)–

कृपा कर मुझे कहने का कुछ तो मौका दें। खाद्य तथा रसद विभाग का वार्षिक कार्य–विवरण 1974–75 जो है इसमें लिखा है.....

अध्यक्ष–

इस किताब को यहां रखने की आपको इजाजत नहीं है। (व्यवधान) बजट भाषण, चर्चा पर भी आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

सरकार द्वारा जो डकैती डाली जा रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या हमारे देश की ललनायें यही साड़ी पहनती हैं? (लट्ठे वाला कपड़ा दिखलाते हुए)। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह का व्यवहार उनके साथ क्या उचित है? (व्यवधान)।

**श्री बाबू लाल वर्मा द्वारा श्री ईश्वरी सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना**

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाबूलाल वर्मा ने विशेषाधिकार की अवहेलना का एक दूसरा प्रश्न दिया है। (व्यवधान)

माननीय श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने सूचना दी है कि खादी बोर्ड विधेयक पर बोलते हुए श्री ईश्वरी सिंह ने कहा कि "हम लोगों को आश्चर्य कत्तई नहीं है कि इस देश में जनसंघ और आर0 एस0 एस0 जो पूज्य महात्मा गांधी जैसी हस्ती को नष्ट कर सकता है, वह अपने प्रचार से खादी ग्राम उद्योग को भी नष्ट कर सकता है"।

श्री बाबूलाल वर्मा का कहना है कि श्री ईश्वरी सिंह ने जान-बूझ कर गलत बयानी की है और सदन को गुमराह किया है।

तो सदन में माननीय ईश्वरी सिंह जी हैं?

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सामने इस समय सदन की उस दिन की कार्यवाही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

तब इसको आप पहले देख लें, फिर मैं इसको कल लूंगा।

**खेल कूद मन्त्री द्वारा सदन के बाहर समाचार-पत्रों को विभाग की योजनाओं को प्रकट करके गोपनीयता भंग करने के सम्बन्ध में संवैधानिक आपत्ति**

श्री अध्यक्ष--

श्री मधुकर दिघे ने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है, तो उसके लिये मुझे समय लेना पड़ता है। अभी मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। उसको मैं सोमवार को लूंगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मेरा एक दूसरा भी है।

श्री अध्यक्ष--

खेलकूद मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध आपने एक दूसरा संवैधानिक प्रश्न उठाया है, उसे मैं पढ़े देता हूं।

"वित्त मंत्री द्वारा 12 मार्च, 1975 को माननीय सदन के सामने बजट प्रस्तुत करने के पूर्व ही खेल कूद मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी ने 10 मार्च, 75 को अखबारों को वक्तव्य देकर बजट की वित्तीय व्यवस्था का रहस्योद्घाटन किया। उक्त वक्तव्य देश प्रदेश के सभी अखबारों में छपा। वित्तीय व्यवस्था का रहस्योद्घाटन करना, सदन में आने के पूर्व ही अखबारों को वक्तव्य देना संविधान की धारा 164 (3) की प्रपत्र के अनुसार ली गयी मंत्रि-परिषद् की शपथ, मंत्रि-परिषद् के निर्णयों की गोपनीयता को भंग करना है, माननीय सदन का अवमान करना है। श्री लोकपति त्रिपाठी ने मंत्रि-परिषद् एवं बजट की गोपनीयता को भंग किया है।"

[श्री अध्यक्ष]—

यह उनका कहना है। प्रश्न यह है कि यह बजट का मामला है। बजट भाषण, वित्त मंत्री के भाषण के बारे में है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, 1 मिनट के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि इसमें जो मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं, उनके ऊपर मंत्रि परिषद् के डिसीजन हैं या जो चर्चा है, उसकी गोपनीयता रखना लाजिमी है। 164–3, संविधान के प्रपत्र के अनुसार उनको गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। वह किसी चीज को डाइवर्ट नहीं कर सकते। मान्यवर, मेरा कहना था कि जब यहां पर बजट भाषण आया तो बजट भाषण जो वित्त मंत्री देते हैं, पहले मंत्रि परिषद् स्वीकार करती है। क्योंकि पूरे वर्ष में मंत्रि परिषद् या मंत्रि मंडल की जो नीतियां हैं, वह उसमें दिग्दर्शित रहती हैं। जितनी वित्तीय व्यवस्था और कराधान हैं, वह सारी चीजें रहती हैं। सरकार को अगले वर्ष क्या करना है उसका दिग्दर्शन उसमें होगा। ऐसी स्थिति में वह जो बजट भाषण है उसमें जो चीजें अगले वर्ष के लिये कही गयी हैं, उनको बजट भाषण के पढ़ने के पूर्व, बजट आने के पूर्व अगर अखबार में दे दिया जाता है तो यह औचित्य का प्रश्न तो है ही, ग्रेव इम्प्रोप्रायटी हो गयी। लेकिन इसके साथ मैंने यहां संवैधानिक प्रश्न इसलिये उठाया कि उन्होंने गोपनीयता की शपथ को भंग किया है। मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय व्यवस्था और जितने कराधान हैं, वित्तीय व्यवस्था क्या रहेगी, कौन-कौन मदें हैं, जिनमें खर्च होगा अगर इन बातों का उद्घाटन हो जाता है, तो गोपनीयता, जो आगे आने वाला बजट है, उसको भी भंग करना हो जाता है। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि जो वित्तीय व्यवस्था की गयी है। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 10 लाख रुपया जो अगले वर्ष खर्च करेंगे, इस बात को कह देना वित्तीय व्यवस्था की गोपनीयता को भंग करना हो जाता है।

मान्यवर, उदाहरण के लिये थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। समझ लीजिये सरकार को शहर भर में किसी साइज की ऊंचाई के जितने मकान हैं, आगे वित्तीय वर्ष के लिये किसी काम के लिये सार्वजनिक कार्य के लिये लेना है। इसमें कहीं कोई कराधान नहीं है। केवल मकान को लेना है। अगर यह किसी को पहले मालूम हो जाता है, तो आदमी को मौका मिल जाता है। वह जाकर इस बात की कोशिश करता है, व्यवस्था करता है कि उसके मकानात को न लिया जाय। या आपने व्यवस्था की समझ लीजिए कि 7 मंजिल वाले मकानों को लेंगे तो वह जाकर एक मंजिल को तुड़वा सकता है। इसी तरह से विधेयक आ जाते हैं। विधेयक में व्यवस्था रहती है कि आगे आने वाले समय में सरकार यह काम करेगी। अगर इसका उद्घाटन हो जाता है तो आदमी जाकर पहले ही सारी व्यवस्था कर लेता है। जो विधेयक की मंशा होती है, वह इस प्रकार से टूट जाती है, बाई पास उसको कर दिया जाता है। इसी तरह कोई भी मंत्री इस प्रकार की गोपनीयता बजट के संबंध में भंग करता है तो वह ग्रेव इम्प्रोप्रायटी है, गोपनीयता की शपथ को वह भंग करके अच्छा नहीं करता। इसलिये मेरा कहना है कि यहां आपके मंत्रि मंडल के वरिष्ट सदस्य, मुख्य मंत्री स्वयं या वित्त मंत्री अपना बयान दें, स्पष्टीकरण करें और फिर आप इस पर फैसला दें, नहीं तो पूरा सदन इसकी व्यवस्था करे, यह मेरा निवेदन है।

कारागार मंत्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, मैंने 3 बातें कही थीं। एक तो खेल खिलाड़ियों को जो सुविधा मिलती है या मिलेगी। दूसरे, मैंने स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के बारे में कहा था। तीसरे, इलाहाबाद के मेयो हाल के स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के बारे में। श्रीमन्, इन तीनों के फरवरी माह में आदेश शासन द्वारा प्रसारित कर दिये गये थे 4 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी को। उन

आदेशों की यदि कहें तो कापी दे दूं। इन आदेशों में जो लिखा था वह मैंने पत्रकार सम्मेलन में कहा था। उसका न तो बजट से संबंध है और न मंत्रि परिषद् की शपथ से। इस प्रकार आप देखें कि न तो मैंने मंत्रि परिषद् की गोपनीयता भंग की है और न बजट की गोपनीयता भंग की है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अभी से बहस करने से कोई फायदा नहीं है, देख लेंगे तब।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं इस पर कुछ कहना चाहता था लेकिन देख लें तब कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इसको देख लेंगे तब इसलिये दूसरे दिन लेंगे।

श्री ऊदल--

फैसला बाद में यदि देंगे तो मुझे भी दो शब्द निवेदन करना था। जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके आदेश पहले हो गये थे तब तो यह प्रश्न नहीं उठता और अगर यह बात नहीं थी तो 2-3 पहलुओं से इस पर विचार आपको करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

अगर मगर नहीं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, वित्त मंत्री जी का जो बजट भाषण है, उसको आप सेक्रेट डाकूमेन्ट मानते हैं कि नहीं और जब तक वित्त मंत्री का भाषण इस सदन के समक्ष न पढ़ लिया जाय तब तक उसमें लिखी बातों का जिक्र प्रेस में या बाहर चला जाय, तो मैं समझता हूं कि इससे गोपनीयता भंग होती है और विशेषाधिकार का हनन होता है। इन दोनों पर आप विचार कर लेंगे।

## सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, मैंने 301 में निवेदन किया है और वह विशेष परिस्थितियों के कारण निवेदन करना पड़ा है। मैं पहले 10 साल तक इस सदन का सदस्य रह चुका हूं, बीच में 7 साल नहीं रहा और पुनः अब आया तो मुझे बड़ा अन्तर दिखलाई पड़ा। वह अन्तर दो बातों में दिखाई पड़ा। पहला अन्तर कि अब यह सदन सदस्यों का न होकर नेताओं का है। नेता विरोधी दल खड़े होंगे तो 2 घंटे बोलेंगे, हमारे दल के नेता डेढ़ घंटे, छोट भय्या 15 मिनट आधा घंटा बोलेंगे और जो समय बचेगा वह मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। जो बाकी सदस्य हैं वह पीछे बैठकर ताली बजायें या कुढ़ें कि हम अपने क्षेत्र की बात नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रश्न किया था उसको कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार आज हाऊस में एक प्रकार की मरमरिंग की आवाज होती रहती है। इस वजह से सदस्यों की बीच झुंझलाहट आ गयी है। उसके लिये एक साथ दस दस आदमी खड़े होकर बोलने लग जाते हैं और वह हुल्लड़ करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो माननीय सदस्य यहां चुन कर आये हैं और कोई आवश्यक बात कहना चाहते हैं उनको अवसर नहीं मिलता। किसी नेता को सोने का वोट मिला हो और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह---]

किसी मामूली व्यक्ति को मिट्टी का वोट मिला हो, ऐसी बात नहीं है। सब माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और उनके क्षेत्र के लोग उनसे कुछ आशाएं रखते हैं कि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उनकी बातों को यहां रखेगा। लेकिन अवसर न मिलने के कारण जब हम अपने क्षेत्र की जनता की बातें यहां नहीं रख पाते और जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां हम खींचे जाते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय ( जिला गोंडा)---

खींचे जाते हैं, इसका क्या मतलब है ?

कुंवर श्रीपाल सिंह---

खींचे जाने का अर्थ त्रिवेणी सहाय जी बहुत सही बतला सकेंगे, उतना कोई नहीं बतला सकेगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब स्थिति इस स्थान पर पहुंच गयी है कि, जैसे कल की हालत थी, कोई जरूरी बात भी नहीं कह सकते। माननीय त्रिवेणी सहाय भी अपना बस्ता लेकर चले गये। मैंने कहा कि कहां जा रहे हो तो उन्होंने कहा कि मेरा इतना जरूरी काम था और इतना जरूरी बात थी कि कोई सुनने वाला नहीं, इस तरह से चिल्ला रहे हैं। मतलब यह है कि अनायास की चीजों पर हुल्लड़ खड़ा कर दिया जाता है और इससे जनता के धन का दुरुपयोग होता है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है और जहां तक मैंने मालूम करने का प्रयास किया है वह यह कि इस सदन के बैठने में प्रति मिनट 200 रुपया खर्च होता है। (कई सदस्यों के बोलने पर।) आप मेरी बात सुन लीजिये। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, परन्तु उसकी आज्ञा आपको देनी पड़ेगी। मेरा यह हिसाब है कि 200रु0 प्रति मिनट खर्च होता है, हो सकता है ज्यादा ही होता हो। यह जो इतना खर्चा होता है, मैं जानना चाहता हूं इधर के अपने मित्रों से कि क्या यह कांग्रेस पार्टी के कोष से आता है या कि करदाता जनता से आता है ? छः घंटे यह हाउस चलता है। अगर यह धन कांग्रेस के कोष से आता हो तो हम तैयार हैं 200रु0 प्रति मिनट अर्थात् 72 हजार रुपया पानी में फेंक दें। लेकिन यह 72 हजार रुपया उस करदाता की जेब से आता है जिसका पेट पीठ में सट गया है और जिसका पीठ पर का कपड़ा फट गया है तो उस पर पबन्द नहीं लगा पाया है। उसके खून पसीने का जो यह पैसा आता है, उसका दुरुपयोग करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

क्या आप कल की घटना पर बहस कराना चाहते हैं ? अगर उस पर बहस कराना चाहते हैं तो बतला दें ताकि हम भी उस पर बोलें।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

मैं यही बात निवेदन कर रहा हूं। मैं पिछली सीट पर बैठा हूं इसलिये मेरी बात नहीं सुनी जाती। राय साहब अगली सीट पर बैठे हैं तो वह चिल्ला सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि यह चीज रुके। जैसा मैंने कहा कि क्या प्रजातंत्र में विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो जिनको भ्रष्ट कहते हैं, इन मंत्रियों को दिन में 2 हजार मर्तबा भ्रष्ट कहते हैं, इन भ्रष्ट लोगों के साथ बैठने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है तो इस्तीफा देकर चलें बाहर और गांवों में घूमें और जनता के सामने इनके भ्रष्टाचार की शक्ल

दिखायें और वहां से जीतकर इन कुर्सियों पर बैठें और अगर प्रजातन्त्र में विश्वास है तब यह होगा और नियम के अनुकूल चलना होगा चाहे वह पक्ष में हों या विपक्ष में जब तक कि इसके साथ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि, इनका पालन नहीं होगा तो यह सदन कभी नहीं चल सकता और जहां तक मेरी स्मरण शक्ति जाती है, कदाचित मैंने पिछले साल भी इसी बात को कहा था और साल भर में वह आज समय आ गया कि नियमों का पालन न करने के कारण यह स्थिति आ गई। इसलिये प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है, तो किसी तन्त्र में विश्वास नहीं हो सकता और अगर है तो नियमों के अन्दर रह कर हमें उसका पालन करना होगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, आप हमें क्षमा करेंगे, अध्यक्ष सदन का मालिक नहीं होता है। अध्यक्ष सदन का सेवक होता है और सेवक होने के कारण सदन की आज्ञा का पालन करता है। हम चाहते हैं कि हम जो कहें वही नियम आप मान लें और जब तक वह नियम प्रक्रिया में नहीं है तब तक यह कहना कि हम कहते हैं उसे मान लिया जाय, यह नियमानुकूल नहीं है और उसी के लिये यहां हो-हल्ला होता है। आप प्रक्रिया की नियमावली के शब्दों का पालन करें और उसी का पालन करायें नहीं तो यह सदन चलने का नहीं है और इसके न चलने से बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जायगी और प्रजातन्त्र समाप्त हो जायेगा और सभी के अधिकार समाप्त हो जायेंगे।

श्री राम अधार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने नियम 301 में एक सूचना दी है कि सदन में इसकी चर्चा हो कि यह सदन अच्छी तरह से चले और नियमानुकूल चले, तो उनकी जो बातें हैं वह उन्होंने रखीं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपके कक्ष में बैठ कर और हम सभी लोगों को बुलाकर यह बात की जा सकती है, लेकिन आपने उन्हें आधा घंटा अपनी बात कहने का मौका दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत यह हक मिला हुआ है और वह चर्चा चाहते हैं कि यह बात उन्होंने रखी, इस पर विचार करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, 301 के अन्तर्गत मैंने कई बार आपको सूचना दी, लेकिन बार-बार आपके कार्यालय से सचिव का पत्र आ जाता था। मुझे क्यों नहीं मौका दिया गया?

श्री अध्यक्ष--

आपका कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। मैंने कह दिया था कि आप प्रश्न कर सकते हैं। (व्यवधान) आप इससे उसको मत जोड़िये। कुंवर श्रीपाल सिंह ने 301 के अन्तर्गत यहां की प्रक्रिया सम्बन्धी जो सुझाव दिया है उस पर चर्चा की मांग की है। हम उस पर सभी नेताओं की बैठक में बात चीत करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे।

## चिनहट, लखनऊ की भूमि पर अवैध कब्जों सम्बन्धी वक्तव्य का स्थगन

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपूर)--

चिनहट, लखनऊ की सरकारी भूमि पर सरकारी अफसरों व नेताओं द्वारा तथा कथित अवैधानिक कब्जे के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य आज न लिया जाय। उसे कल के लिये मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। इसे आज मुल्तवी किया जाता है और कल इसे ले लिया जायगा।

(व्यवधान)

## नियम 56 के अन्तर्गत कतिपय सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत मेरे पास कुछ सूचनायें आई हैं। इनमें से कुछ पर 56 के अन्तर्गत नहीं, नियम 51 के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है। एक है अनुसूचित जातियों के छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति न मिलना, दूसरा सत्य प्रकाश मालवीय तथा शफीकुर्रहमान बर्क का कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी, लखनऊ में तथा कथित व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। इनको मैं 56 में स्वीकार न करके 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लेता हूं। (व्यवधान)।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

एक मेरा भी है प्रदेश के एक वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी की लड़की को अवांछनीय तत्वों द्वारा गोली मारने के सम्बन्ध में। यह लड़की कुमारी सुजाता है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

शेष मैं अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक स्कूलों के 4 हजार टीचर्स को वेतन नहीं मिल रहा है। दो माम से उन्होंने उपवास करने का निर्णय लिया है। (व्यवधान)।

## वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, आय व्ययक पर सामान्य चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस सदन के इतिहास में अतः पहला अवसर है जब किसी माननीय वित्त मंत्री ने इतना लम्बा भाषण बजट पर दिया हो। यह केवल पन्नों का भाषण नहीं है बल्कि आप यह देखेंगे कि 1 हजार करोड़ रुपये का यह बजट है।

मान्यवर, अगर इस बजट को देखें तो ज्ञात होगा कि आय और व्यय का संतुलन किस प्रकार किया गया है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहने के लिये तैयार हूं कि इस प्रकार का बजट पहले के किसी भी वित्त मंत्री ने इस सदन में पेश नहीं किया था।

---

† 20 मार्च, 1975 की कार्यवाही से।

अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस की बात है कि नेता विरोधी दल या जनसंघ के नेताओं ने, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब राज्यपाल के अभिभाषण पर यहां चर्चा हो रही थी, तो चार-चार घंटे का भाषण दिया था और उनके भाषण को इधर के बैठने वालों ने मुख्य मंत्री से लेकर पीछे की बेंच में बैठने वालों तक ने बहुत मौन से सुना था लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब हमारे वित्त मंत्री जी ने 54 पेज का भाषण शुरू किया जिसको सवा दो घंटे से ज्यादा समय में नहीं पढ़ा, नेता विरोधी दल ने उस भाषण को सुनना पसन्द नहीं किया और सभी सदस्य नाराज होकर चले गये। यह सदन के इतिहास में पहली घटना है। जब मैं उस पक्ष में बैठता था और नेता विरोधी दल इधर बैठते थे और हम सब जब कभी वाक आउट करते थे तो हमारे नेता त्रिलोकीसिंह कहा करते थे कि हम वाक आउट करने के लिये नहीं आये हैं, वाक आउट करो तो सदा के लिये करो। यह क्या है कि क्षण-क्षण भर के लिये वाक आउट किया जाय। मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे हमारे दो घंटे के भाषण को नहीं सुन सकते हैं तो उनके चार घंटे के भाषण को हम कैसे सुन सकेंगे। यदि आप किसी के दिल को जीतना चाहते हैं तो अपने आचरण एवं अपने कामों से इधर के बैठने वालों के दिलों को जीतें।

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र क्या है ? लोकतंत्र लाठियों से नहीं चलेगा, बन्दूक से नहीं चलेगा, किसी को मजबूर करके विचारों को लादा नहीं जा सकता। हम यहां पर अपनी-अपनी बातों को रखने के लिये बैठे हैं। आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखें, बहुमत जिधर हो जायेगा, वही फैसला हो जायेगा। जब हम विरोधी दलों की बातों को सुनते हैं तो उन्हें भी हमारी बातों को सुनना चाहिये। "वायदे-वायदे जायते तत्व बोधः"। ऐसी दशा में लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें यही लोकतंत्र का नियम है। जनता उस पर फैसला करेगी और उसका निर्णय ही सर्वमान्य होगा। आप वाक आउट करें, हमारी सभाओं में विघ्न डालें, उनमें बाधायें खड़ी कर दें, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र नहीं चल सकता, व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। सामने के सदस्य लोकतंत्र के दुश्मन हैं, यह कहने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने इस बजट में प्रदेश के अन्दर जो छोटी-छोटी झोपड़ियों में निराश्रित विधवायें हैं उन्हें पेन्शन देने की व्यवस्था की है। ऐसे 2200 व्यक्तियों को और 21900 विकलांगों को रोजगार देकर ऐसा सबूत इस सरकार ने कायम किया है जिसको पिछली किसी सरकार ने नहीं किया था। पिछली सरकारें जिसमें चौधरी साहब भी थे, उन्होंने विकलांगों के लिये, विधवाओं के लिये निराश्रितों के लिए क्या किया है ? इस सरकार को ही इस बात का सौभाग्य प्राप्त है। इन निराश्रितों, विधवाओं, विकलांगों, बहरों-गूंगों के उत्थान के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं, उसकी ओर यह बजट इशारा करता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि अगर इस प्रदेश को खड़ा करना है तो इसके दो ही तरीके हमारे प्रदेश में हैं। प्रदेश की करीब 70/75 प्रतिशत जनता खेती-बारी में लगी है और 15/20 फीसदी ही अन्य कामों में लगी है। जमीन का जो भार है खेती के बारे में जो माननीय नेता विरोधी दल की बात है हम उसका समर्थन करते हैं। सरकार को खेती पर खर्च में प्राथमिकता देनी चाहिये। हमारे वित्त मंत्री जी ने, इस बजट में देखे कि सबसे ज्यादा खर्च, खेती पर है, मैं यह कहने में अत्युक्ति नहीं करूंगा, अधिक खर्च बिजली, खेती, सिंचाई के कामों के लिये किया गया है आप देखेंगे कि बजट का करीब 1/2 हिस्सा हमने खेती पर खर्च के लिये रखा है। बिजली को हम तेजी से साधनों को जुटा कर फैलाव करना चाहते हैं।

हम अपने प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं इसीलिए इस बजट में विद्युत् के लिए 181 करोड़ खर्च करने का प्राविधान है। इससे पहले की जितनी सरकारें थीं किसी ने 181 करोड़ खर्च नहीं किया था, किसी भी सरकार ने हरिजन बस्तियों तक बिजली पहुंचने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस सरकार ने किया।

[ श्री राम सुन्दर पाण्डेय ]

सिंचाई के लिये मैं मानता हूं कि जब तक धरती माता प्यासी रहेगी तो अन्न पैदा नहीं हो सकता है। धरती की प्यास बुझानी है तो उसके लिये चप्पे-चप्पे में सिंचाई का प्रबंध करना होगा उसके लिये पानी बिखेरना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि लोगों को कुछ तकलीफें, भी उठानी पड़ेंगी प्रदेश की जनता को तकलीफ उठानी पड़ेगी। श्रीमन्, उस तकलीफ को उठाने के लिये प्रदेश की जनता तैयार है। लेकिन हमारे सामने बैठने वाले जो हल्ला करते हैं हमको सिंचाई के साधन चाहिये, हमको बिजली चाहिये, हमको रोजी रोजगार चाहिये, हमको उद्योग धन्धे चाहिये। लेकिन जब उद्योग धन्धे चलाने की बात आती है तो यहां पर अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर सामने हाजिर हो जाते हैं। तो इसके लिये हमने 50 करोड़ 38 लाख इस बजट में रखा है। हमारे यहां गरीबों को कठिनाईयां हैं उनकी बेकारी को दूर करने के लिये 33 करोड़ 66 लाख रुपया बड़े उद्योग धन्धों में लगाने के लिये फैसला किया है। इसके अलावा सड़क, परिवहन, शिक्षा की जो मदें हैं उनमें सरकार ने जितना पिछले सालों में 1974–75 में खर्च आंका था उतना ही खर्च करने का प्राविधान किया है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कहीं पर सूखा पड़ा तो कहीं पर बाढ़ों से प्रभावित हुआ। हमारे प्रदेश में हर तरह से परेशानियां आईं। उन परेशानियों से प्रभावित होने के बाद भी आप देखेंगे कि इस सरकार ने कितना किया। आपको मालूम है कि इस सदन में जितने दल बैठे हुए हैं उनमें से कोई ऐसा दल नहीं है जिसको इधर बैठने का मौका न मिला हो। हम उधर भी बैठे हैं हमने उनके कामों को देखा आप पिछले बजटों को पढ़ें 1952 से 1967 के बजटों को और उस समय की सरकारों के कार्यों को देखें। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई बजट आपको देखने में नहीं मिलेगा, जिसमें हरिजन छात्राओं के लिये इतना रु० प्राविधान किया गया हो। इसमें 80 हजार छात्राओं के पढ़ने के लिये, मुफ्त पढ़ने के लिये प्राविधान किया है। विकलांगों और छोटी जाति के लोगों के लिये जिन पर हमेशा अत्याचार होता है, इतिहास देखें जो गरीब हैं, जो पद–दलित हैं उन पर कोई अत्याचार करता है, मुकदमा चलाता है तो उनको मदद करने के लिये सरकार ने अपनी ओर से पैसा देने का प्राविधान किया है उसके लिये एक लाख रुपया का प्राविधान किया है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं 7 जिले इससे प्रभावित हैं उनकी सहायता के लिये, वहां पर खेती बाड़ी की उन्नति के लिये इस बजट में करीब-करीब 28 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार से निजी सिंचाई में आज तक आपने नहीं देखा होगा उसके लिये 46 करोड़ इस बजट में खर्च किया जायेगा। इसी प्रकार 925 कुओं, 10425 पंपिंग सेटों, 910125 नलकूपों को लगाने की व्यवस्था है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि वे बता दें कि जब आपकी सरकार रही तब आपने कितना रुपया सिंचाई के बारे में खर्च किया। स्पष्ट है आपने उसमें कोई उल्लेखनीय खर्च नहीं किया, उसकी ओर कोई समुचित ध्यान नहीं दिया। आजतक जितनी भी गवर्नमेंट्स रहीं उन्होंने कभी भी खेती बारी में आधा हिस्सा छोड़ा नहीं। जहां तक इस प्रदेश की उन्नति करने की बात है, सरकार को चलाने की बात है, और प्रदेश की जनता को सुख-सुविधा देने की बात है और अगर अपने प्रदेश को हर प्रदेश के मुकाबले में खड़ा करना है, तो उस दृष्टि से हमारे इस बजट में जितना प्राविधान किया गया है, उसको देखने से मालूम होता है कि प्रदेश का कोई भी अंग छूटा नहीं है कोई दिशा ऐसी नहीं छूटी है, जिस पर सरकार और उसके वित्त मंत्री ने कुशलता और सूझबूझ के साथ अपना दृष्टिकोण न रखा हो। 12 कताई मिलें प्रदेश में खोलने की बात है, जहां यहां 25 चीनी मिलें खुल रही हैं, 15 लाख हथकरघे वाले इसमें काम करते हैं, और 45 लाख मीटर कपड़ा उसमें पैदा होता है। उसकी खपत के लिये भी सरकार ने प्रगतिशील

कदम उठाए हैं उसकी खपत के लिये सरकार ने समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया है और कर रही है और उनकी अब अच्छी खपत हो रही है।

सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी बड़ी खराब परम्परा रही है। हमारा बजट का सत्र मार्च या अप्रैल म शुरू होता है और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीने में जो बरसात का मौसम होता है, उस वक्त हमारे बजट के संचालन करने वाले कर्मचारी और अधिकारी शान्त बैठे रहते हैं और फिर फरवरी के महीने में तारों के जरिए से वह धनराशि खर्च की जाती है। इसलिये इस सम्बन्ध म हमारे देश में दूसरी परम्परा होनी चाहिये और हमारे खर्च का सत्र जुलाई से प्रारम्भ होना चाहिये।

एक निवेदन यह करूंगा कि हमारे प्रदेश में बहुत सी नदियां हैं, जिनके कटान से हजारों एक ड़ जमीन हर साल कट जाती है, जिससे जन धन की बड़ी तबाही होती है। अच्छे-अच्छे लोगों की जमीनें और उनके मकान कटकर नदी में विलीन हो जाते हैं, जिससे उन्हें खाना बदोश होकर घूमना पड़ता है। इसके लिये कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है, वह अवश्य होनी चाहिये। यदि हजारों ऐसे परिवारों को बसाना है तो नदियों का जो कटान होता है, उसको रोकना है। हमारा देश दुनियां के छठे देश में गिना जाता है। रूस और चीन ने अपने देश में नदियों को गहरा कर लिया है। लेकिन हम दो-चार करोड़ रूपया खर्च करके अपने देश में हजारों लोगों को बर्बाद होने से नहीं रोक पाए हैं, यह बड़ी शोचनीय बात है।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार नौकरशाही के मन को, दिमाग को परिवर्तित नहीं कर पाई है। यदि देश में समाजवाद लाना है, विधान सभाएं जो कायदे-कानून पारित करती हैं, उनका कार्यान्वयन कराना है और यदि देश के छोटे लोगों को भी राहत देनी है तो जो नौकरशाही है, उसके काम में भी हमें परिवर्तन लाना है.....

(व्यवधान)

श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)--

अरे यह तो बता दे कि गेहूं का रेट आपने क्या रखा है ? आपकी सरकार ने क्या रेट रखा है, यह तो बतावें फिर बोलें।

श्री राम सुन्दर पान्डेय--

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुलतानपुर)--

यह जो बजट चलता है..... (व्यवधान)

(श्री गोरेलाल शाक्य भी साथ में खड़े हो कर कुछ कहने लगे।)

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

आज ही एक दिन को बोलना है। बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। आपसे निवेदन है समय की कुछ ऐसी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष--

वह ठीक है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

जब आप लाल बत्ती जलाते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

तो सात मिनट कर देंगे ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

भाषण समाप्त होने से दो मिनट पहले लाल बत्ती जलती है । बत्ती बुझ जाने के बाद भाषण समाप्त हो जाना चाहिये । लेकिन दो मिनट से पांच मिनट नहीं जलना चाहिये । आप घड़ी देखें । बत्ती दो मिनट के बजाय पांच मिनट तक जलती रही । इन्हीं छोटी-छोटी बातों पर जब ध्यान दिया जायगा तब सदन कायदे से चलेगा ।

श्री अध्यक्ष--

जैसा माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने सुना होगा, माननीय रामसुन्दर पांडेय आखिर में कह रहे थे कि जो राजस्व साल है, जो वित्तीय वर्ष है, वह 31 मार्च को समाप्त होता है वह 30 जून तक चले । वह एक नयी चीज कह रहे थे जिसको किसी ने नहीं कहा । जब युक्तियुक्त कोई नयी चीज कोई कहता है तो उसको समय दे दिया जाता है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

उन्होंने एक नयी बात कही .....

श्री अध्यक्ष--

उस पर बहस नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि आज इस बजट का रुपया लेने वालों के लिए भी दोषपूर्ण है और हम लोगों का पास करके देना भी महापाप है । बजट का सारा का सारा रुपया परनाले की राह से बहकर अधिकारी, कर्मचारी और ऐसे भ्रष्ट लोगों की जेब में चला जा रहा है, जिस का कोई हद हिसाब नहीं है । मान्यवर, आपने देखा होगा कि हर अखबार रोज भरा पड़ा रहता है कि फलां जगह 64 लाख का गबन, फलां जगह 7 लाख का गबन, 4 लाख का गबन, कहीं 27 लाख का गबन, कहीं 25 लाख का गबन है । कहीं सिंचाई विभाग में 37 लाख का गबन पकड़ा जाता है, कहीं विकास विभाग में 23 हजार का 23 लाख बना कर बी० डी० ओज० ने खर्च कर लिया है । किसी तरह की कोई भी रोक नहीं आज इस रुपये को ऐसे मंत्रि परिषद् के हवाले कर देना बिलकुल ऐसा ही है जैसा मृग को किसी बधिक के हाथ में देना ।

मैं 6 तारीख को देवरिया जिले में गया था । नहर विभाग की कुछ शिकायतें थीं जिसको ले कर माननीय मंत्री जी को लिखा था । उन्होंने एक अच्छे अधिकारी को इनक्वायरी में भेज दिया था । उसको साथ ले कर हम गये वह भी दिन भर बिना खाये पिये बिलखता रहा । खराब काम देख कर उसकी आंख से आंसू निकल पड़े । इस देश का होना क्या है । जो पुलों पर गिट्टियां पड़ी थीं वह हाथ से निकली जा रही थी, जब सीमेन्ट बालू का एक ओर दो का रेश्यो होना चाहिये । लोहे की छड़े बाहर दिखाई पड़ रही थीं । उसकी जिम्मेदारी जिन नागिया असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पर थी वह भी मौजूद थे । उन्होंने उसको दिखा कर उनसे कहा कि इस रुपये को तुम ने क्यों पानी की तरह बहाया है ? एक किसान का 15 सौ रुपये का बैल सड़क के मोड़ पर इतना खाली गड्ढा कर दिया गया था कि उसमें गिर कर मर गया । इस तरह से जहां यह कर्मचारी और अधिकारी लखपती और करोड़पती बन रहे हैं वहीं किसान मजदूर अपने पसीने की कमाई से बजट में पैसा देने वाले तबाह हो रहे हैं । सिंचाई मंत्री नहीं हैं । उनसे मैं बताना चाहता था । कि एक उनके ओवरसियर, जूनियर इंजीनियर बहराइच में काम कर रहा था । उसने

4 लाख रुपये की कोठी बनारस में बनवायी है ? देखें और जांच कर एक कोआपरेटिव का सुपरवाइजर जिसने हमारे क्षेत्र में 8–10 साल काम करके 36 एकड़ खेत खरीदा और दो ट्युबवेल लगे हुए है। किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। बजट में उनसे पैसा ले कर या तो अधिकारियों के दलालों की जेबे भर रही है या अधिकारियों की कोठियां चमक रही हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक इसके लिये कोई रोक न लगे, उस प्रनाले को बन्द करने का कोई रास्ता न निकाल लें तब तक उस पैसे को खर्च न करेंऔर इस खर्चे को पाप समझें उन अधिकारियों को देना।

अभी मैंने एक सवाल उठाया कि 44 लाख रुपये की ग्रांट नारायणी बांध के लिये रखी गई। उसमें से 22 लाख रुपये के तार का आर्डर दे दिया गया और कमीशन लेकर पेमेन्ट भी कर दिया गया। तार बिला जरूरत आया था। और आप को मान्यवर ताज्जुब होगा कि तार के बंडल वैसे के वैसे ही नारायणी नदी में फेक दिये गये। बांस की फंटियां, जाल की बनावाई तथा बोल्डर्स के भी कीमत लाखों रुपये ले लिये गये। नदी के अन्दर से तार के बन्डल बरामद हो गया है। वह आदमी शारदा सहायक में बाराबंकी एस० ई० होकर आ गया है। अगर इसी तरह से रुपया बहता रहेगा, इसी तरह से देश के रुपये की लूट होती रहेगी तो देश का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। खून पसीने की कमाई वाले की हालत देखिये जो पैसा देता है वह चिथड़ों में लिपटा रहता है और इन अधिकारियों की लूट देखिये। जब तक उस अधिकारी पर मुकदमा नहीं बनता है तब तक उसको लखनऊ आफिस में बुला लीजिये जहां पैसे की आमदनी न हो। आपने उसको वहां भेज दिया है जहां वह करोड़ों रुपये का घपला कर सकता है। रोज लाखों करोड़ों रुपयों का घपला होता है। कहीं बजरा कांड होता है, कहीं बिजली कांड होता है। लाखों रुपये का सामान बिजली का चोरी जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कीमती सामान कमीशन के लिये खरीदकर स्टोर में बेकार पड़ा रहता है।

मान्यवर मैं आपके द्वारा यह कहूंगा कि इस रुपये की हिफाजत का इंतजाम मंत्री परिषद् करे। अगर कोई कानून नहीं है तो ऐसा कानून अवश्य बना लीजिये कि जो इस तरह से घूसखोर कर्मचारी और अधिकारी हैं या जनता के वोट से चुने हुये लोग पकड़े जायं तो उनको उस कानून के अन्दर सख्त से सख्त सजा दी जा सके ताकि लोगों के अन्दर डर पैदा हो और यह चीज रुक सकें।

(इस समय 12 बजकर 58 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र नैपाल की तराई से सटा हुआ है। आज से 10/12 साल पहले की बात है कि वहां पर 10/12 बदमाशों को पकड़ने के लिये दो डिवीजन फौज भेजी गई थी। लेकिन वे पकड़े न जा सके। चीन भाग गये मैंने उस समय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि अगर कहीं बड़ा हमला हो गया तो हमारे देश की क्या दशा होगी जब कि 10/12 आदमियों को पकड़ने के लिये आपकी इतनी फौज बेकार हो गई। बरसात हो जाने पर फौज जहां पड़ी थी वहां से हिल नहीं सकती थी। क्योंकि सीमा पर सड़क नहीं थी नतीजा यह हुआ कि लोग भाग कर चीन चले गये। तत्कालिक मुख्य मत्री ने सड़कों के लिये उस समय सारी स्कीम बनवाई और सर्वे वगैरह कराया मगर चन्द गज मिट्टी पड़ जाने के अलावा और कोई काम नहीं हुआ। पिछले साल दस लाख रुपया मिट्टी डालने में लगाया गया। मैंने उस समय भी कहा था और मंत्रि–परिषद् को भी लिखा था कि अगर जगह-जगह पर पुल बनाने का इंतजाम नहीं किया जायगा तो सारी मिट्टी बह जायगी। इस काम के लिये ढाई लाख रुपया रखा गया था। लेकिन पता नहीं वह किस मद में खर्च हो गया कि एक पुल भी नहीं बना। जैसा कि हमने कहा था सारी मिट्टी बर्बाद हो गई और वहां सारी सड़कें ऊबड़ खाबड़ होती चली जा रही हैं।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

मैं अपने माननीय सदस्य ईश्वरी सिंह जी से कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि विरोधी दल भ्रष्टाचार का डैफीनिट चार्ज लगाये और यदि मंत्रि परिषद् कार्यवाही नहीं करेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। माननीय नेता विरोधी दल ने भी भ्रष्टाचार के कम से कम 5–6 डैफनिट चार्जेज लगाये हैं और मैं भी उनके लिये एक चीज दे रहा हूं। मैं इस उम्मीद से दे रहा हूं कि माननीय ईश्वरी सिंह जी जो बुलन्दशहर से आये हैं इस पर विचार करेंगे और अपनी उस बात को याद करेंगे जो उन्होंने कही थी। मान्यवर, ये लघु उद्योग विभाग के ज्वाइन्ट डायरेक्टर जनरल और उन्हीं के विभाग के एक और उच्च अधिकारी ने मिल कर पिछले साल अपने लड़के के नाम से लाइसेंस लिया है उद्योग बनाने का और उसी दिन जिस दिन उस फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया है, परमिट हासिल करा लिया। श्रीमन्, मैं सब दे चुका हूं माननीय लघु उद्योग मंत्री जी को, उसी दिन उन्होंने सरिया, लोहे की चादरें और चीजें कम से कम 50 हजार रुपये के नफे की ली और लेकर ब्लैक कर दिया और अब वह फर्म खत्म हो चुकी है, जब कि यह कायदा है कि जिस रोज रजिस्ट्रेशन हो उसी रोज परमिट न दिया जाय, लेकिन अब सरकार यह कर रही है कि "अंधा बांटे शीरनी घरे घराने खाय" उसी तरह आज की सरकार सारे बजट के पैसे को अधिकारी, कर्मचारी और उनके जो मेल मिलाप के ठेकेदार आदि हैं वही लोग खा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय हो गया, आप अब समाप्त करें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

तो मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा माननीय सदन के सदस्यों से और माननीय मिश्रा जी से कि वह कम से कम इस लूट को देखें। जब तक पानी के बहाने का उपबन्ध न हो जाय, तब तक इस बजट के पैसे को न दे।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो 75–76 का पेश है.....

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुलतानपुर)—

मान्यवर, झगड़ा करें उधर वाले और समय कम हम लोगों को मिलता है। हम लोगों को ज्यादा समय मिलना चाहिये।

श्री काशी नाथ मिश्र—

इस बजट में और इस चनाव घोषणापत्र में जो बातें कही गई हैं उसके मुताबिक यह 75–76 का बजट नहीं बना है। मान्यवर, यह बजट बिलकुल ट्रेडिशनल है। जिस तरीके से बजट अब तक बनते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार का यह बजट है। हमारे एलेक्शन मैनिफेस्टो में और चुनाव घोषणा-पत्र में जो अभिलिखित बातें हैं उनके उद्देश्यों की प्राप्ति इस बजट से नहीं होती है, जो जो बातें कमजोर वर्गों को करने के लिए कही गई हैं। या प्रशासन या योजना के सुधार या किसान या जनता के लिए कहीं गई हैं इस बजट से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

मान्यवर, कहा गया है कि छोटी जोत वाले किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की जाएगी। पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी एवं दक्षिणी पठारी इलाकों के क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी योजनायें प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित की जायेंगी। श्रीमन्, मैं आपके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

जहां इस आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि पूर्वी जिले गोरखपुर, बस्ती और बलिया में गरीब, भूमिहीन किसान अपना जीवन किस गरीबी के साथ व्यतीत करते हैं। अगर 3-4 करोड़ आदमी पूर्वी जिले में रहते हैं तो उसी हिसाब से पूर्वी जिलों का बजट भी होना चाहिए। यह पूर्वी विकास के लिए जो योजना बनाई गई है, बिलकुल मखौल है। आज बेरोजगारी की हालत बढ़ रही है और आप योजना बनायेंगे पहाड़ों की सड़कों पर खर्च करेंगे, पहाड़ों पर खर्च करेंगे, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन जो योजना आपने बनाई, जो प्राविजन किया श्रीमन् इसी में लिखा हुआ है कि 154 वर्गमीटर भूमि एक-एक भूमिहीन को देंगे जिनके पास जमीन नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पिछले साल कहा था कि भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाएगी और ग्राम समाज के जो अवैध कब्जे हैं, सारी जमीन निकाल कर गरीबों में बांटी जाएगी 21 मार्च 1975 तक, लेकिन जमीन का सवाल अभी पड़ा हुआ है।

मंगलदेव विशारद कमेटी ने कहा था कि बड़े-बड़े लोगों ने भूमि को हथिया लिया है। सरकार उस तरफ कोई कदम नहीं उठा रही है कि उस भूमि को गरीबों में बांटा जाए। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार का सबूत दें, लेकिन आपके भी विभाग में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। भारत के महालेखाकार की रिपोर्ट की कुछ कड़ियां मैं पढ़ता हूं। उस रिपोर्ट के पृष्ठ 9 पर लिखा हुआ है कि "धारा 30 के उपबन्धों के अधीन प्रार्थना-पत्र विचारणीय नहीं था लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी ने कर निर्धारण आदेश के तामील की तिथि में अन्तवेशन के द्वारा 16 सितम्बर, 1968 के स्थान पर 16 अक्तूबर, 1968 बना दिया। इस प्रकार व्यापारी द्वारा 12 और 13 नवम्बर, 1968 को जमा की गयी स्वीकृत कर की बकाया धनराशि को निर्धारित समय के अन्दर लाकर नियमानुकूलित करना चाहा था।" देखिए कितना घपला हो रहा है। तारीख बदल देते हैं और लाखों रुपया गबन करते हैं कर निर्धारण करने में अधिकारियों और व्यापारियों की साठ-गांठ से 34.77 लाख रुपये का गड़बड़ हुआ है, केवल बिक्री कर में।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह सारी चीजें आडीटर जनरल ने दी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के अधिकारी के खिलाफ कुछ कदम उठाए गए?

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र---

कुछ और समय बोलने के लिए दे दें। प्रदेश की शान्ति. व्यवस्था, सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण कार्यवाही सम्बन्धी विवरण, 1974 का सूचना विभाग की ओर से प्रकाशित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

पढ़ लिया गया होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

3 मिनट और चाहता हूं। इस किताब में पृष्ठ 18 पर दिया हुआ है कि निलम्बित किए गए अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या 31, सतर्कता अधिष्ठान को सौंपी गयी जांचों की संख्या 482, सतर्कता अधिष्ठान से प्राप्त आख्याओं की संख्या 378, प्रशासना-

[श्री काशीनाथ मिश्र]

विकरण को अभिदिष्ट किए गए मामलों की संख्या 29, और प्रशासनाधिकरण से प्राप्त अन्तिम आख्याओं की संख्या 10। इसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। इस के फलस्वरूप केवल 11-12 पर कार्यवाही हुई है। छोटे अधिकारियों पर कार्यवाही होती है और बाकी की रिपोर्ट यहां पर पड़ी रहती है। अफसरान रोज सेक्रेटेरियट दौड़ते हैं। मेरा आरोप है कि उनकी फाइलें यहां पर दबी पड़ी रहती हैं। यह शासन भ्रष्टाचार की ओर चला जा रहा है। न्याय और शासन की व्यवस्था ढीली होती जा रही है। आज हम देखते हैं कि ट्रेन में यात्रियों को लूट लिया जाता है। पहले इस तरह के मामले नहीं सुनाई पड़ते थे। आपको मालूम ही होगा अभी अपर इंडिया एक्सप्रेस को लूट लिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने में सफल नहीं हो पा रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

जो जुआ, जुल्म, बलात्कार, मदिरा के महाप्रचारी हैं, वे भ्रष्टाचार निरोध समिति के महामहिम अधिकारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रत्येक आदमी को नसीहत न दिया करें। यदि आप अनावश्यक बाधा पैदा करेंगे तो मुनासिब न होगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, मैं आपका हृदय से आभारी हूं, कि आपने मुझे सामान्य बजट पर चर्चा करने और बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो अपना बजट भाषण दिया उसको मैंने बड़े गौर से सुना और पढ़ा। श्रीमन्, यह सरकारी विभागों की प्रगति रिपोर्ट एवं काम चलाऊ बजट है। न तो यह समाजवादी है और न गरीबी एवं भ्रष्टाचार को ही मिटाने वाला बजट है। साथ ही अमीर और गरीब की खाई को चौड़ा करने वाला, किसान विरोधी, सारहीन एवं परिणाम शून्य बजट है। इसके अन्तर्गत जैसा कहा गया है इसमें कृषि के ऊपर 50 करोड़ 48 लाख रुपया, बिजली के ऊपर 181 करोड़ 75 लाख रुपया, सिंचाई के लिए 70 करोड़ 67 लाख रुपया और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 33 करोड़ 66 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

अभी मेरे बोलने से पहले माननीय अब्दुल रऊफ लारी ने भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि रुपये के बांट देने के प्रदेश की कोई प्रगति नहीं होने वाली है। मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि बजट में आबंटन कर देने से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक, श्री अधेन्दु बक्सी द्वारा हस्ताक्षरित वर्ष 1972-73 की जो रिपोर्ट है उसको आद्योपान्त पढ़ा है। उसके पृष्ठ 57-58 पर दिया हुआ है कि शारदा सहायक परियोजना पर 7.74 लाख रुपया बरबाद किया गया है गलत योजना के बन जाने के कारण। इसके अलावा जिला बहराइच में बघेल झील से एक प्रणाल (ड्रेन) के निर्माण की गलत रिपोर्ट कर देने से 2.95 लाख रुपया व्यर्थ में खर्च हुआ है। यही नहीं बल्कि जो सरकार के लोग हैं, वे सरकार को भी धोखा देते हैं और उस पर गलत रिपोर्ट दी जाती है। भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की अग्रिम रिपोर्ट के पृष्ठ 5 पर सारी बात अंकित हैं। इसके अलावा लघु उद्योग के बारे में 4 फरवरी, 1975 के नेशनल हैराल्ड में दिया हुआ है कि 27,000 औद्योगिक पंजीकृत इकाइयों में से 12,000 बन्द हैं और इस बारह हजार की संख्या में से भी 5 हजार फर्जी हैं। इस प्रकार से रुपये का दुरुपयोग हो रहा है और मौके पर व्यवहारिक रूप में नहीं आता है।

कहा जाता है कि इतने कुएं बनाया जाना, इतनी सड़कें और इतने ट्यूबवेल्स बनाया जाना निर्धारित किया गया है लेकिन अगर गांवों में मौके पर उस रुपये का वास्तविक रूप में

उपयोग नहीं होता है तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं माननीय, आपके द्वारा; सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं--कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मूल्यांकन, निरीक्षण एवं सतर्कता विभाग खोला जाय, जो--

(1) सीधे शासन के प्रति उत्तरदायी न होकर विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो और जो हर जिले में इस विधान सभा के अन्दर जो निर्णय हों या जो कार्य होने हों, वे गांवों में उस विभाग द्वारा होते हैं, या नहीं, उनकी एक रिपोर्ट इस विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें, और या

(2) लोक लेखा समिति के प्रति उत्तरदायी हो और अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा घोषित कार्य-क्रमों को अमल रूप में लाया गया है कि नहीं, इसकी देख रेख करे और मासिक रिपोर्ट दे।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है मैं यह जानना चाहता हूं कि 59 करोड़ की जन-संख्या में से देश भर में 39 करोड़ जनता अशिक्षित है। हमारी प्राइमरी पाठशालायें अभी तक भी पेड़ों के नीचे लगती हैं। आज का अध्यापक आन्दोलित है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा का निःशुल्कीकरण किया जाय और शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाय। इसके अतिरिक्त हमारे बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वह रोजगार-मूलक होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं अस्पतालों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में 200 शय्याओं का विधान किया गया है। दुनियां के किसी भी देश में जितनी भारत के अन्दर जड़ी-बूटियां मौजूद हैं उतनी नहीं हैं। इस प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने के लिए जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं उनको अधिक मात्रा में विकसित करना चाहिए ताकि दूसरे देशों से दवाइयां न मंगानी पड़ें।

जहां तक पेय जल सम्पूर्ति योजना का प्रश्न है प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 624 गांव हैं जिनमें से 35,506 गांवों में पेय जल सम्पूर्ति की गम्भीर समस्या है। और 1975-76 में 780 अतिरिक्त ग्रामों में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था की जायगी। अगर यही रफ्तार रही तो इसमें 36 वर्ष लग जायेंगे।

दूसरे मैं कृषि के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जहां तक भारत का प्रश्न है यहां की 86 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में उससे भी अधिक है। जहां यह सरकार खेती की बात करती है वहीं उन किसानों पर जिनके ऊपर इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है जोत के आधार पर गेहूं की लेवी लगायी है और उसका मूल्य केवल 105 रुपये क्विन्टल निर्धारित किया है। 1971 का जो मूल्य सूचक अंक है उसके आधार पर 147.15 रुपया आता है। उसके आधार पर भी डेढ़ सौ रुपये से कम गेहूं का मूल्य नहीं होना चाहिये।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है 1973-74 में केवल 362 घंटे बिजली दी है जो एक घंटा रोज से भी कम है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

दो मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मुश्किल है। मैं तो आपको कह रहा था। जाने कहां दुनियां में आप दौड़ते रहे। कायदे से अपने विषय पर आना चाहिए था।

श्री मोहन लाल कपूर---

माननीय काशीनाथ मिश्र को तो आपने समय दे दिया था फिर इनके लिए दो मिनट का और समय देने में क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह मेरे देखने की बात है। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शिव कुमार पांडेय---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरी तबियत कुछ खराब थी और ऐसे समय में आपने मुझे जल्दी बुला कर जो कृपा की है उसके लिये मैं आभारी हूं। मुझे यह देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने बजट भाषण का यह कह कर बायकाट कर दिया कि यह बहुत लम्बा भाषण है। मैं मान भी लेता उनकी दलील को लेकिन उसके पहले गवर्नर साहब का भाषण तो बहुत थोड़ा था उसको भी हमारे विरोधी भाइयों ने बाईकाट कर दिया था। उसके पहले गवर्नर साहब के भाषण की कापियां छीन ली गयी थीं। इसका मतलब यह है कि प्रजातन्त्र से हमारे माननीय नेता विरोधी दल का विश्वास धीरे-धीरे उठता जा रहा है। कारण यह है कि पिछली बार जब चुनाव हो रहा था संसद का तो तमाम विरोधी दलों ने यह कोशिश की कि वह एक संयुक्त मोर्चा बनायें। चौधरी साहब से भी कहा गया तो उन्होंने कहा कि पहले यह तय हो जाय कि प्रधान मन्त्री कौन बनेगा तब हम शामिल हों। जो स्वप्न था उनका प्रधान मन्त्री का वह रह गया और वे प्रधान मन्त्री क्या मन्त्री भी नहीं बन पाए .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बजट पर कृपया बोलिये।

श्री शिव कुमार पांडेय---

मान्यवर, बजट भाषण की लम्बाई का जहां तक सवाल है हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं। जितनी अधिक समस्यायें होंगी बजट भाषण उतना ही लम्बा होगा। आज विधवाओं की समस्या, हरिजनों की समस्या, विकलांगों की समस्या, खाद और पानी की समस्या, न जाने कितनी समस्यायें हैं .... (व्यवधान) जिनका जिक्र इस बजट भाषण में है। हरिजनों को जितनी राहत इस सरकार ने दी है उतनी आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। विधवाओं की पेन्शन की भी व्यवस्था की गयी है। हरिजन छात्रों के वजीफे भी बढ़ाए गए हैं। इस बजट का अधिकांश रुपया बिजली और कृषि के लिए रखा गया है। इसका स्वागत तो माननीय नेता विरोधी दल ने किया मगर कहा कि इसे 25 वर्ष पहले किया जाना चाहिए था। उसका जवाब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया है कि यदि उस समय उद्योगों पर ध्यान न दिया होता तो आज और अनेकों समस्यायें हमारे सामने खड़ी हो जातीं। न तो कृषि यन्त्र बन पाते और न ही खाद, कीटनाशक दवाएं ही बन पातीं।

अब मैं अपने जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, हमारा सुल्तानपुर जिला एक ऐसा अभागा जिला है जिसे भुला दिया जाता है। अब भारत सरकार ने उसे भी पूर्वी जिलों में शामिल किया है। आर्य जी बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे सुन नहीं रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी (श्री बलदेव सिंह आर्य से) कृपया व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। आर्य जी, आप कृपया बातचीत बन्द करें।

एक सदस्य—

मन्त्री जी सुन नहीं रहे हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय—

जब कभी पिछड़े जिलों का नाम लिया जाता है सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ को भुला दिया जाता है। हमारे यहां एक अमेठी तहसील है जिसके बारे में कहा जाता है कि "जो न होत अमेठी मे ऊसर, राजा होत देव का दूसर।" अगर हमारे जिले की इस तहसील में सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो वह तहसील पूरे जिले को खाने भर का अनाज दे सकता है। मैं आर्य जी से कहूंगा, मुगलों के जमाने में जब किसी को सजा देना होता था तो उसे काबुल भेज दिया जाता था, उसी प्रकार जितने भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, जिनको कोई सजा देना होती है, उसे सुल्तानपुर भेज दिया जाता है। हमारे यहां के डी०एम० को हटाने के लिए 5-6 माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया, डी० एम०के कारण ही हमारे यहां लाठी तथा गोली तक चलने की नौबत आयी, मगर उसे हटाया नहीं गया।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पौने दो लाख रुपये की टाट-पट्टियां खरीदीं, मगर न तो वे किसी स्कूल में पहुंची, न किसी स्टोर में पहुंची। जब जिला परिषद् के अध्यक्ष ने पूछा कि क्या यह सही है कि टाट पट्टियां खरीदी गयीं, एक बेसिक अधिकारी (महिला) ने जवाब दिया वह खरीदी गयीं, लेकिन मुझसे राय नहीं ली गयी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। सुल्तानपुर में जनता का यह पौने दो लाख रुपया बरबाद कर दिया गया। हमारे यहां के नियोजन अधिकारी तो वैसे ही माशाल्ला हैं। जिलाधीश को ही देखिए कप्तान साहब ने तो लड़कों को मार कर लिटा ही दिया लेकिन हमारा मन्त्रि-मन्डल उनके खिलाफ कुछ सुन ही नहीं रहा है। हमारे यहां ट्यूबवेल्स न दीजिए, बड़ी खुशी, लेकिन जो हमारी परेशानियां हैं उनको तो दूर कीजिये। तमाम एम0 एल0 एज0 ने सिफारिश की कि हमारी बातें सुनी जाएं लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह से तो तमाम एम0 एल0 एज0 का यहां बकना व्यर्थ ही जायेगा। और कुछ करें या न करें, कम से कम इतनी बात तो करें कि इसकी इनक्वायरी तो करा लें। वहां के डी0 एम0 ने लाखों रुपये कमाया है। 5-5 एम0 एल0 एज0 ने इसके लिए लिख कर दिया लेकिन आज तक इसकी इनक्वायरी नहीं करायी गयी। इनक्वायरी दी भी गयी तो कमिश्नर को।

मान्यवर, अभी जैसा कि माननीय काशी नाथ मिश्र ने कहा, यहां सवाल भ्रष्टाचार के उन्मूलन का नहीं है, यहां तो भ्रष्टाचार बराबर बढ़ रहा है। हमारी एक कमेटी डाला सीमेंट फैक्टरी में गयी थी तो हमने वहां जाकर देखा कि बिड़ला की फैक्टरी तो चमक रही है, उसमें करोड़ों रुपये का मुनाफा है और जो हमारी फैक्टरी है उसको 4 करोड़ रुपये का घाटा है। तो मेरा मन्त्रि-मन्डल से दरख्वास्त है कि जहां आपकी इस तरह की व्यापारिक संस्थायें हैं, जैसे सीमेंट फैक्टरी है या विद्युत् परिषद् है जहां घाटा है, वहां आप इस सम्बन्ध में इनक्वायरी करने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री काशी नाथ मिश्र**——

श्री शिवकुमार पांडेय जी जो मेरा बार-बार नाम ले रहे हैं, मैंने तो यह कहा था कि आडिटर जनरल की किताब में लिखा है, फिर भी अपने अधिकारियों के खिलाफ हुकूमत ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**——

आप कृपया बैठें। औरों का समय न लें।

**श्री अठई राम** (जिला इलाहाबाद)——

उपाध्यक्ष जी, मैं आशा कर रहा था कि इस प्रदेश का बजट बहुत अच्छा बजट होगा लेकिन यह समाजवादी बजट नहीं है। इस बजट को पढ़ने से मालूम हुआ कि यह किसानों की रीढ़ तोड़ने वाला बजट है। कहा तो यह गया है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस साल के बजट में इतना बड़ा टैक्स लगा है कि किसान तबाह हो जायेंगे। सारी जनता इस बात को जानती है कि अब तक 10 बीघे तक की जमीन पर लगान माफ था। लेकिन अब 10 बीघे पर पुनः लगान लगा दिया गया है। यह क्या टैक्स नहीं है? यह भी एक टैक्स है। इसके अलावा विकास कर किसानों पर ऊपर लाद दिया गया है जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इसके ऊपर लेवी भी लगायी जा रही है कि किसान 105 रुपये क्विन्टल गेहूं दे। क्या यह टैक्स नहीं है? यहां तक कि आज गरीब बीमारी से तड़प रहा है। जहां पहले दवाखाने जाने पर उसे 10 पैसे में दवा मिल जाती थी वहां अब उसे दवा की पर्ची के लिए 50 पैसे देने पड़ते हैं। क्या यह टैक्स नहीं है? बहुत से गरीब बेचारे तो 50 पैसे न होने की वजह से अस्पताल से बगैर दवा लिए वापस चले आये और घर में तड़प-तड़प कर मर गये। ऐसा ही हर जिले में हो रहा है। यहां तक कि अस्पतालों में दवा की कोई व्यवस्था ही नहीं रही।

मैं अपने जिले की बात जानता हूं। जिस समय मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के दफ्तर में गया और उनसे बतलाया कि सैदाबाद——फूलपुर सड़क जो बनी थी बरसात में बह गयी और उसके बनाने का कोई इन्तजाम सरकार की तरफ से नहीं हुआ तो उन लोगों ने कहा कि मेरे यहां कागज लिखने का भी पैसा नहीं है, फिर निर्माण कार्य के लिए पैसा हम कहां से दें? कहां से हम व्यवस्था करें? इस तरह की व्यवस्था इस सरकार की है। जो सड़कें अब तक बनी थीं वे बरसात में बह कर बर्बाद हो गयीं। आदमी का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बरौत-बिठौली सड़क जिस पर परिवहन विभाग की दो बसें चलती हैं और जिनसे उसे हर साल लाखों रुपये की आमदनी होती है। लेकिन आज बरौत-बिठौली सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है, बस चलने की बात कौन कहे।

कहते हैं कि किसान के लिये बड़ा काम किया है। आज देखिये उनके लिये देहातों में कोई अस्पताल नहीं है। महिलाओं के लिए कोई अच्छे अस्पताल नहीं हैं। उनको दवा के लिये 40-80 मील दूर शहर में आकर दवा लेना पड़ता है। उनके लिए अस्पतालों की व्यवस्था देहात में नहीं है।

हमारे माननीय बहुगुणा जी जिस समय मुख्य मंत्री हुये तो जनता में उन्होंने कहा था कि बिजली के संकट को अवश्य दूर करूंगा। मैं आशा करता था बिजली का संकट अवश्य दूर होगा। जाड़े की फसल, रबी की फसल बोयी गयी। रात को 2-2- घंटे, 3-3- घंटे बिजली के लिए किसान बैठा रहा। जाड़े की नसीहत बर्दाश्त करके, आग ताप कर सिंचाई के लिए उसमें बिजली का इन्तजार किया। लेकिन बिजली ठीक से नहीं मिली। जिस समय सिंचाई का समय था मैंने बहुगुणा जी को एक पत्र लिखा था। श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री जंगबहादुर ने भी पत्र लिखा था। पत्र लिख कर पूछा था, किसानों को रात में

बिजली न दीजिए। बहुत से किसान मर जायेंगे, ठंड से। तो उन्होंने एक जवाब लिख कर भेजा था।

"कृपया अपने पत्र दिनांक दिसम्बर 30, 1974 का अवलोकन करें, जो आपने इलाहाबाद जिले के कृषकों को रात्रि के समय बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में लिखा है।

विद्युत की वर्तमान कमी को देखते हुए कृषकों को अपने नलकूप चलाने के लिये प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन, 19 घंटे बिजली दी जा रही है।

श्रीमन्, देखें, लिखते हैं कि 5 दिन 19 घंटे बिजली दिन और रात को मिलाकर दी जा रही है।

जिसके लगभग 10 घंटे दिन में होते हैं तथा सप्ताह के बचे हुए 2 दिन केवल रात्रि में बिजली दी जा रही है।"

श्रीमन्, क्या इस प्रदेश की जनता बतायेगी कि 10 घंटे दिन में उसको बिजली मिली है। यह कतई ठीक नहीं है। पत्र लिख कर हमारे पास भेजा गया कि 19 घंटे बिजली दी जा रही है;

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री अठई राम--

आज लेवी के लिए किसान का गेहूं 105 रुपये में मांगा जा रहा है। 60 प्रतिशत किसान से ले लिया जायगा तो 40 प्रतिशत में वह कैसे लगान, विकास कर, सिचाई देगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। आपका समय खत्म हो गया है।

(श्रीमती चम्पावती का नाम पुकारने पर)

श्री अठई राम--

किसान पर लगान लगा दिया गया है, खाद जो 50 रुपये की मिलती थी वह 105 रुपये में मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें, समय समाप्त हुआ।

श्री अठई राम--

किसान की रीढ़ टूट गयी है। मैं इन शब्दों के साथ इस काले बजट का विरोध करता हूं और आखिरी दम तक विरोध करता रहूंगा।

श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)---

मान्यवर, मैं वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करती हूं। मान्यवर, यह खास बात है कि बजट में कृषि, बिजली, सिचाई के विकास पर बल दिया गया है। मान्यवर, इसके लिये वित्त मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि जो कागज पर योजनायें बनायी जाती हैं उन पर अमल कहां तक होता है। मान्यवर, अक्सर यह देखा गया है कि योजनाये तो अच्छी बनायी गयीं हैं लेकिन नौकरशाही की लापरवाही, अयोग्यता और भ्रष्टाचार के कारण से वह पूरी नहीं हुयीं। मान्यवर, धन की बरबादी हुयी और

[श्रीमती चम्पावती]

जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में सरकार ऐसे उपाय करेगी कि योजना समय से पूरी हों और धन की बरबादी न हो, और जनता को लाभ हो। श्रीमन्, सिचाई के पुराने और नये साधनों पर बजट में, और नयी योजनाओं के लिये भी बल दिया गया है तथा और योजनाओं के पूरा होने की बात कही गयी है। लेकिन जो साधन पहले से उपलब्ध हैं उनकी उपेक्षा न की जाय।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की नहर के बारे में जो उपेक्षा की गयी है उसके बारे में आपसे कहना चाहती हूं कि आगरा नहर जो मथुरा और आगरा जिले में सिचाई का प्रमुख साधन है इस रबी की फसल में पानी नवम्बर तक नवम्बर से अब तक सिर्फ 2 सप्ताह नहर चली है। जो किसान गेहूं की फसल के लिए नहर पर निर्भर थे उनकी फसल चौपट हो गयी है। आगरा नहर में करोड़ों रुपये की पूंजी लगायी गयी है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करती हूं और खासतौर से सिचाई मन्त्री जी से कि वह इस पर जरूर ध्यान दें। करोड़ों रुपये सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार से बरबाद हुआ है। इसकी शिकायत मैं सिचाई मन्त्री जी से कर चुकी हूं और शायद उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही भी किया है। इस फसल में किसानों ने अपनी सारी फसल निजी नलकूपों से सींचा है जिसकी लागत 200 रुपये प्रति एकड़ बैठती है। इसके अलावा सरकारी सिचाई भी उनको देनी पड़ेगी क्योंकि नहर विभाग का नियम है कि यदि किसान अपने निजी नलकूपों का पानी नहर के गूलों से ले जायेंगे तो उनको नहर की सिचाई भी देनी पड़ेगी। इसलिए यह किसान विरोधी नियम है। सदन को यह देखना होगा कि किसानों के साथ अन्याय न हो।

मान्यवर, बजट में विद्युत् विकास के लिए काफी रकम रखी गयी है। जो बहुत आवश्यक है लेकिन आगरा जिले के पश्चिमी भाग में विद्युत् विस्तार की पहली योजनायें ही अभी तक खत्ते में पड़ी हैं। करावली कस्बे में एक बिजली का सब-स्टेशन बनाया गया है जिसको एक साल लगभग हो गया है। उसका उद्घाटन सम्बन्धित अधिकारी ने किया था लेकिन उसके आगे उसकी कोई प्रगति नहीं हुई है। करावली, रोड पर बिजली के खम्भे डाल दिए गए थे जो कि ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। इसलिए इस पर सरकार अवश्य ध्यान दे।

श्रीमन्, इस वर्ष जो लेवी है उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इस वर्ष किसानों से लेवी गेहूं वसूल करने की योजना है अच्छी है लेकिन गेहूं का मूल्य 125 रुपये क्विन्टल से किसी हालत में कम नहीं होना चाहिए। जो कि प्रदेश सरकार ने भी सिफारिश की है लेकिन मुझे शक है कि केन्द्रीय सरकार गेहूं का मूल्य 105, रुपये ही रखना चाहती है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि किसानों की जो लागत लगी है उसको देखकर, किसानों ने पसीने कमाई से तैयार किया हुआ गेहूं, और इसके अलावा उनको खाद सस्ता नहीं मिली है, बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला, इसलिए प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करे कि गेहूं की कीमत 125 रुपये प्रति क्विन्टल से कम नहीं रखनी चाहिए।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोन्डा)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने सदस्यों ने वक्तव्य दिया है उसमें एक को छोड़कर बाकी अधिकांश ने इस मांग का समर्थन किया है कि यह जो बजट भाषण है माननीय तिवारी जी का यह किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, यह सबने माना है लेकिन दुख इस बात का है कि सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वह यह सब कहते जरूर हैं लेकिन वोट देते समय अपने साथ धोखा करते हैं। वोट दे देते हैं "हां" में जिससे साफ जाहिर होता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। जो बजट भाषण तिवारी जी ने दिया उसमें कृषि को प्रदेश की प्रगति का आधारभूत स्तम्भ स्वीकार किया है। लेकिन यह सब बातों में ही स्वीकार किया है, सच्चाई इसके विपरीत है। इन्होंने कहा है कि सब से ज्यादा धन कृषि पर खर्च किया जायगा लेकिन यह झूठ है। 70.67 करोड़ रुपया सिंचाई पर खर्च करने के लिए कहा है। लेकिन यह गलत है।

सिचाई कृषि से सम्बन्धित है। 50.38 करोड़ रुपया कृषि के लिए रखा है लेकिन यह पैसा कार्यालयों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए ही पूरा होगा। अगर इसको प्रतिशत में निकाला जाय तो 17.11 प्रतिशत सिचाई में और 22.2 प्रतिशत कृषि में है। इन दोनों को मिलाकर कृषि का 29.31 मान लें। वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बिजली को भी कृषि के साथ जोड़ दिया। जो विद्युत् पर रखा है वह 181.75 करोड़ रुपया रखा है। लेकिन मैं सदन को साफ बताना चाहता हूं कि जो रुपया विद्युत् पर खर्च होता है उसका लेश-मात्र अंश ही कृषि के लिए है। अधिकांश अंश उद्योग और एशोआराम पर खर्च होता है। अभी तक तो कुछ कृषि पर व्यय होता रहा लेकिन अब तो यह शून्य होने वाला है क्योंकि बिजली की दर इतनी महंगी कर दी गई है कि वह किसान की पहुंच के बाहर है। आज हालत यह है कि तमाम लोग ट्यूबवेल्स की बिजली की लाइन को कटवा रहे हैं। नये लेने का तो सवाल ही नहीं है।

1971-72 में तिवारी जी ने बजट भाषण दिया था। उस समय गरीबी हटाओं का नारा लगाया गया क्योंकि चुनाव का समय था। उस समय कृषि पर 22 प्रतिशत, सिचाई पर 15 प्रतिशत रखा था। दोनों को मिलाकर 37 प्रतिशत रुपया कृषि पर खर्च किया था। उस समय विद्युत् पर 37 प्रतिशत रखा था। इस प्रकार इनको मिलाकर 75 प्रतिशत कृषि पर था। लेकिन अब की बार सारा रुपया विद्युत् में दे दिया है। 1971-72 में कृषि प्रधान योजना की घोषणा नहीं की थी लेकिन किसानों के हित में थी। लेकिन अबकी बार जो बजट आया है वह किसान विरोधी है। इसमें किसान और मजदूरों को गड्ढे में ढकेल दिया गया है। खाली शब्द कोष से किसानों के दुःख दर्द को दूर करने की कोशिश की है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया है। मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। 1971-72 के बजट में कहा गया था कि वर्क चार्ज तथा 3 वर्ष पुराने मजदूरों को नहीं निकाला जायगा लेकिन उनको पिछले वर्ष निकाला गया और इस बजट में उनको रखने की व्यवस्था नहीं की गयी। किसानों के ऊपर खाद का पैसा बढ़ा, बिजली की दर बढ़ी, और ऊपर से लेवीकार्य क्रम लगा दी। जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक साधन के रूप में बढ़ती हुई लगान और अन्न के सस्ते भाव को लिया था, और किसानों का आह्वान स्वतन्त्रता संग्राम में किया था और आज अंग्रेजों वाली स्थिति को आप लाने जा रहे हैं लैवी लगाकर, लगान बढ़ाकर, गल्ले के दाम गिराकर इस हालत में किसान की धारा पहुंचाने जा रहे हैं कि वह मजबूर हो कर खेत छोड़ दे। आपने किसानों के खेतों पर मालगुजारी, लगान बढ़ा दिया और विकास कर भी बढ़ा दिया तो इससे किसान मिट जायेंगे और अगर किसान मिट जायेंगे तो खेतिहर मजदूर भी मिट जायेंगे। क्योंकि किसान और मजदूर का बहुत नजदीक का सम्बन्ध है। इसलिए यह किसान विरोधी बजट है। इसके अलावा इस पूरे बजट में गोंडा जिले को वहिष्कृत कर दिया गया है। इन 27 सालों में इस सरकार ने गोण्डा जिले के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है। न तो सिचाई के सम्बन्ध में और न उद्योग के सम्बन्ध में कहीं भी इसका नाम नहीं है। केवल निजी नलकूपों के सम्बन्ध में है लेकिन लोन लेने में बड़ी कठिनाई होती है जो एक बार लोन लेता है वह कभी अदा नहीं कर कर पाता क्योंकि लोन देता रहता है किन्तु कागज में बकाया बना रहता है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है, कृपया बैठ जायं।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के विषय में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश बहुत पीछे पिछड़ गया है। माननीय शारदा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

भक्त सिंह जी ने अनेक प्रकार से यहां आंकड़े प्रस्तुत किये और कहा कि उत्तर प्रदेश 1950–51 से आज तक की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यह मालूम होगा कि यह बहुत पीछे पिछड़ गया है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि पंजाब और हरियाणा आदि प्रदेशों से उत्तर प्रदेश पीछे रहा है, लेकिन मैं उन्हीं के आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करना चाहता हूं कि जितना उत्तर प्रदेश को दिया गया उसमें उत्तर प्रदेश की विकास की गति को आगे बढ़ाने में पूरा-पूरा योगदान दिया।

1950–51 में यू0 पी0 की प्रति व्यक्ति आय 259 रुपया थी और भारतवर्ष की आय 266 रु0 प्रति व्यक्ति 1970–71 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 591 हो गई और भारतवर्ष की 645 हो गई। तो इन 20 वर्ष में 332 रु0 की आय उत्तर प्रदेश की बढ़ी और भारतवर्ष की 389 रु0 की आय बढ़ी। अब दूसरी तरफ आप देखें कि भारत सरकार से जो प्रति व्यक्ति दिया जाने वाला विकास व्यय में रुपया दिया गया उसके हिसाब से 284 रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन पंच वर्षीय योजनाओं में मिला। आप देखें कि 284 रु0 जब हमको मिला तो हमारी इनकम 33 रु0 हो गई और अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमारी प्रगति एक रुपये पर 17 पैसा हुई यानि 1.17 पैसा हो गई। उसी प्रकार भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय 1950–51 से 1970–71 तक 266 रु0 से 645 हुई। इसका मतलब यह है कि 389 रुपया आय बढ़ी प्रति व्यक्ति के हिसाब से, जब कि भारत सरकार ने प्रति स्टेट को जो रुपया दिया वह प्रति व्यक्ति 360 रु0 के हिसाब से दिया गया। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो भारत की प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसकी आय में 1.05 पैसे के हिसाब से बढ़ोत्तरी हुई। इस अनुपात में भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की पूरी-पूरी वृद्धि हुई है। मान्यवर, इन 4 पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार 76 रु0 की कमी रही। यदि इस रुपये को जोड़ें तो अगर 700 रु० की हमको प्रति व्यक्ति के हिसाब से केन्द्र से सहायता मिल जाती तो अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारी आय दुगुनी और तिगुनी हो जाती। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जितना रुपया उत्तर प्रदेश को दिया गया उस हिसाब से विकास की गति कम रही, बल्कि विकास की गति आगे रही।

मान्यवर, यहां पर कहा गया माननीय सदस्य राम अधार राय द्वारा कि जितना रुपया खर्च हो रहा है वह सब पर्वतीय क्षेत्रों पर खर्च हो रहा है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि 74–75 में पर्वतीय क्षेत्र पर केवल 21 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था जिसमें 12 करोड़ रुपये का अनुदान केन्द्र से मिला और केवल 9 करोड़ रुपया प्रदेश से दिया गया जब कि प्रदेश के बजट की कुल धनराशि 401 करोड़ रुपये थी। अगर पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों को उसी अनुपात से मिला होता तो 1/7 होना चाहिये था यानी 56 करोड़ की राशि पर्वतीय क्षेत्रों को मिलनी चाहिये थी जब वह 12 करोड़ रुपया केन्द्र से मिली और केवल 9 करोड़ रुपये प्रदेशीय सरकार से मिली। इस पर भी हाय तोबा मचाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि सारा का सारा रुपया पर्वतीय क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है।

इस वर्ष के लिये 411 करोड़ रुपये का प्राविधान है जिसमें 14 करोड़ रुपया केन्द्र से सीमान्त क्षेत्र के लिये अनुदान के रूप में दिया जायगा और केवल 11 करोड़ रुपया प्रादेशिक सरकार की तरफ से प्रस्तावित है। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र की समस्यायें भिन्न हैं। हमको एक मील की चढ़ाई चढ़ने के लिये मोटर रोड मिलती है तो 5 किलोमीटर को पार करके ऊपर जाना पड़ता है और कौन सा इलाका प्रदेश में ऐसा है जहां पर कि 6, 6 मील की ऊंचाई से पीने के लिये पानी लेने जाना पड़ता हो और अपने घर पहुंचने के लिये 200 मील पैदल जाना पड़ता हो। इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए अगर आवागमन के लिये सड़क बनती है, जीवित रहने के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है तो यह कहते हुए दुख होना चाहिये कि सारे का सारा रुपया पर्वतीय क्षेत्रों पर खर्च किया

जा रहा है। आप देखें कि राम गंगा प्रोजेक्ट बना लेकिन सारे का सारा पानी का लाभ पश्चिमी जिलों को हुआ। टेहरी डैम बन रहा है उसका पानी कानपुर जिले तक जायगा। हरियाना, पंजाब और हिमांचल को जब पानी का बटवारा किया गया तो केन्द्र ने यह उस समय माना कि यह रा-मेटीरियल है तो यह सरकार अगर पर्वतीय क्षेत्र की इस निधि को भी रा-मेटीरियल माने तो इससे बड़ी ठेस पहुंचती है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट सदन के सामने रखा गया है यह परम्परा-गत है, कोई नई बात इसमें नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जितना रुपया बजट में रखा गया बतलाया जाता है अगर सही मानी में खर्च हो तो इस प्रदेश का ही उत्थान न हो बल्कि उस विभाग का भी उत्थान हो जाय जो इसको खर्च करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बजट का केवल 25 प्रतिशत भाग निर्माण पर खर्च होता है और 75 प्रतिशत रुपया उधर के बैठे माननीय सदस्यों की साजिश से अधिकारी व कर्मचारी आपस में सांठगांठ करके खा-पी जाते हैं और इस प्रकार जो भी निर्माण कार्य हमारे प्रदेश में हो रहा है वह उसी प्रकार है जैसे कि कहावत है बालू की भीत।

वैसे ही सारे बजट का दुरुपयोग हो रहा है। गरीबों का खून चूस-चूस कर रुपया लिया जा रहा है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य बेनी प्रसाद जी वर्मा ने एक सवाल किया था और बाराबंकी के डेढ़ सौ किसानों की बात आयी थी कि एक ही जमीन की दो जिलों में वसूली हो रही है। किसान तड़फड़ा रहे हैं लेकिन आप उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस सरकार की किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आज जो कांग्रेस की हुकूमत की नीति है वह है रूस की नकल करना और हर चीज का सरकारीकरण करना। खासतौर से ये कृषि के सरकारीकरण करने में लगे हुये हैं और इसीलिये ये किसानों के ऊपर तरह-तरह के अत्याचार कर रहे हैं। भारत में अमरीका के राजदूत आये थे और अभी हाल ही में वे अमरीका गये। उनका नाम है मोयनिहन। तो जब वे अमरीका गये तो उन्होंने वहां कहा कि गंगा के मैदान की भूमि में यदि आधुनिक ढंगसे खेती का इन्तजाम किया जाय तो भारत का गंगा का मैदान इतना अन्न उपजा सकता है कि सारे विश्व को अन्न दे सकता है।

एक दूसरे देश के राजदूत जब भारत आये थे और जब वे वापस गये तो उन्होंने कहा था। गंगा के मैदान का हृदय ही उत्तर प्रदेश है। अधिकांश गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज दुर्दशा यह है कि उत्तर प्रदेश को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से राशन के लिये गल्ला लेना पड़ता है। मेरा विश्वास है कि यदि यहां के किसान को पूर्णतया आधुनिक ढंग से हर साधन कृषि करने के सुलभ किये जायं तो हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत को तो गल्ला दे ही सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह सरकार नहीं चाहती कि इस देश और प्रदेश का किसान सम्पन्न हो समृद्ध हो, यह सरकार नहीं चाहती कि यहां का किसान सम्पन्न हो क्यों कि उससे वह फारवर्ड हो जायेगा, स्वावलम्बी हो जायेगा, बुद्धिजीवी हो जायेगा, पढ़ा-लिखा हो जायेगा और उसके फलस्वरूप इनके इन कारनामों को बरदास्त नहीं कर सकेगा। इसलिये सरकार चाहती है कि यहां का किसान गरीब ही रहे, मजबूर रहे, बेवकूफ रहे, अनपढ़ रहे ताकि आप डमरू बजाकर वोट लेते रहें।

किसानों को ऐसा निकम्मा बना दिया है कि एक तरफ तो नहर की पड़ताल होती है कि उसके खेतों की सिंचाई हो दूसरी तरफ उन नहरों में पानी नहीं दिया जाता, बिजली नहीं मिलती उन नहरों में पानी नहीं दिया जाता। यह दोहरी नीति कैसी है। ऊपर से लेवी लगायी जा रही है। एक बुंद भी पानी यदि किसी खेत में पहुंच जाता है, चाहे उसकी सिंचाई

[श्री राम प्यारे तिवारी]

हो या न हो चाहे वह 10 एकड़ या 20 एकड़ का हो या कितने का हो, उसे पूरे रकबे का कर देना पड़ता है। किसानों को इसका पता नहीं चलता है। उसे तब पता चलता है जब जमाबन्दी बन जाती है। गत 18 मई को बनारस में जिलाधीश की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और उस समय यह बात भी नोटिस में लायी गई थी जिलाधीश ने इसे सही माना था। किन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया. . . . . .

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जब अपना भाषण समाप्त कर लें तब खड़े हों।

श्री राम प्यारे तिवारी--

कहा जाता है कि सरकार की तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं। ऐसे ही प्रयास किये जा रहे हैं जैसे रूस में स्टैलिन ने 4 साल किसानों को इतना तंग किया कि वे खुद खेती छोड़कर भागने लगे और जबरदस्ती खेती का सरकारीकरण कर लिया। वही बात भारत में भी हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार कृषि का सरकारीकरण करने में व्यस्त है। आज किसान इस अन्याय और अनीति से पीड़ित है। 125 रुपये प्रति क्विन्टल किसान गेहूं पैदा कर रहा है और उसको 105 रुपया दिया जा रहा है। जब कि उनको खाद जो 30 रुपया बोरा कारखाने में पड़ती है उसे हमको वह 2 सौ और 250 रु० में देती है। हमको कोई साधन मिलते नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती वसूली हो रही है। जिन इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है वहां पर भी जबरदस्ती लेवी लगाई जा रही है। मैं चंदौली की बात कहता हूं वह सूखाग्रस्त इलाका है वहां पर रबी की फसल हुई नहीं लेकिन जबर्दस्ती लेवी लगाई जा रही है। उपाध्यक्ष जी हमारा पड़ोसी सूबा बिहार है वहां पर 10 एकड़ तक लेवी नहीं है लेकिन हमारे यहां 3 1/8 एकड़ तक ही माफ है बाकी सब किसानों को लेवी [illegible]। यह जबरदस्ती हमारी सरकार किसानों के साथ कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री राम प्यारे तिवारी---

किसान लेवी कहां से देगा, उनके साथ यह ज्यादती है। यह लेवी किसानों की कमर तोड़ने के लिये लगाई गई है ताकि किसान जीभ निकाल कर भाग खड़ा हो, धन्यवाद।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह प्रगतिशील और संतुलित बजट है। मान्यवर, पूरा बजट पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि जो पिछले 8, 9 वर्षों से मामला उलझा हुआ था सेल्सटैक्स का उसका उद्धार करके इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित किया है। इसके लिये वित्त मंत्री जी जो हैं वह धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, यही नहीं पूरा बजट देखने के बाद आप पायेंगे सिंचाई पर, विद्युत पर, लघु सिंचाई पर, उद्योगों पर किस प्रकार से संतुलित ढंग से खर्च किया जा रहा है। अगर आप वास्तविक रूप से देखें तो आलोचना नहीं करेंगे। मेरा खयाल है मान्यवर, कि पिछले 6, 7 वर्षों में जो बजट आये हैं उनसे यह बजट प्रगतिशील है। मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से कहना है कि सरकार ने किस तरीके से हर इलाके के लिये ध्यान दिया है चाहे वह पहाड़ी इलाका हो, चाहे वह पश्चिमी इलाका हो, चाहे वह बुन्देलखंड या पूर्वी इलाका हो। सब का ख्याल किया गया है। श्रीमन्, पूर्वी जिलों के लिये शारदा सहायक योजना पर सरकार ने ध्यान दिया है लेकिन लघु सिंचाई योजना पर कम ध्यान दिया है। मैं आपके माध्यम से इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं।

वही हाल छोटे किसानों का है। सरकार ने कुछ प्रगतिशील कदम उठाये हैं उनके लिये योजनायें चल रही हैं लेकिन पूर्वी जिले उसमें बहुत कम आये हैं। यही नहीं मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे पूरब केलिए पार्लियामेंट का एक पटेल कमीशन बैठा था उसने मान्यवर, मेहनत करके बड़ी लम्बी चौड़ी विस्तृत रिपोर्ट दी, लेकिन वह ज्यों की त्यों धरी रह गई क्योंकि ज्यों ही वह शुरू हुई त्योंही आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई और वह रोक दी गई। हमारे पूर्वी इलाके बहुत गरीब और पिछड़े हैं उनमें आजमगढ़ जनपद सबसे पिछड़ा है। वहां पर न आवागमन के अच्छे साधन हैं, न सिंचाई के साधन हैं और न मान्यवर, कोई उद्योग धंधे हैं। उद्योग धन्धों के नाम पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि एक चीनी मिल वहां पर बन कर करीब करीब तैयार हो गई है तो यह पहला उद्योग आजमगढ़ में है। यह बहुत पिछड़ा इलाका है वहां पर 80, 90 फीसदी लोग काश्त करते हैं। वहां पर जमीन ऊसर है, थोड़ी जमीन जरखेज है जहां पर धान की फसल होती है वह भी सूखे की वजह से खराब हो गई है। वहां पर अभी 10 मार्च को फिर दैवी प्रकोप के कारण पत्थर पड़ गये हैं। मैं लालगंज की बात कहता हूं वहां पर भयंकर स्थिति है इसी तरह महमूदाबाद में भी पत्थर ने किसानों की पूरी फसल और यहां तक कि मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बजट के सिलसिले में यही नहीं मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो चूड़ा लाई, सब्जी पर सेल्स टैक्स लगाया है, मान्यवर उसको सरकार न लगावे, इसलिये कि छोटे मोटे रोजगारी जो हैं वे मर जाएंगे। जो सेल्स टैक्स की पालिसी है, वह सरल और सुविधाजनक होनी चाहिये। कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा है कि उद्योगपति कुछ इंडस्ट्रीज इसलिये भी नहीं लगाते हैं कि उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो सरकार ने यह जो महान् कार्य किया है, सेल्स टैक्स में छूट दिया है और उसके अलावा जो प्रगतिशील कदम उठाए हैं, उसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जो प्रगतिशील कदम उठाये हैं, सिंचाई तथा अन्य तमाम विभागों के बारे में, उसके लिये भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री दया किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि इस बजट के विचार-विमर्श में मैं भाग लूं। मान्यवर, मैं एक बहुत पिछड़े इलाके से आता हूं, उसका नाम जिला पिथौरागढ़ है, और वैसे रहने वाला मैं नैनीताल का हूं। लेकिन आज से कई साल पहले जब चौधरी चरण सिंह मिनिस्टर थे, पंत जी की मिनिस्ट्री थी, तो चौधरी साहब ने एक ऐलान किया था कि हम पहाड़ नहीं आएंगे, क्योंकि पहाड़ ऐश्वर्य की जगह है और जो लोग यहां आते हैं, वे ऐश्वर्य के लिये आते हैं। शायद उन्होंने वह वायदा पूरा किया, वह सिर्फ एक बार पहाड़ आए थे। जबकि एलेक्शन के दौरान उन्होंने अपनी एक नई पार्टी खड़ी की थी। साथ ही पन्त जी से, सम्पूर्णानन्द जी से और चन्द्रभानु गुप्त जी से इस बात में यानि हमारी उपेक्षा करने में मेरा उनके साथ बड़ा विरोध रहा। जब कभी बजट बनता है, तो उसमें पहाड़ की बड़ी भारी उपेक्षा की जाती है। जब गुप्ता जी रानीखेत से खड़े हुए थे, तो मैंने एक शानदार नारा पहाड़ को दिया था कि हम यू० पी० के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, हमें एक अलग राज्य बनाने के लिये खड़ा होना पड़ेगा।

आज भी हम देखते हैं कि वही परिस्थिति पहाड़ की है। मैंने विरोधी दल के नेताओं को सुना और कांग्रेस के नेताओं को सुना, सबने कटाक्ष किया कि पहाड़ में सड़कें बन गई हैं, पहाड़ में पानी की योजना हो रही है, पहाड़ में ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन एक बात सब लोग भूल गए और भूलते जा रहे हैं कि पहाड़ इस देश का प्रधान अंग रहा है और हमारा प्रहरी रहा है। आज जो बजट में पहाड़ के लिये केवल 14 करोड़ और 11 करोड़ की योजना है, यह पहाड़ के लिये काफी नहीं है। मैं आज कह सकता हूं और सदन में कहना चाहता हूं कि

[श्री दया किशन पाण्डेय]

कहीं दूसरी वारडोली नहीं हुई थी, वह हमारे सल्ट पहाड़ में हुई थी। जहां गोलियां चली थीं और कई पहाड़ी घायल हुए थे। और यहीं पहाड़ के सालम के गांवों की एक पट्टी पर जिस समय आन्दोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। उस समय सन् 1941 में 4 को फांसी की सजा हुई थी, 14 को कालापानी हुआ था और 15 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई थी, 40 आदमी वहां पर डी0 आई0 आर0 की तरह के मुकदमों में फंसे थे। जिनकी 1948 में कालापानी की और दूसरी जो वापस हुई थी।

आज जिस वक्त पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे देश की लड़ाई हुई, सबके आगे पहाड़ था। यदि चीन का झोंका आता तो पहाड़ के 8 जिलों में आता। उस समय सरकार ने कहा था कि पहाड़ को रोंदने देंगे और बरेली में चीनियों का हम मुकाबला करेंगे। लेकिन हम लोग कह रहे थे कि वे आएं और देखें कि हम लोगों के पहाड़ बहादुर कितने होते हैं। मैं आज बजट स्पीच में इस सदन को बता देना चाहता हूं और इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि यह न भूलें कि पहाड़ भारत का एक अंग है और अंग बनकर रहना चाहता है। लेकिन अगर इस तरह से पहाड़ की उपेक्षा की गयी, बजट के मामले में, और पहाड़ को जो अनुदान मिलना चाहिये वह नहीं मिलेगा तो यह हो सकता है, और निश्चित हो कर रहेगा कि हम लोग एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग करेंगे और ले कर रहेंगे। धन्यवाद।

*श्री अब्दुल रहमान खां 'नशतर' (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिये मैं आप का बड़ा आभारी हूं।

मान्यवर, मौजूदा बजट जो सरकार ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ सेल्स टैक्स के बारे में हमारे बहुत से वक्ताओं ने जिक्र किया, सेल्स टैक्स की जो नीति सरकार ने इस बजट में अपनायी है, उसका मैं बहुत पुरजोर अल्फाज में समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने और छोटे व्यापारी वर्ग ने जिस तरीके से इसका समर्थन किया है वह बड़ा सराहनीय है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपकी मारफत सरकार का ध्यान कानपुर की कुछ समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। कानपुर में, इससे पहले जो बजट पास हुआ था उसमें वित्त मंत्री महोदय ने कानपुर की गंगा बैराज के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी। उसके लिये एक करोड़ रुपये का प्राविधान भी किया गया था। लेकिन कानपुर की 22 लाख की आबादी के लिये जिस गंगा बैराज की इस कदर सख्त जरूरत है उसकी वजह से पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला खड़ा होने जा रहा है, वहां की बिजली की कमी की पूर्ति भी जिससे हो सकती है, उसके लिये बजट में एक करोड़ रुपये का प्राविधान करने के बावजूद भी कोई काम इस सिलसिले में नहीं किया गया। इस बजट में उसको बिलकुल इगनोर कर दिया गया है।

कानपुर में गगा का पुल 1896 में बना था। उसके बनने के बाद आज यह स्थिति है कि वह पुल कानपुर और लखनऊ के बीच बढ़ते हुए आवागमन के लिये बिलकुल नाकाफी और नाकारा हो चुका है। लेकिन उस पुल की दसियों साल से बनी योजना पर आज तक कोई काम नहीं किया गया है। बाबू कमलापति त्रिपाठी की सरकार में कानपुर में मरे कम्पनी की क्रासिंग पर एक पुल की योजना बनायी गयी थी और कमलापति जी ने उस पुल के लिये शिलान्यास भी किया था। लेकिन जिस वक्त वहां हजारों की तादाद में कानपुर के नागरिक जमा हुए थे उस वक्त वहां के एम0 एल0 एज0 ने आशंका व्यक्त की थी कि कहीं यह शिलान्यास करने के बाद यह सरकार और इसके काम करने वाले अधिकारी ऐसा न करें कि बरसहाबर्स इस स्कीम में लगा दें। तो मुख्य अभियन्ता पी0 डब्लू0 डी0 ने हजारों जनता के बीच में आश्वासन दिया था कि यह पुल इसी वर्ष बन कर तैयार हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा । लेकिन बरसहाबर्स हो गये वहां एक ईंट भी आज तक नहीं रखी गयी । कानपुर की जनता को इतना उस सिलसिले में रोष है कि जनता ने शिलान्यास बोर्ड को तारकोल से पोत दिया है । कानपुर नगर जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलती है, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, उस नगर को इस तरह से इगनोर करना मुनासिब नहीं है । सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ।

इसके साथ-साथ आपकी मारफत मैं इस उत्तर प्रदेश की मुस्लिम अक्लियत की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं आजादी के 27 साल हो गये हैं लेकिन इस पीरियड में इस कौम को तरक्की की ओर ले जाने के बजाय पसमान्दगी की तरफ ले जाया गया है । आप देखिये कि पुलिस के अधिकारी हों या सेक्रेटेरियट के अधिकारी या चपरासी से लेकर ऊंचे ओहदों पर अक्लियत कौम की भर्ती जो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, वही लोग हैं और कुछ रिटायर हो गये हैं । इसलिये बहुत थोड़े से दिखाई देते हैं । अक्लियत कौम के केवल दो सेक्रेटरीज हैं । जो आई० ए० एस० के लोग हैं, उनमें से सारे के सारे लोगों को, जो अच्छा काम करने वाले हैं और जिनके काम की प्रशंसा भी की गई है, उन सबको उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ रेवेन्यू में इकट्ठा कर दिया गया है । क्या बोर्ड आफ रेवेन्यू औकाफ बोर्ड की शक्ल अख्तियार करना चाहता है कि सारे लोगों को यहीं रखा गया है ।

इस मौजूदा सरकार, इस बहुगुणा सरकार का मुस्लिम अक्लियत की पसमान्दगी की तरफ ध्यान गया है । इस सरकार ने आदेश दिया है कि पुलिस की भर्ती जो इस कौम के लिये बन्द कर दी गई थी, उसके लिये फिर से कहा है कि इसको भर्ती किया जाये । लेकिन मैं जानता हूं कि कानपुर में 108 पुलिस के सिपाहियों के भर्ती करने का कोटा था । सैकड़ों हजारों की तादाद में मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग वहां गये लेकिन उनमें से केवल 56 लोगों को ही लिया गया । बाकी के बारे में आज तक कुछ पता नहीं है । अगर मौजूदा सरकार की तरफ उनकी भर्ती के सिलसिले में या शिकायतों के सिलसिले में रिपोर्ट मंगाती रहे तो बहुत अच्छा है हम इस सरकार की नेकनीयती पर भरोसा करते हैं । मौजूदा सरकार से हम तवक्कुह करते हैं कि वह इस पर गौर फरमायेगी । हम मौजूदा सरकार पर भरोसा रखते हैं कि इस कौम के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनका यह निराकरण करेगी । मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार नौकरियों की तरफ अपना ध्यान दे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर'--

मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जरूरी बात आपको पहले कहनी चाहिये थी ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उसको किसान विरोधी और दकियानूसी समझता हूं । लोगों ने कहा कि यह बजट कृषि को और सिंचाई को बढ़ावा देने वाला है । लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को प्रदेश का औसत क्षेत्रफल और औसत उत्पादन बताना चाहता हूं । धान का औसत क्षेत्रफल 12 प्रतिशत है, उत्पादन 8.3 प्रतिशत; मकई का क्षेत्रफल 26 प्रतिशत और उत्पादन 21 प्रतिशत है; तिलहन का क्षेत्रफल 21.5 प्रतिशत है और उत्पादन 21 प्रतिशत है, इसी तरह से गन्ने का क्षेत्रफल 20 प्रतिशत है और उत्पादन 41.5 प्रतिशत है । यह इस वर्ष के आंकड़े हैं और शासक दल

*वक्ता ने भाषण का नरीक्षण नहीं किया ।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

क लोग कह रहे हैं कि खेती और सिंचाई को प्राथमिकता दी जा रही है । हमारा प्रदेश अभी तक भारतवर्ष के औसत क्षेत्रफल और उत्पादन के औसत तक भी नहीं पहुंच पाया है। फिर मैं कैसे मान लूं कि हमारे प्रदेश में कृषि की उन्नति हो रही है। इसकी दोषी आपकी योजनायें हैं । आप अपनी दिशाविहीन नीति से किसानों की हालत बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि माननीय यादव जी ने कहा है बिलकुल वही बात है। आपके यहां कागज की खेती पर कलम के हल से गलत आंकड़ों के बीज, उद्घाटन भाषणों की सिंचाई से प्रदेश और देश की खेती लहलहा रही है।

आप क्या कर रहे हैं ? बिजली से ट्यूबवेल चलते हैं। इस वर्ष किसानों को केवल 10 बजे से 5 बजे तक बिजली उपलब्ध होती है किसी परेशानी या भगवान की दया से वर्षा हो गई या उनकी मेहनत से इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी होनेवाली है । 105 रु0 आपने गेहूं का मूल्य निर्धारित किया है। क्या आप कह सकते हैं कि यह कोई तर्कसंगत मूल्य है ? आपके जो सरकारी कृषि फार्म चलते हैं उन पर भी प्रति कुंटल औसत 150 रु0 सरकार का खर्च होता है और किसान को आप दे रहे हैं 105 रु0। इससे खेती की तरक्की होती है, इससे किसान की तरक्की होती है ? आप झूंठ बोलते हैं कि शहर से बिजली काट कर किसानों को दी जा रही है। जो बिजली है हमारे प्रदेश में या देश में उसमें से 80 फीसदी गांव वालों को मिलने का हक है और 10 फीसदी शहर वालों को मिलने का हक है। लेकिन आप किसानों को केवल 4 या 5 घंटे बिजली हफ्ते में देते हैं और शहर वालों की बिजली केवल दिन में 2 घंटे के लिये काटते हैं। उल्टा आपको यह कहना चाहिये कि गांव वालों से बिजली काट कर शहर वालों को दी जा ही है, लेकिन आप कहते हैं कि शहर वालों से बिजली काट कर गांव वालों को दी जा रही है।

आप लोगों को अनुभव नहीं है कि बिजली की समस्या क्या है, वह उत्पादन को कितना गिरा रही है। आपका विधायक निवास जो है उसमें भी दो घंटे बिजली काट ली जाती है लेकिन जो मंत्री लोग हैं उनके कमरों से बिलकुल बिजली नहीं काटी जाती है। अगर आपके कमरे से भी कटौती होती तब आपको मालूम होता कि बिजली से कितना कष्ट होता है, दो घंटे पंखे न चलते या दो घंटे हीटर न चलते तब आपको मालूम होता कि कितनी परेशानी है। लेकिन जो मंत्रीगण हैं, जिनको वास्तविक कोई अनुभव नहीं है ये अनुभव करना ही नहीं चाहते हैं ये तो ऐश, आराम की जिन्दगी बिता रहे हैं, ये केवल ऐश, आराम करना चाहते हैं।

मैं शारदा सहायक परियोजना के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। मैं उसके निकट ही रहता हूं। सरकार बहुत बड़ी डींग मारती है कि इससे बहुत बड़ी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दो भ्रष्ट अधिकारी इंजीनियर जो वाराणसी के थे, उनको इस शारदा सहायक परियोजना में नियुक्त कर दिया गया है। तहसील राम सनेही घाट में 19 हजार रुपया फर्जी दस्तखत कराकर निकाल लिया गया है। राजस्व मंत्री जी को शिकायत दी गई है परन्तु अभी तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई है।

हरिजनों के बारे में जो ये कहते हैं कि हरिजनों की इन्होंने बड़ी तरक्की की। 1 करोड़ रुपया सिर्फ बुढ़वल चीनी मिल पर बकाया है। यह सरकार चौधरी चरण सिंह की बड़ी मुखालिफत करती है। चौधरी चरण सिंह ने 13.40 पैसे गन्ने का मूल्य दिलवाया था और पश्चिम के जिलों में 18-19 रु0 मिला था। आप बहुत कहते हैं कि बहुत मुनासिब मूल्य दे रहे हैं, सवा 13 रू0 दे रहे हैं। मैं कहता हूं वह मूल्य मुनासिब नहीं है और वह मिलता भी नहीं है ।

इस के पहले भी गन्ना मंत्री जी से बताया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आपके नियमों में 2 पैसा प्रति कुन्टल भाड़ा किसानों से लिए जाने का प्राविधान है, लेकिन टिकैत नगर क्रय केन्द्र पर 2 रु0 प्रति क्विन्टल भाड़ा काटा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कहीं पर एक रुपया, कहीं पर डढ़ रुपया और कहीं पर 12 आना काटा जा रहा है। इस

तरह से जब तक इन अनियमितताओं को खतम नहीं करेंगे तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तो किसान इसको बरदास्त नहीं करेगा।

*श्री सुरेन्द्र सिह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी समय दिया। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 1975-76 के बजट का मैं समर्थन करता हूं और मैं जहां तक समझ पाया हूं बजट के 2-3 आकर्षण हैं। सबसे पहला तो यह है कि जब बजट प्रस्तुत होने को था तो प्रदेश की जनता यह सोच रही थी और लोगों ने हमसे व्यक्तिगत रूप से पूंछा कि क्या कोई नया कर आ रहा है, लेकिन इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि किसानों के लिये प्राथमिकता दी है और अपनी सूझ बूझ का परिचय दिया है। जैसा कि बजट भाषण में देखने से मालूम होता है कि वित्त मंत्री जी ने सबसे अधिक भाग और मैं तो कहूंगा कि 2/3 भाग कृषि के लिये रखा गया है और बिजली तथा सिंचाई के लिये रखा गया है। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि बिजली कृषि के लिए एक मुख्य साधन है, एक आधार शिला है। बिना बिजली के कृषि में उन्नति नहीं हो सकती है और न उद्योग में प्रगति हो सकती है। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जो ने जो कृषि के लिये सोचा उसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुन कर आया हूं और किसानों से यह सम्बन्धित बात है और इसके अतिरिक्त खेती अपने देश और प्रदेश की एक आधार शिला है। जब कृषि की उपज अच्छी होगी तब हम उद्योग में तरक्की कर पायेंगे और हमारे रहन सहन का साधन अच्छा होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे भय है कि बिजली के लिये और सिंचाई के लिये जो अधिक धनराशि रखी गयी है, इसका कहीं दुरुपयोग न हो। बिजली बोर्ड एक सफेद हाथी की तरह है इस पर कोई अंकुश नहीं है। हाथी पर तो हम अंकुश पा भी लेते हैं। बिजली बोर्ड में रोज नियम बनते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि बिजली बोर्ड किसान विरोधी नीति बनाता है। यह देखने की बात है कि पहले भी बिजली के दफ्तरों में बड़ी परेशानी होती थी और आज यह कर दिया गया है कि पूरी लागत किसान देगा तब बिजली मिलेगी। पहले भी बिजली नहीं मिल पाती थी। हालत यह हो गयी है कि लोग अपने कनेक्शन कटवाने के प्रार्थना पत्र देने लगे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह किसान विरोधी नीतियों की तरफ देखे। विद्युत् परिषद् के इन्जीनियरों की हालत यह है कि वे अपने घरों से निकलते ही नहीं हैं, उन्होंने अपने बंगलों को ऐशगाह बना रखा है। वे किसी भी पावर सब-स्टेशन पर नहीं जाते हैं। मुझे एक सहायक अभियन्ता मिले, उन्होंने कहा कि मुझे सब स्टेशनों पर जाने की फुरसत ही नहीं है। मुझे बताया गया कि फीडर पर समय से बिजली नहीं जाती है। तो किसान के लिये उससे फायदा नहीं है। जब एक असिस्टेंट इन्जीनियर को वहां जाने की फुरसत नहीं तो सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर की बात कौन कहे।

किसानों को इस वर्ष बिजली नहीं मिली है। जो मिली भी है उसके बारे में कहा जाता है कि 10 घंटे दी, लेकिन मालूम हुआ कि जो मिली भी वह 2 फेज में मिली जिससे किसानों के मोटर जल गये, फुंक गये। दूसरे जब मिली तो वक्त से नहीं मिली और बहुत कीमत में मिली।

मैं अपनी सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार पर इस बात का दबाव डाले कि जिस प्रकार से फैक्ट्री में बनी चीज की कीमत, उस पर हुए खर्चे को जोड़कर निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार से वह किसान की जितनी भी पैदावार की चीजें हैं उन पर हुए खर्चे को लगा कर, उनकी कीमत को निर्धारित करे। प्रदेश के किसानों को गेहूं देने में और उन पर लेवी लग जाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उस किसान को जो अपने खून पसीने की कमाई से, सूखे और अन्य प्रकृति को सह कर अपनी फसल को पैदा करता है, उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान]
सही दाम दिलाया जाय। मैं तो चाहूंगा कि कम से कम गेहूं का दाम उसे 135 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से मिलना चाहिये।

एक बात मुझे और कहनी है। देहातों में दो-दो बार सीलिंग की जा चुकी है। मैं यह मांग करता हूं कि अर्बन की सीलिंग का विधेयक भी तुरन्त इस सदन में प्रस्तुत किया जाय।

शिक्षा के सम्बन्ध में यहां पर रिपोर्ट आई है कि इसका राष्ट्रीयकरण हो लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। मेरी प्रार्थना है कि शिक्षा का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाय। आज भी कुछ लोगों ने शिक्षा संस्थाओं को आमदनी का जरिया बनाया हुआ है। हरिजनों के वजीफे की जो ग्रान्ट मिलती है, उसे हजम कर लिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति का मुख्य साधन हमारी सड़कें हैं। यदि हमारे ग्रामीण अन्चलों में सड़कों का प्रसार नहीं किया जाता है तो गांवों की उन्नति नहीं हो सकती है।

अब मैं अलीगढ़ के बारे में 2-1 बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रदेश में 2 जनपद हैं एक अलीगढ़ और पूर्व में एक जौनपुर, मेरी प्रार्थना है कि इन दोनों स्थानों पर ट्रैक्टर्स की आपरेशनल ट्रेनिंग के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कृपा करें।

(एक चपरासी द्वारा मंत्री जी को कुछ फाइलें देने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं विधान सभा के कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे फाइलों के उठाने का काम न करें। यह कोई दफ्तर नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

वहां पर एक प्रोजेक्ट स्कीम चल रही है, वहां पर मैशिनरी भी है। मेरी प्रार्थना है कि दोनों स्थानों पर जौनपुर और अलीगढ़ में सरकार ट्रैक्टर्स ट्रेनिंग केलिये ओपेरेशनल ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलें।

अलीगढ़ शहर में पीने के पानी की भी बहुत कमी है। मेरी प्रार्थना है कि पीने के पानी के लिये जो वहां पर वाटर वर्क्स हैं, उनको सरकार अपने हाथ में ले ले।

श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)---

मान्यवर, हमारी सरकार बहुधा समाजवाद की और भाषण दिया करती है लेकिन यह बजट समाजवाद विरोधी है। इसमें भूमिहीनों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी बड़े बड़े फार्म्स बड़े बड़े पूंजीपतियों के कब्जे में बदस्तूर हैं। जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, यह बिल्कुल ही समाज विरोधी है, इसमें समाजवाद का रास्ता नहीं दिखाया गया है। सरकार जो भूमिहीन हरिजनों के लिये एक समिति बनाना चहती है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। मैं अपने बहराइच जनपद की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां शिक्षा की अत्यन्त कमी है। अभी हाल में हमारे शिक्षा मंत्री जी वहां तशरीफ ले गये थे लेकिन दावत खा कर चले आना ही उन्होंने मुनासिब समझा। इस ओर कोई तवज्जह देने की तकलीफ गवारा नहीं की जबकि हमारे जनपद में केवल 13 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। इसलिये सरकार को बहराइच जनपद में शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना चाहिये।

सरकार कुछ पेपर मिल लगाने की बात करती है। बहराइच जनपद में सब से पिछड़ी हुई तहसील नानपारा है जहां आज तक कोई कल कारखाना नहीं लगा है, जहां केवल एक सड़क है। वहां कई इलाके ऐसे हैं जहां बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है। लोग इधर से उधर आ जा नहीं सकते। इसलिये सरकार को सड़कों का विस्तार सबसे पहले बहराइच जनपद में करना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह बहराइच जनपद को प्राथमिकता के आधार पर यह सब चीजें उपलब्ध कराये।

श्री काशी नाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)--

माननीय तिवारी जी ने जो 75-76 का बजट पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। यह बजट किसान विरोधी भी है। जैसा कि ढिंढोरा पीटा गया है कि इस बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। अध्यादेशों के द्वारा लगभग 91 करोड रुपये के टैक्स सबसे पहले ही हमारी जनता पर बढ़ाये जा चुके हैं। आज भूमि प्रबन्धक बैंक से जो किसान पम्पिंग सेट लेता है उसे 4,500 रुपये देने पड़ते हैं और वही पम्पिंग सेट जब बाजार में खरीदा जाता है तो उसकी कीमत 3 हजार रुपये होती है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह बीच का डेढ़ हजार रुपया कहां जाता है। मैं समझता हूं कि भूमि प्रबन्धक बैंक से जो भी चीजें किसानों को दी जायं वह बाजार से कम कीमत पर उन्हें मिलनी चाहिये न कि ड्योढ़ी कीमत पर। इसी तरीके से जो कोई आज ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो कहते हैं कि इतने अधिक यन्त्र और लेने पड़ेंगे। यह आपकी कैसी व्यवस्था है? क्या यह शिकायतें शासन तक नहीं पहुंचीं? अगर पहुंची हैं तो आज तक ऐसे लोगों के साथ क्या कार्यवाही की गयी?

तीसरी बात यह कि आज किसानों के लिये यह ढिंढोरा तो पीटा जाता है कि उन्हें पानी देते हैं लेकिन, श्रीमन्, मैं भी एक कृषक हूं और सभी सदस्यों को जानकारी है कि 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा किसी ट्यूबवेल पर पानी नहीं दिया गया और वह भी रात में पानी दिया जाता है जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैंने उद्योग कमेटी में भी कहा था कि गेहूं पिसाने वाला आदमी अपने सामने गेहूं नहीं पिसा पाता। रात में बिजली दी जाती है। शाम से लोग अपनी गठरियां जमा कर देते हैं। फिर एक सप्ताह में केवल 3-4 दिन बिजली दी जाती है। जो भी समय यहां बताया गया है वह बिलकुल झूठा और काल्पनिक है। मैंने कहा था कि जितने घंटे एक सप्ताह में बिजली देने की बात करे वह नित्य प्रति एक दिन बन्दी छोड़ कर दिये जांय। जो गरीब और मजदूर हैं, जिनके यहां खाने की व्यवस्था नहीं है वह तीन दिन पहले खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। जो बिजली रात को दी जाती है वही अगर दिन में दी जाय तो लोग आसानी से अपना गेहूं पिसा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषकों की फसलों का कोई बीमा नहीं होता। यदि ओला आदि से उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसको कोई स्योरिटी नहीं है। फसलों का बीमा होना चाहिये।

हमारे क्षेत्र में किसानों के लिये सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोली जानी चाहिये। लेवी का जो दाम निश्चित किया गया है वह लागत से बहुत कम है। 150 रु० क्विंटल होना चाहिए। फिर लेवी का जो तरीका आपने पूरे जिले का एवरेज निकाल कर रखा है, वह भी गलत है। जो गरीब साधन हीन किसान हैं उसको इससे नुकसान होगा, जो प्रगतिशील किसान है वह लाभ में रहेगा। इसलिये गरीब किसानों को राहत देने के लिये माननीय कृषि मंत्री को सोचना चाहिये और साधन हीन किसानों का एवरेज अलग होना चाहिये।

जो भी माननीय सदस्य यहां चुन कर आये हैं अपने-अपने क्षेत्र की बातों को, कमियों को यहां बता रहे हैं। मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे यदि इस बजट से उनकी समस्यायें नहीं पूर्ण होती हैं और बजट का वे विराध करते हैं तो उन्हें चोर दरवाजे से उसका विरोध नहीं करना चाहिये, खुल कर विरोध करना चाहिये जिस तरह से मैं कर रहा हूं।

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा के लिये आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय तिवारी जी ने जो 1975-76 का बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह बजट निश्चय ही एक कल्याणकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेम दत्त]

बजट है, समाजवादी बजट है। सीमित साधनों के रहते हुये उसमें हर चीज का प्राविधान किया गया है, हर प्वाइन्ट पर गौर किया गया है। सेल्स टैक्स को वन प्वाइन्ट कर दिया गया है। बिजली को प्राथमिकता दी गयी है। राजनीतिक पीड़ितों को और वृद्ध लोगों के लिये पेन्शन की व्यवस्था की गयी है, कहने का तात्पर्य यह है कि चारों ओर सरकार का ध्यान गया है। शंका केवल एक पैदा होती है कि जो धन आवंटित किया है हर विभाग के लिये क्या उस विभाग द्वारा रुपये का सदपयोग हो पायेगा ? इसमें मुझे शंका पैदा होती है और वह इसलिये कि जो ब्योरोक्रेसी है उसे जनता के प्रति सहानुभूति नहीं है। आई० ए० एस० आफिसर अपने को इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जगह अपने को आई एम स्ट्रांग समझता है। यानी वह अपने को शक्तिशाली समझता है और जब कभी कोई काम पड़ता है तो कह देता है आइ एम सारी। आज इस आइ एम स्ट्रांग की भावना को समाप्त करना है। जब तक यह ब्योरोक्रेसी हावी रहेगी जनता का भला नहीं हो सकेगा। सरकार की नीयत अच्छी होते हुये भी, बजट अच्छा होते हुये भी, जो कार्यप्रणाली है वह अच्छी नहीं है।

बिजली विभाग में घाटे की बात भी कही गयी। मैं तो कहता हूं कि बजट में जो 19.85 करोड़ रुपये का घाटा है, अगर हमारी सरकार सतर्क हो जाय और अधिकारियों के ऊपर छापा मारे तो कोई नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजिलेंस को शक्ति दे दी जाय तो केवल छापा मारने से ही यह 19.85 करोड़ का घाटा पूरा हो जायेगा। मैं तो कहता हूं कि इतना ही नहीं बल्कि यह जो बजट बना है उसमें 40 परसेंट पैसा अधिकारियों ने अपने बचाने के लिये, खाने के लिये रखा है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। कल मैं अपने क्षेत्र में गया था। वहां एक अस्पताल की बिल्डिंग बनी है जो एक सेठ ने बनवायी है उसकी लागत 25 हजार रुपये है और उसी के सामने बैंक की बिल्डिंग बनी है जिसकी लागत 60 हजार रुपये बतलायी गयी। अगर कोई अनजान आदमी जाकर देखे तो उसे 60 हजार का और दूसरे को 25 हजार का कहेगा। यह है शासन के अन्दर कर्मचारियों का हाल चाल।

इसी तरह से मैं अपने क्षेत्र में गया। वहां एक नहर बनी। मैंने उसमें इस्तेमाल किये गये सीमेंट और मसाले का नमूना लाकर सिंचाई मंत्री जी को दिया और जिलाधीश को बतला कर वहां छापा डलवाया। वहां सीमेंट बरामद हुई, कापर प्लेट और सरिया भी बरामद हुई। जब यहां पर सब सामान आया तो अधिकारियों ने कह दिया कि यह वहां का मसाला ही नहीं है। अब यह तो चुनौती शासन के ऊपर और मेरे ऊपर आ गयी। मैं कहता हूं कि अगर वहां का मसाला न हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह वहां की मिसाल है कि सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने में मजबूर है और वह उनके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाती।

हमारे मंत्रिमंडल में बहुत से योग्य और ईमानदार लोग हैं लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि क्या वजह है कि वे उनके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं, अपना नियंत्रण उनके ऊपर नहीं कर पाते हैं। सरकार को चाहिये कि वह भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की व्यवस्था करे विजिलेंस की रिपोर्ट आयी और जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा— अभी तक केवल 10–12 मामले ही समाप्त हुए हैं। मैं कहता हूं कि जो सेक्रेटरी फाइल को दाबे रहे और 6 महीने के अन्दर उसे न निकाल दे उस सेक्रेटरी को आप बरखास्त कर दें। इसके लिये कोई नियम बना कर उसे निकाल देना चाहिये। क्यों कि वे अधिकारी उस जनता का खयाल नहीं करते जिस जनता के खून पसीने के बल पर हम यहां बैठे हुए हैं।

अब मैं अपने फतेहपुर के सम्बन्ध में कुछ कह दूं। आपने पूर्वांचल बना दिया, बुन्देलखंड क्षेत्र बना दिया और पर्वतीय क्षेत्र भी बना दिया लेकिन फतेहपुर को आपने न पूरब में डाला और न पश्चिम में। श्रीमन्, आप भी मेरे ही बगल के हैं। जो समस्या मेरे यहां है वही समस्या आपके यहां भी है और आप उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो

आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि वह फतेहपुर को किसी तरफ डाल दें, चाहे पूरब में चाहे पश्चिम मे और उसके साथ न्याय करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं लेकिन जो प्रणाली के सम्बन्ध में और अधिकारियों को कठोर शासन में रखने के सम्बन्ध में जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनको भी वह अपने ध्यान में रखें।

*श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध इसलिये नहीं करता हूं कि मैं विरोध पक्ष में बैठा हूं बल्कि इसलिये करता हूं कि यह बजट जिस तरह पिछले 27 साल से परम्परागत बनता रहा है, पुराने लकीर के फकीर की तरह बनता रहा है, उसी तरह से यह बना है। इसके अन्दर हमारे प्रदेश की किसी समस्या का हल नहीं है। हमारे प्रदेश के अन्दर समस्यायें क्या है? मैं निवेदन करूं कि हमारी समस्यायें हैं---गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वैसे तो बहुत सी समस्यायें हैं, लेकिन यह तीन समस्यायें हैं जो सारे प्रदेश को मगर की तरह ग्रस रही है और इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने का नारा इन लोगों ने लगाया। हमारा देश गावों में बसता है। गांवों मे किसान, कृषि मजदूर और गरीब लोग रहते हैं। यह खेती में लगे हुए हैं। आप इनसे बड़े जोर से टैक्स वसूल करते हैं, विकास कर लेते हैं इसी तरह से पता नहीं कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स आप इनसे वसूल करते हैं लेकिन जो इनकी समस्यायें हैं उन पर आपका ध्यान नहीं है। मैं कहता हूं कि आप जिस रफ्तार से चले यह उसी का नतीजा है कि आपने इतनी समस्यायें जैसा मैंने कहा गरीबी, बेरोजगारी, और भ्रष्टाचार को फैला दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, खेती का उत्पादन बढ़ाने से, लघु उद्योगों के लगाने से इन समस्याओं का हल हो सकता है। लेकिन इस बजट में बड़ी सफाई के साथ हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हुये बंधु ने कहा कि बिजली पर बहुत खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बिजली पर आप जो खर्च कर रहे हैं उससे जो बिजली पैदा होगी वह किसके लिये है, किसानों के लिये क्या है नहीं। आप किसानों को 38-40 पैसे यूनिट बिजली देते हैं और पूंजीपति बिड़ला को पहले 2 पैसे देते हैं और अब 10 पैसे यूनिट देते हैं। यह बिजली जो पैदा होगी पूंजीपतियों के लिये, फैक्टरियों के लिये है। गांव के जो छोटे छोटे किसान हैं यह उनके लिये नहीं है। आप किसानों की नहीं पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। जब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक मुल्क में बेरोजगारी नहीं दूर होगी।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लाखों पढ़ने लिखने वाले लोग बेकार हैं। इस बजट में आपने कुछ रखा उनके लिये, कि उनको रोजी मिलेगी, नौकरी मिलेगी? लघु उद्योग मिलेंगे? 27 साल तक आप इसी रफ्तार से चले। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वह अब भी है"।

मान्यवर, सत्ता पक्ष में बैठे हुये कुछ लोगों ने कुछ अंशों में बजट का समर्थन किया और कुछ ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश की जनता आज गरीबी और बेरोजगारी से कराह रही है। अगर आपको वह क्षमा करती है तो उसका दोष हम पर होता है। हम लोग आपकी जो कमियां हैं, जो गल्तियां हैं, उनको सदन के समक्ष रख देना चाहते हैं जिससे उत्तर प्रदेश की जनता सुने और देखे कि देश के विकास में कौन लोग रोड़ा बने हुये हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय बड़े नम्र शब्दों में निवेदन है कि आप विकास कर, मालगुजारी और इसी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो वसूल करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से, उससे कहीं अधिक, शासन में बैठे हुये लोग---राज्य कर्मचारी, मंत्री जनता से वसूल करते हैं। एक तो आप तनख्वाह पास करते हैं, विकास के कार्यों के लिये बजट है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंजी प्रसाद]

यह तो वैधानिक है लेकिन अवैधानिक तरीके से सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार है। जनता का शोषण किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, नहरों को लगाने के लिये, सड़क बनाने के लिये, अस्पताल बनाने के लिये पैसा नहीं है तब फिर भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कौन से बजट की जरूरत है ? भ्रष्टाचार तो ईमानदारी से काम करने से दूर होगा। एक बात कह दूं—चौधरी चरण सिंह की जब हुकूमत थी तो सारे प्रदेश के लोग उनकी सराहना करते थे कि भ्रष्टाचार प्रदेश से उठ गया है। आप भी इंसान हैं। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में 2 मिनट कह देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष——

समय नहीं है, समय केवल 2 मिनट रह गया है।

श्री गंजी प्रसाद——

मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं कि पुलिस की ज्यादतियां जो हो रही हैं उससे भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ ही साथ पुलिस शराब की भट्टियां बिठा-बिठा कर पैसा ले रही है। वाराणसी जिले में रेसा एक गांव है। उस हल्के में पुलिस 15-20 लोगों से शराब भट्टी खुलवाती है और 500 रु० मासिक उनसे लेती है। तो इसकी निगरानी कौन करेगा ?

मान्यवर, सिंचाई के लिये नहरें खुदी हैं लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। तो मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और पुनः मैं दोहराता हूं कि खेती की तरक्की के लिये, बेरोजगारी के लिये आपको पैसा चाहिये लेकिन भ्रष्टाचार के मिटाने के लिये तो आपको पैसा नहीं चाहिये और वह आपके स्वच्छ प्रशासन से दूर हो सकता है। आप राजनीतिक लोगों को दबाने के लिये अधिकारियों का प्रयोग करेंगे लेकिन गुण्डों को प्रोत्साहन देंगे। इसके साथ मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)——

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के 1975-76 के बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं साधारणतः बजट का समर्थन करता हूं। अभी विरोधी पक्ष से एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस के तरफ के आदमियों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिये। तो उनसे, मैं आपके माध्यम से, बतला दूं कि सावन में अंधे को हमेशा हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। विरोध पक्ष की नीति केवल विरोध की ही है। उनका जन्म ही विरोध के लिये हुआ है। उनकी समझ में नहीं आता है कि विरोध केवल विरोध के लिये नहीं किया जाता है बल्कि जहां अच्छाइयां हों वहां उसकी प्रशंसा करनी चाहिये और जहां बुराई हो वहां उसका विरोध होना चाहिये।

मान्यवर, जहां तक बजट का सवाल है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कई वर्षों की परम्परा को तोड़कर यह ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें सर्वसाधारण पर कोई प्रत्यक्ष कर नहीं है। साथ ही साथ सब को राहत पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। मान्यवर, इसके बाद मैं कुछ बुनियादी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस बजट में जहां तक कृषि, सिंचाई और विद्युत पर विशेष ध्यान देने के लिये जोर डाला गया है वह अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिला दूं कि कृषि में किसानों की उपज पर जो लेवी आज लगायी जा रही है उसके विषय में मेरा कहना है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि——'नो बडी शैल बी डिपराइव्ड आफ हिज प्रापर्टी विदआऊट प्रापर कम्पेनशेसन'।

मान्यवर, हमारे कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार हम किसानों और मजदूरों के हित की रक्षा के लिये हम प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है

सरकार से कि जो लेवी लगायी गयी है उसमें गेहूं का मूल्य बहुत कम लगाया गया है और वह लागत से भी काफी कम है। मैं इस संबंध में एक और बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका से गेहूं पी०एल० 480 या दूसरे समझौतों के अन्तर्गत जो भारत सरकार ने जो मंगाया है उसमें लगभग 65–66 रु० अधिक बाजार भाव से देकर गेहूं खरीदा गया है। हम विदेशों से अधिक दाम देकर खरीदें लेकिन क्या बात है कि अपने यहां के किसानों को कम दाम दें ? क्योंकि उनका कोई संगठन नहीं है। देश में मजदूरों की यूनियन है और सब लोगों का भी संगठन है लेकिन किसानों का कोई संगठन नहीं है जबकि 85 प्रतिशत किसानजन हैं। उस किसान का शोषण इस प्रकार से किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि कम से कम गेहूं की कीमत 150 रुपया रखी जाय, अगर दस पांच रुपया कम भी कर दी जाय तो कोई बात नहीं है। लेकिन वाजिब कीमत किसान को मिलनी चाहिये। साथ ही मैं एक बात निगम रूपी ठेकेदारी प्रथा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे वन मंत्री जी बैठे हैं। वह विधेयक लाये और वन निगम बनाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सदन का सरकार का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वह उस पर से हट जाता है। इन्होंने जंगल विभाग से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिये वन निगम बनाया लेकिन क्या यह ठेकेदारी और उसके ऊपर क्या यह किट किनेदारी की प्रथा नहीं है ? निगम बनते हैं। उन पर कंट्रोल रह नहीं जाता है और इस तरह से वहां भ्रष्टाचार फैलता है। विद्युत् निगम, परिवहन निगम आदि आदि को देखें। वहां क्या दुर्दशा हो रही है। विद्युत् के बारे में कई बातें कही गयीं किन्तु एक नई बात मैं कहना चाहता हूं। बढ़ी हुई 15 रुपया प्रति एच० पी० की दर की बात तो अपनी जगह पर है। लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना केन्द्रीय सरकार ने चालू की थी जिसमें केन्द्रीय सरकार पैसा देती थी। लेकिन उस योजना को विद्युत् निगम ने, बालिगा साहब ने समाप्त कर दी और कहा कि हम इसको नहीं चलायेंगे। जबकि केन्द्रीय सरकार पैसा देती है और यह रुपया बाद को इनको वापस करना होता है तब भी वह योजना खटाई में पड़ गयी और रोक दी गयी।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता। कहा जाता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप राष्ट्रीयकरण कर दें तो साल में करोड़ों रुपया आपको इससे मिल सकता है। इसी प्रकार एक बात उद्योग के विषयमें कहना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में, विशेष रूप से बस्ती जिले में कोई उद्योग नहीं है। दो कागज की मिलें खुलने की बात चल रही है। जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा, एक मिल लखीमपुर खीरी में खोलने की बात है। दूसरी मिल बस्ती के उत्तरी राप्ती क्षेत्र में आप खोलें यह मेरा निवेदन है। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं उनमें नौकर शाही द्वारा नाना प्रकार की रुकावटें डाली जाती हैं। हो यह रहा है कि "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती"। अगर हम कुछ कहें तो विद्रोही करार दिये जाते हैं। लेकिन हो यह रहा है कि मंत्रिगण आर्डर देते हैं और उनकी बात भी नहीं सुनी जाती और सचिव और डायरेक्टर अर्थात् ब्यूरोक्रेसी जो चाहता है, वह होता है। मंत्रीगण असहाय से हो जाते हैं। मैं स्वयं भुक्त भोगी हूं इसलिये इन सब बातों को कह रहा हूं।

श्रीमन्, मैं एक बात यह भी निवेदन कर दूं कि सड़कें किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिये रीढ़ हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री, कमलापति त्रिपाठी जी हमारे जिले में गये थे तो उन्होंने कहा था कि सड़कें राष्ट्र की उन्नति के लिये आवश्यक हैं। पूर्वी जिलों की विशेषतया बस्ती की जो हालत है और जितने पिछड़ा है वह सबको जाहिर है। मेरा निवेदन है उस तरफ भी ध्यान दिया जाय। अन्त में यह कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष जो रुपया विकास कार्यों पर खर्च होता है वह बहुत कम है और जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है उसमें और इस खर्च होने वाले रुपये में कोई सामंजस्य नहीं है। जो धन है वह कम पड़ रहा है और

[श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी]

आबादी बढ़ती जा रही है। योजना की गति को आप तीव्र करें और परकैपिटा ज्यादा खर्च करें, विशेष रूप से उस जगह जहां की आबादी ज्यादा है। वहां ज्यादा खर्च करें। हमारे जिले बस्ती में 32 लाख की आबादी है। अतः अनुपात से वहां ज्यादा रुपया दिया जाना चाहिये। मेरी यह भी मांग है कि सरकार योजना की गति को और तीव्र करे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अक्सर दिया।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह जो बजट आज सदन के सामने पेश है, यह केवल देश के मुट्ठीभर लोगों को और सुखी और सम्पन्न बनाने के लिये ही यह बजट है। प्रदेश के करीब 10 करोड़ लोग जो गांवों में झोपड़ियों में रहते हैं, वहां रह कर अपना जीवन बिताते हैं, उन सारे लोगों के प्रति यह बजट निराशाजनक है और यह सत्ताधारी दल तो भ्रष्टाचार का जनक है। भ्रष्टाचार की जनक यह कांग्रेस पार्टी जिसके द्वारा आज पूरे प्रदेश में न कोई कानून है, न कोई नियम है और न कोई व्यवस्था रह गई है बल्कि एक ही बात है कि आज जितना लूट सको लूटो और सरकारी तन्त्र के द्वारा मंत्रियों की हिफाजत करो।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से दो–तीन मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद में जहां फर्टीलाइजर का कारखाना है वहां पर 28 लाख रुपये का गबन प्रमाण सहित पकड़ लिया गया। यूनियन के मंत्रीने इस सम्बन्ध में तार दिया, दरख्वास्त दी और जब रिपोर्ट लिखाने गया तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इस समय हालत यह है कि सारे कागज-पत्रों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से उन 28 लाख रुपयों की सम्पत्ति के नुकसान पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह से हमारे देवरिया जिले में 20 फरवरी को एक खेत में काम करने वाली कु0 तेतरी जिसकी उम्र केवल 13 वर्ष की है, उसको वहां पर 4 लोगों ने पकड़ लिया और उन 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। 20 फरवरी से वह लड़की देवरिया के अस्पताल में भरती रही और 18 मार्च तक वह देवरिया के सदर अस्पताल में बेहोशी की हालत में रही।

मैंने इस चीज को सदन में उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई मौका नहीं दिया गया और न कोई कार्यवाही हुई। यह है सरकारी कारनामे। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आज दफ्तर में, हर कार्यालय में लूट का बाजार है, जो जहां पर है चाहे जो करे, कोई देखने वाला नहीं है देवरिया जिले में चक्रिया ग्राम में साढ़े 22 एकड़ भूमि कुष्ठ सेवा आश्रम को वहां 10 किसानों को उजाड़ कर दी गई है जिसके अध्यक्ष हैं श्री विजय नारायन और उपाध्यक्ष हैं श्रीमती मालती पांडे . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बाहर के व्यक्तियों का नाम न लें।

श्री हरिकेवल—

इस तरह से मान्यवर, साढ़े 22 एकड़ जमीन कुष्ठ सेवा आश्रम के नाम से 10 किसानों को उजाड़ कर दे दी गई। इसी तरह से सपहा फार्म के लिये 288 एकड़ जमीन वहां पचासों हरिजनों को उजाड़ कर दी जा रही है। पी0 ए0 सी0 वहां जाती है और वहां के लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है और उस जमीन को दूसरे हिस्से में लेने का काम करती है तथा उन फार्म्स की जमीन जो सीलिंग से निकलती हैं उसको गरीब मजदूरों तथा भूमिहीनो में बाटने के बजाय जिनके नाम से जमीन पहले थी उन्हों को बांट दी जाती है। इसी तरह से पंपिंग सेट्स जो किसानों को मिलते हैं जिसकी कीमत 1,700 रुपये होती है, उसे बी0 डी0 ओ0 के माध्यम से 3,000 रुपये में दिलवाने की कोशिश की जाती है। हमारे यहां देवरिया

में जिला परिषद के अध्यक्ष हजारों हरे आम के पेड़ों को कटवा रहे हैं और मिट्टी के मोल बेच रहे हैं लेकिन अगर कोई किसान हरे पेड़ को कटवा दे तो उस पर प्रतिबन्ध है और उसे जेल भेजे जानेकी व्यवस्था हो जाती है। इसी तरह से गन्ने के दाम ज्यों के त्यों हैं। देहात के किसान को चीनी की आवश्यकता होती है लेकिन उसे ब्याह शादी में चीनी नही मिल पाती है। यहां खाद्य मंत्री बैठी हैं।

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनको क्या अधिकार है जब वह किसान को खाद, पानी तथा बिजली सस्ते दर पर नहीं दे सकतीं तो लेवी लगा कर 105 रुपये क्विन्टल में गेहूं कैसे ले रही हैं? आज गांव में रहन वाला किसान यह कहता है कि उसको मोटा अनाज ही दे दो, गेहूं दे दो, चावल, मक्का अथवा बाजरा दे दो, वह भूखा है और भूख से तड़प रहा है लेकिन यह सरकार उसको कुछ नहीं दे पाती है तो लेवी से अनाज वसूल करने का इस सरकार को क्या अधिकार है?

बिजली के दाम बढ़ जाने से आज नलकूप बन्द होते जा रहे हैं। आज चोरी, डकैती, राहजनी तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यह सरकार उसे नहीं रोक पा रही है। मेरा अन्त में यही कहना है कि लोक नायक, जयप्रकाश जी ने जो देश की जनता को आह्वाहन किया है उस पर वह अमल करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं। पिछले बजट सेशन में मैंने एक बात कही थी और आज उसे फिर दोहराना चाहता हूं। मैंने विद्युत के बारे में कहा था कि बिजली तथा सोवियत बराबर है रशन सोशलिज्म के। (Electricity Soviet Socialism) जिस समय जारशाही से रूस मुक्त हुआ था उस समय लेलिन महोदय ने विद्युत् के बारें में यही शब्द कहे थे।

वर्तमान सरकार भी विद्युत् की महत्ता को स्वीकार करती है और ऐसी दशा में मुझे आशा है कि वह प्रदेश की 9 करोड़ जनता को अच्छी तरह से बिजली दे सके तो खेतों की सिचाई हो सकेगी और उत्पादन बढ़ सकेगा। मैं व्यक्ति गत रूप से माननीय विद्युत् मंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस वर्ष अकेले विद्युत् पर 181 करोड़ 75 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की है। जब मैं इससे पूर्व इस माननीय सदन का सदस्य नहीं था तो मैं यह सोचता था कि इस माननीय सदन में विरोधी पक्ष के लोग शायद सरकार की उन्हीं नीतियों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं जो जनहित में नहीं होती लेकिन मैंने देखा है कि किस प्रकार से माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता जनसंघ आदि दिग्गज नेताओं के भाषण यहां पर हुये हैं। उनके विचारों से मैं अवगत हुआ हूं।

मान्यवर, हंसी आती है जिस तरह से व यहां पर विरोधी दल के नेता होने की हैसियत से अपना परिचय देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। हमने देखा है जब यहां पर बजट भाषण हो रहा था तो किस तरह से वे बीच में खडे होते थे। जब वे बोलते हैं तो 3/5 घंटे घंटे से कम समय उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन उनकी बातों को सुनने में हमने अपना धीरज नहीं खोया है। जब वित्त मंत्री जी यह भाषण पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपना धीरज खो दिया। वे समझते थे कि अब की बार चूंकि प्रदेश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है इसलिये शायद कोई घटिया किस्म का यह बजट होगा किन्तु जब उन्होंने देखा कि बावजूद इसके कि जब प्रदेश अर्थ-संकट से गुजर रहा है तब भी यह इतना बेहतरीन बजट दर्शाया गया है, बेहतरीन कदम उठाये गये हैं और यह उनकी कल्पना के विपरीत निकला है। इसलिए वे सदन छोड़कर चले गये।

मान्यवर, विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वह प्रदेश और सरकार के दिवालियेपन का परिचय देता है लेकिन मैं जोरदार शब्दों में कहता

[श्री जयराज गौतम]

हूं कि आप अपने 2/4 साल पहले के बजट भाषणों को देख लें और इसके साथ उनकी तुलना कर लें तो मैं समझता हूं कि आज के बजट भाषण में उतना ही अन्तर है जितना कि जमीन और आसमान का अन्तर ।

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ अपने जिले के बारे में भी बोलें ।

श्री जयराज गौतम--

मान्यवर, यह सरकार विद्युत् के लिये 181 करोड़ 75 लाख रुपया खर्च करने जा रही है और सिचाई के लिये 70 करोड 67 लाख रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है। साथ ही कृषि के समुचित विकास के लिये 50 करोड़ 35 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे उद्योगों–धंधों को खोलने की व्यवस्था सरकार कर रही है ताकि हमारे जो नौजवान छात्र आज बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वह मिल सके । शासन ने उद्योग धंधों के लिये 35 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था की है । 33 आयुर्वेदिक अस्पताल और 30 होमियोपैथिक कालेजेज खोलने की सरकार ने व्यवस्था की है ।

मान्यवर, मैं जिस जिले से आता हूं वह सुल्तानपुर जनपद है और वह बहुत पिछड़ा हुआ है । इस जनपद से जो दोषपुर कस्बा है वह सबसे ज्यादा आबादी वाला कस्बा है, शासन में ऐसी व्यवस्था है कि टाउन एरिया, म्युनिसिपल एरिया और नोटिफाइड एरिया आदि स्थानों के लिये विद्युत् की विशेष व्यवस्था की जाय मैंने देखा है कि वहां पर एक घंटे के लिये बिजली आती है और आंख–मिचौनी करके चली जाती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों में बिजली की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतत्व में एक–डेढ हजार हरिजन व्यक्ति पुलिस में भरती किये गये । चालू वित्तीय वर्ष में हरिजनों के विद्यार्थियों, हरिजन छात्रों के लिये लिये 2 करोड़ 50 लाख रुपया छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी करके उनके उत्थान के बेहतरीन कदम उठाये गये हैं जिससे 80 हजार छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल सकेगी और वे उससे लाभान्वित हो सकेंगे । सरकार ने विकलांगों को छात्रवृत्ति और आर्टिफिशियल श्रव्य साधनों को सुलभ कराने के लिये 1 लाख 30 हजार रुपये की व्यवस्था की है। तो मैं जानना चाहता हूं हूं कि विरोधी दल के सदस्य किस आधार पर कहते हैं कि इस बजट से सरकार ने अपने दिवालियापन का परिचय किया है । मैं कहता हूं कि यह उनकी बुद्धि का दिवालियापन हो सकता है बजट का दिवालियापन नहीं कहा जा सकता ।

सरकार ने प्रदेश में एक और कदम उठाया बहुत मजबूती के साथ कि जो पहले बहुसूत्री बिक्री कर व्यवस्था थी जिसके लिए एक लम्बे अर्से से डिमांड थी कि इस बहुसूत्री कर को हटा कर एक सूत्री कर दिया जाय । तो वर्तमान शासन ने उसे हटा कर एक सूत्री करके एक प्रगतिशील कदम उठाया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जयराज गौतम---

एक मिनट में समाप्त करता हूं । मान्यवर, सबसे बड़ी विशेषता इस बजट में यह है कि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय हो गया है समाप्त करें ।

श्री जयराज गौतम---

समाज कल्याण विभाग की बात कहता हूं जो हरिजनों को अनुदान दिये जाते है उसमें से 50 फीसदी रुपया जो है वह दूसरे लोग खा जाते हैं। मैं कहता हूं कि उनको जो बैल, सुअर पालने के लिये, या महिलाओं को सिलाई मशीन के लिये जो अनुदान दिया जाता है, उसे इकट्ठा करके दें उसी धनराशि का लघु उद्योग धन्धे खोलें और उसमें 90 प्रतिशत हरिजनों को ही स्थान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

आप का समय समाप्त हो गया है।

*श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़) ---

मोहतरिम, डिपुटी स्पीकर साहब, मैं इस बजट की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो बजट पेश किया गया है जिसे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है यह समाजवाद के खिलाफ है यह, किसान के खिलाफ है, हरिजनों के खिलाफ है। इसकी मुखालिफत न सिर्फ यह लोग करते हैं बल्कि उधर के माननीय सदस्य, काशीनाथ जी ने जैसा कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ भी आता है। मैं उनको 50 फीसदी धन्यवाद आज देता हूं और 50 फीसदी उस वक्त दूंगा जब वह इसके खिलाफ वोट करेंगे। 50 फीसदी मैं उस वक्त उनको मुबारकबाद दूंगा।

मान्यवर, किसानों का जहां तक ताल्लुक है, पिछड़े वर्ग के लोगों का जहां तक ताल्लुक है, यह बजट उनके खिलाफ जाता है। उसके दो पहलू हैं मान्यवर, जब गिरानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त जो वस्तुओं को इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनको हक हासिल है कि वह इकोनामी करें। लेकिन यहां पर उनको हक नहीं दिया गया है। किसानों को जो बिजली दी जाती है उसके दाम बढ़ा दिये गये। हार्स पावर के दाम बढ़ा दिये अगर प्रदेश में कोई किसान 5 या 10 हार्स पावर से कम को मोटर लगाना चाहता है तो उसे 5 हार्स पावर की मोटर नहीं लगाने दी जा रही है। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा जुल्म किया जा रहा है। दुनियां भर में जब कही गिरानी होती है तो आदमी को हक हासिल है कि वह इकोनामी करे लेकिन उससे वह अधिकार छीना गया है।

मोहतरिम डिपुटी स्पीकर साहब, मैं एक चीज और आप के तवसुस से कहना चाहता हूं कि यह जो लेवी लगाने का सवाल है उसमें जाहिर है कि जब किसी की चीज ली जाती है तो उसको कीमत का तबसूस रखा जाता है। लेकिन किसान से जो गेहूं लिया जाता है उसमें जो कीमत मुकर्रर की गई है उसमें इस बात का ख्याल नहीं किया गया है। उनके अखराजात आज इतने ज्यादा हैं कि जिस भाव पर सरकार उनसे लेने जा रही है, उस दाम में वह नहीं पड़ता है। उसको जो कीमत मिल रही है उससे उसके परिवार के लोगों का पेट नहीं भर सकता है। अगर उनको आप ठीक दाम नहीं देते हैं तो आपको लेवी लेने का हक नहीं है।

मोहतरिम, मैं अब करप्शन की बात करता हूं। आज करप्शन इस तरह से बढ़ गया है, रिशवत इस तरह से बढ़ गई है, भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ गया है कि उसका नासूर अब पैर में न रह कर सिर तक आ गया है। जनता की जबान से अब बात निकल रही है कि करप्शन उन लोगों की तकसूस से हो रहा है जो करप्शन रोकने के लिये बनाये गये हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि करप्शन वह लोग कर रहे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। उन्होंने तय कया है कि करप्शन को अब दूर नहीं करेंगे। जब करप्शन की शिकायत की जाती है तो मंत्री जी बेवस हो जाते हैं। मोहतरिम, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हमारा मंत्रिमंडल तय कर ले कि करप्शन दूर करेंगे तो 24 घंटे के अन्दर करप्शन दूर कर सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद मसूद खां]

लेकिन करप्शन की मदद उनकी तरफ से हो रही है। मैं बाअदब गुजारिश करूंगा कि अगर इस प्रदेश को बचाना है तो जो उनकी अस्तीन में सांप हैं उनको निकाला जाय। इस सिलसिले में मैं 2 मिसरा आपके तबस्सुम से रखना चाहता हूं—

"चमन के माली अगर बना लें मुआफिक अपना स्यार अब भी।
चमन में आ सकती है पलट के चमन से रूठी बहार अब भी॥"

मोहतरम, मैं दो चीज अक्लियत के बारे में और कहना चाहता हूं। लखनऊ एक शहर था, जिसमें खलील खां फाख्ता उड़ाते थे और आज यहां हालत यह है, उनकी बद-किस्मती से हालत यह है कि फाख्ता खलील खां को उड़ा रहे हैं, क्योंकि आज इतनी बेसहारा अक्लियत हो गई है। किसी नौकरी में इनकी कोई पूछ नहीं है। फारेन जाकर मजदूरी कर लेते थे, उनको कुछ फारेन वाले अपने यहां सर्विस में लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत पैदा कर दी गई है। यहां का पासपोर्ट डिपार्टमेंट उनके विसा खत्म किए दे रहा है, यानी उनको फोरेन भी नहीं जाने दे रहा है।

जहां तक उर्दू का सवाल है, यह हुकूमत उर्दू का मसला हल करना ही नहीं चाहती है, नहीं तो यह मसला हल हो सकता है। इसके हल का तरीका यही है कि जूनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई में लाजिमी तौर पर उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा दे दिया जाए और हर एक आदमी के लिये इसका पढ़ना लाजिमी कर दिया जाए और यों ही एक आलीशान उर्स कर देने से यह मसला हल नहीं होगा, इस बारे में जैसा एक शायर ने कहा है, वह मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं—

"लखनऊ में रात हजरते गालिब मिले मुझे,
कहते थे कि दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं,
उर्दू का नाम तक किसी राह पर नहीं,
हर एक से पूछता हूं कि जाऊं किधर में।

आज उर्दू दां आदमी, हमारे जैसे 40–50 आदमी जो इस हाउस में बैठे हुए हैं, कहने को वह डर से कुछ कह दें, वे इस प्रोसीडिंग्स को इसलिये नहीं समझते हैं कि यह उनकी मादरी जबान में नहीं है। जबकि पिछले साल हमसे वायदा किया गया था कि इस बात का अगले साल से इंतजाम कर दिया जाएगा। उसका इंतजाम होना तो दूर रहा, उल्टे यहां की भाषा को और कठिन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस प्रदेश के अन्दर बजट स्पीच भी उर्दू में नहीं छपी। छपी तो अंग्रेजी में छपी, जो इस प्रदेश और इस देश की जबान नहीं है। यह हालत है और उसके बाद भी ढिंढोरा यह पीटा जा रहा है कि उर्दू के साथ बहुत इंसाफ किया जा रहा है, जबकि यह नहीं किया जा हा है।

श्री नारायण हरी शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह 75–76 का बजट एक ऐसा बजट है, जिसमे आलोचना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज जो लोग यहां कहते हैं कि यह बजट किसान विरोधी है, उनके लिये मैं कह सकता हूं कि वे लोग या तो किसान सही मायने में नहीं हैं या किसान के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। बजट में जितनी ज्यादा गुंजाइश किसानों के लिये रखी गई है, उससे ज्यादा बजट में शायद कभी भी नहीं रखी गई है। इस बजट में 302 और 80 लाख का प्राविधान बिजली, सिंचाई और कृषि के लिये किया गया है। कृषि के उत्थान के लिये जो दरवाजा खोला गया है, वह सराहनीय है और उसके साथ ही साथ व्यापार पर अधिक कर न लगाकर जो नई प्रणाली

कायम की गई है यह बहुत अच्छी है। आज इस बजट में समाज के किसी वर्ग और प्रदेश के किसी क्षेत्र के लिये यह कहने की गुंजारिश नहीं है कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया है ।

आज कृषि, सिचाई और बिजली पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि ये उत्पादक योजनाएं हैं। जब तक प्रदेश में बिजली के द्वारा कृषि का उत्थान नहीं होगा, तब तक प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता है। आधुनिक खेती के लिये बिजली बहुत ही आवश्यक है। इनकी मैं सराहना करता हूं और कुछ इसकी मुख्य बातों की ओर मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कृषि और बिजली के लिये धन का वितरण तो किया गया है, लेकिन इसका जनहित में उपयोग हो जाना बहुत आवश्यक है। आज आलोचना इस बात की है कि बजट के द्वारा जिन जिन योजनाओं का प्राविधान किया जाता है उनके कार्यान्वियन में अपूर्णता और शिथिलता होती है। मैं चाहूंगा कि शासन द्वारा बजट के द्वारा जो प्राविधान किया गया है, कृषि में, विजली में या अन्य योजनाओं में उसका सही इस्तेमाल होना चाहिये। कृषि में शोध कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। वह लैबोरेटरी के शोध केन्द्रों तक सीमित है। शोध का ज्ञान किसान तक पहुंचे तभी खेती की तरक्की हो सकती है।

बिजली में जो न्यूनतम गारंटी किसान के लिये की गयी है या व्यापारी के लिये की गयी है उस न्यूनतम गारंटी करने के बाद शासन का दायित्व है कि उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार पूरे समय तक बिजली दे। बजट में जितना धन दिया गया है उससे बिजली का उत्पादन करके उस दायित्व को निभाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का है। आज इसी न्यूनतम गारंटी के कारण बहुत से काश्तकार मांग करते हैं कि हमारा कनेक्शन 10 हार्स पावर से पांच हार्स पावर कर दिया जाय। और व्यापारी मांग करते हैं कि 50 हार्स पावर का 25 हार्स पावर में कर दिया जाय लेकिन राज्य विद्युत् परिषद् ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ दूसरे आदमी ऐग्रीमेंट करने को तैयार हैं कि उनको नये कनेक्शन दिये जायं। जो जरूरतमन्द हैं उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता और जिनकी जरूरत सीमित है, बिजली का बचाव करना चाहते हैं आज उसको दुतकारा जाता है। इस तरह के असंतुलित व्यवहार को रोका जाय और बिजली को काश्तकार तक पहुंचाया जाय।

चूंकि समय कम है इस लिए सिचाई की बात न करके अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में बात करता हूं। मैं हाथरस क्षेत्र से सम्बन्धित हूं। हाथरस किसी वक्त कानपुर के बाद दूसरे नम्बर पर औद्योगिक नगर था। आज वहां उद्योग चौपट हो गये हैं। वहां जो तीन मिलें थीं उसमें एक मिल जिसका नाम बिजली काटन मिल है, उसमें 25 सौ श्रमिक काम करते थे, आज उसमें आठ सौ श्रमिक काम कर रहे हैं। जो बीमार मिल सरकार द्वारा ली गयी है, उसमें कताई बुनाई का काम शुरू करके मजदूरों को रोजगार दिया जाय। श्रीमन्, आज बिजली के अपव्यय के कारण हमारी नगरपालिका का जो वाटर वर्क्स है, वह सफर कर रहा है।

गरमी के दिनों में वहां की जनता एक-एक बूंद पानी के लिये त्रसित होती है। वाटर वर्क्स को पूरी बिजली दी जाय जैसे पहले व्यवस्था थी जिससे पानी की दिक्कत न हो।

गरीब आदमियों में भूमि वितरण का काम देहातों में हो रहा है। अपने क्षेत्र में मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि भमि सुधार का जो प्राविधान किया गया है उस को मैं सही तब मानूंगा कि अगले वर्ष बजट पेश होने तक भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन कर दिया जाय। आज मौके पर जिसके नाम जमीन है उस का कब्जा नहीं है। इस लिये वीकर सेक्शन को दिक्कत हो रही है। उससे झगड़े और तनाजे का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे गरीब आदमी की व्यवस्था बहुत खराब है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

श्री नारायण हरी शर्मा--

सरकार छः फीट डायमीटर के कुएं बना रही है। वे चार फीट डायमीटर के बनाये जा सकते हैं जिससे पीने के पानी की अच्छी तरह से व्यवस्था की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)--

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में जिन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिये बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। जन साधारण और निर्धन और मजदूर वर्ग को न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिये। आज भी प्रशासन में कमजोर वर्ग के लिये तरक्की के लिये कोई स्थान नहीं है। बहुत से खुशहाल लोग तरक्की पा कर स्वर्ग के लिये सीढ़ी बनाना चाहते हैं लेकिन यह निर्धनों के हितों को रौंदते हुये स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहते हैं। सारे भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है और जब कृषि में गड़बड़ी होती है तो भूचाल की तरह से हमारी अर्थ व्यवस्था पर झटका लगता है। सारे बजट को कृषि पर ही लगा देना चाहिये। सिचाई की व्यवस्था वहां की गई है जहां नहरें चल रही हैं, बम्बे चल रहे हैं, उनके किनारे किनारे नलकूप लगे हैं और कुएं बनाये जा रहे हैं। जहां सिचाई के साधन न हों वहां पर नलकूप और कुएं बनाये जाने चाहिये।

मैं आपको बताऊं कि कृषि के मूल्य किस तरह से निर्धारित किये जा रहे हैं। कृषि मूल्य आयोग आज किसानों का दुश्मन साबित हो चुका है। 73-74 में कृषि मूल्य आयोग द्वारा धान का मूल्य 63 रुपये निर्धारित किया गया था। इसको विकास परिषद् के ऊपर छोड़ दिया गया जिसमें प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स थे तो धान का मूल्य 63 रुपये के बजाय 110 रुपये निर्धारित हुआ। इसलिये इस आयोग को समाप्त किया जाना चाहिये और मूल्य निर्धारण का कार्य स्टेट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिये। तभी किसानों की भलाई हो सकती है। खाद के कारखानों का बजट में कोई जिक्र नहीं है, कृषि, आज के मारकेटिंग का भी कोई प्राविधान नहीं है, किसानों के आने जाने के लिये जो चक रोड हैं, उनके निकालने की ओर इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इसके साथ ही साथ प्रदेश व देश की शान्ति व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हत्यायें 1969 में 3112 जो 1973 में 3927 हो गई, डकैती 1969 में 2006 हुई जो 1973 में 3487 हो गई। इसी तरह से राहजनी 1969 में 2772 थीं जो 1973 में बढ़कर 6358 हो गई। इससे अंदाजा लग सकता है कि हमारे देश व प्रदेश की शान्ति व्यस्था की स्थिति कैसी है। प्राइवेट चोरियों से ज्यादा भयावह स्थिति सरकारी चोरियों की होती है। रोज टेलीफून के तारों की चोरी होती है। जब सरकारी सम्पत्ति की चोरियां हो तब स्थिति सामान्य न समझकर चिन्ता जनक स्थिति समझनी चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1972 में क्या थे और 1973 में क्या हो गये। हमारे भारत वर्ष में 28.7 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई है जबकि डेवेलप्ड कंट्रीज में कुल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ईरान में 9.8 प्रतिशत, ईराक में 4.2 प्रतिशत, मिश्र में 4 प्रतिशत और पास्किताान में 12 प्रतिशत मूल्य में वृद्धि हुई है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मजदूरों का किस तरह से शोषण होता है। हिन्दूस्तान में 125 से लेकर 150 प्रतिशत तक मूल्यों में वृद्धि हुई जबकि मनी वेजेज में 20 से

30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि यू0 के0 में मूल्यों में 45 प्रतिशत और मनीवेजेज में 67.5 प्रतिशत, इसी तरह से इटली में 47.5 प्रतिशत मूल्यों मे वृद्धि हुई और मनी वेजेज में 62.2 प्रतिशत हुई। इसके माने यह हैं कि विदेशों में मजदूरों को मजदूरी काफी अच्छी मिली जब कि भारतवर्ष में मजदूरी की स्थिति जीरो के सतह पर पहुंच रही है।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात श्रम कल्याण के विषय में और कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपना भाषण समाप्त करें। -

श्री गौरे लाल शाक्य---

इसके साथ साथ मैं यह और कहना चाहता हूं कि फेमिली प्लानिंग पर जो धनराशि खर्च की जाती है, उसको उन संस्थानों पर खर्च किया जाना चाहिये जो मानव सेवा कर सके। तहसील लेबिल पर कारखानें कायम करें। फेमिली प्लानिंग में पति पत्नी की फेमिली प्लानिंग की जाती है। यही नहीं, विधुर की भी फेमिली प्लानिंग की जाती है जो कि केवल रुपया लेने के लिये ही की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं फर्रुखाबाद जनपद से आया हूं। मैं उस जनपद की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, लघु सिंचाई योजना में फर्रुखाबाद जिले को नहीं रखा गया है जब कि जो 14 जिले रखे गये हैं उसमें से फर्रुखाबाद को रखना चाहिये था। फर्रुखाबाद में बिजली की सबसे ज्यादा परेशानी है। छिबरामऊ जो म्युनिसिपल बोर्ड हमारा है उसमें 133 के0 वी0 का पावर लगना था, मैंने असेम्बली में क्वेश्चन भी किया था और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था परन्तु अभी तक 133 के0 वी0 का पावर नहीं लगाया गया। जो कानपुर में कंट्रोल है उसकी कोई टाईमिंग्स नहीं है जब चाहे तब बिजली काट दी जाती है, तो इस पर कंट्रोल पर कंट्रोल होना चाहिये। छिबरामऊ में एस0 डी0 ओ0, हाईडिल रहता है और वह बिल वही बनाता है, फर्रुखाबाद में तो इसकी आसानी यह थी कि छिबरामऊ एस0 डी0 ओ0 के दफ्तर में बिल बने। इसके बारे में मंत्री जी को दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। कमालगंज और गुरसहायगंज टाउन एरिया में मुश्किल से 4-4 घंटे बिजली आती है और 20 घंटे बिजली नहीं आती है। सिंचाई में दो स्कीमें मैंने दी थीं इसके ऊपर गदनपुर, तुर्राघाट में और एक विधौलीघाट, ये दोनों काली नदी पर स्थित हैं जब कि यहां पर इन दोनों से लाखों बीघा जमीन की सिंचाई हो जायगी और बेकार पड़ी हुई वह जमीन और दूसरे टयूबवेल हमारी कंस्टीट्युंसी कमालगंज में नहीं लगाये गये है।

एजूकेशन के बारे में जिला परिषद् जो है वहां पर छिबरामऊ में जिला परिषद् की बिल्डिंग को आज तक म्युनिसिपल बोर्ड को ट्रान्सफर नहीं किया है जब कि म्युनिसिपल बोर्ड का अलग डिपार्टमेंट होता है। गवर्नमेंट से 3 साल से लिखापढ़ी चल रही है लेकिन आज तक ट्रान्सफर नहीं किया गया है। कमालगंज में कोई लड़कियों का स्कूल नहीं है और फर्रुखाबाद में कोई इंजीनियरिंग कालेज भी नहीं है। चामर, खुदायगंज, बरौल और अजीजलपुर मेंआयुर्वेदिक या होमियोपैथिक या एलोपैथिक डिस्पेंसरी नहीं है, वहां पर खोलवाया जाय क्योंकि वहां पर जनता को बहुत परेशानी होती है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें, बहुत बातें हो रही हैं।

श्री अनवार जमील--

आवास के लिये यह जो स्कीम है आपके आवास विकास की, यह छिबरामऊ नगरपालिका के लिये जो थी, चेयरमैन आवास विकास ने सेंक्शन कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट से क्लीयरेंस नहीं हो पाई। पर्यटन के लिये मेरा कहना है कि कन्नौज, छिबरामऊ और संकसा ये तीर्थ स्थान हैं लेकिन वहां पर रेस्ट हाउस नहीं बने हैं। इंडस्ट्रीज में यह है कि हमारा फर्रुखाबाद सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज वहां पर सरकार ने नहीं लगाई। मैंने खुद स्कीम दी कि यहां पर ड्राईचिप्स और गुलूकोस स्लाइस आलू ही बन लें और छिबरामऊ के लिये मैंने दिया था कि वहां पर वेजीटेबुल आयल मिल्स लगाई जाये क्योंकि वहां पर मोमफली सबसे ज्यादा पैदा होती है और यह जो धान पैदा होता है उसकी पयार से बनाने की स्कीम सौरिख में दी थी और यह सब चीजें स्कीमें जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटी बनी हुई है उसके थ्रू गवर्नमेंट को भेज भी दिया था लेकिन आज तक कोई इस पर कार्यवाही नहीं हुई। ट्रान्सपोर्ट में हमारा कहना है कि आज तक जो तेराजाकट बस स्टेशन था लेकिन उसको खत्म कर दिया गया।

दूसरे छिबरामऊ में रोडवेज डिपो के लिए लिख चुका था जब कि 100 बसें रोज वहां से पास पास होती हैं लेकिन आज तक वहां पर रोडवेज डिपो नहीं बना है फर्रुखाबाद में बहुत ही पुरानी बसें चल रही हैं। और गुरसहायगंज में जो बस स्टेशन है वह बिलकुल सड़क पर ही है जिससे हमेशा खतरा बना रहता है।

अब मैं पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां कोई सड़क नहीं है। यहां पर एक चासर गांव सभा है जिसमें 150 गांव लगते हैं वहां पर चिमिर रिशि का आश्रम भी है। यह क्षेत्र बरसात के दिनों मे पानी से भर जाता है। यहां पर खत्ता नाला और काली नदी पड़ती है। इन दोनों पर पुल बनना बहुत ही आवश्यक है। वहां पर यातायात के साधन नहीं रह जाते हैं। इस पर हमने क्वेश्चन भी किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं गुरसहायगंज जनपद फर्रुखाबाद लेबर वेलफेयर के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चहता हूं। यहां पर 72,000 बीड़ी मजदूर रहते हैं। गुरसहायगंज में लेबर वेलफेयर सेन्टर बनाने की आवश्यकता है। दूसरे, लेबर लाज का इनफोर्समेंट होना चाहिये। तीसरे, यहां पर लेबर कालोनी बनानी चाहिये जिससे गरीब मजदूर को आवास की कटिनाई दूर हो जाये। चौथे, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य बीमा योजना को यहां पर लागू करना चाहिये।

अब मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। जहनगंज, खुदायगंज, छिबरामऊ सिटी और छिबरामऊ देहात के लिये पुलिस स्टेशन कायम करना बहुत ही जरूरी है।

छिबरामऊ, कमाल गंज, तथा गुरसहायगंज में एक भी सस्ते गल्ले की दूकान नहीं है जब कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में सस्ते गल्ले की दूकाने हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यहां पर सस्ते गल्ले की दूकाने खोली जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीश चन्द्र खण्डेलवाल (जिला पीलीभीत)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है और उसका निष्कर्ष यह है कि हम विरोध पक्ष के लोग तो विरोध करने के लिए खड़े होते ही हैं लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से भी लग भग पहले रटी रटाई भाषा बोलने के बाद सबने इस बजट का विरोध किया है। सभी लोगों ने इस बात को कहा है कि बटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है। यही शिकायत पिछले २७ वर्षों में भी रही है जिसके कारण

हमारे प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकी है। हमारे प्रदेश की उन्नति काश्तकार की उन्नति के साथ जुड़ी हुई है। किसान को किस चीज की आवश्यकता है या उसको किस चीज के मिलने में कठिनाई होती है, क्या आपने इसको कभी सोचा है? किसान को शांति चाहिए वह आप दे नहीं पा रहे हैं। हम लोग देहाती अंचलों से आते हैं और हम लोगों को उनकी तकलीफें अच्छी तरह से मालूम हैं। आपके भी साथी देहाती क्षेत्रों से आते हैं, मुझे पता नहीं कि वे आप को किसानों की कठिनाइयों से अवगत कराते हैं अथवा नहीं कराते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसान को चूसा जाता है। मिसाल के तौर पर जब एक आदमी मरता है तो वारिश के नाम जायदाद आने के लिये सही हकदार को भी अधिकारियों द्वारा मांगा गया पैसा मजबूरन खर्च करना पड़ता है, बिना रुपया दिए हुए वह जमीन उसके नाम नहीं आ पाती है। वह महीनों चक्कर लगाता रहता है। इस तरह की चीजें होनी चाहिये जिससे कि किसान को राहत मिले।

मामूली सी बातें हैं। जैसे आप को आमदनी बढ़ाने के लिये अध्यादेश निकालने की फिक्र रहती है तो क्या कारण है कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं निकाला जा सकता है जिससे यह हो जाय कि यदि १ महीने के अन्दर विरासत का इन्दराज नहीं होगा तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? लेकिन पता नहीं आप क्यों ऐसी बातों को टालते हैं जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। मैं समझता हूं कि आप किसान को खुशहाल इसलिये नहीं, देखना चाहते हैं कि आपके दिमाग में यह बात घूम रही है कि सम्पन्न और खुशहाल लोग आलसी बन जाते हैं। आपका यह खयाल है कि आज का किसान बहुत ही खुशहाल व्यक्ति है। यह आपका केवल भ्रम ही है।

किसानों के लिये आपने एक भूमि विकास बैंक की व्यवस्था की है। सिंचाई के विषय पर बोलते हुए पहले भी मैंने और कई माननीय सदस्यों ने सदन में रखा था लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगी। जो पम्पिंग सेट ३ या साढ़े ३ हजार का बाजार में मिलता है, वह भूमि विकास बैंक के द्वारा ८,००० रुपये में मिलता है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर तुरन्त ध्यान दें अन्यथा लोगों की धारणा है कि यह भूमि विनाश बैंक बन जायगा। मैं तो चाहता हूं कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपको इन २७ वर्ष की अवधि में गरीबों की जिन्दगी का अहसास नहीं रहा है। मेरा सुझाव है कि आप देहाती अंचलों में सीधे जायं और अगर डर लगता है तो वहां के विधायकों की सहायता लें तब आप आगे प्रदेश को बढ़ा सकते हैं। आपको हम सब का सहयोग मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बिक्री कर समिति की स्थापना हुई थी जो २७ वर्ष के इतिहास में पहली थी। उसके सदस्यों ने कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखे और उस पर ध्यान देने के बाद जो मुनासिब तरीके के सुझाव थे, उनमें से किन्हीं को माना भी जबकि इन दुकानदारों ने बड़ी मेहनत करके अपने सुझाव दिए थे और उन सबको मान लेना चाहिये था। इसमें सरचार्ज लगा दिया है जो कि मुनासिब नहीं है। जरूरी नहीं है कि अधिक बिक्री होने पर अधिक मुनाफा ही हो, अधिक बिक्री करने पर घाटा भी हो सकता है और मुनाफे पर आपने यों ही आय कर लगा रखा है। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देकर कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपने जो मुझे वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही समाजवादी बजट है और मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ध्रुव नारायण सिंह---]

बधाई देता हूं कि इस साल अक्तूबर के बाद बिजली के सम्बन्ध में जो उन्होंने व्यवस्था की है कि किसानों को दिन में बिजली दी है, उससे किसानों में काफी राहत रही। इसके साथ-साथ मैं अपने खाद्य मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सीमेन्ट को आधा फ्री कर दिया है। इससे आम जनता को काफी राहत मिली है।

अब मान्यवर, आपके द्वारा, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वान्चल की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जिसमें हमारे 15 जिले हैं और जिनकी आबादी भी 4 करोड़ है जबकि पूरे प्रदेश की आबादी 9 करोड़ है। इस बजट में मैं दखता हूं कि पूर्वान्चल की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। आज हमारे पूर्वान्चल में जो नदियों का जाल बिछा हुआ है उससे हमारे जिले बस्ती, गोरखपुर, देवरिया साल-ब-साल त्रस्त होते-होते चले जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, जैसे कोई आदमी स्वस्थ हो और एक दिन के कालरा से उसकी हालत खराब हो जाती है वह हालत आज हमारे बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों की है। कितनी ही मदद हमें मिलती है लेकिन जिस दिन बाढ़ आ जाती है उस दिन हमारी सारी योजनाओं को बरबाद कर देती है। अभी जो पिछली बाढ़ आयी थी हमारे यहां गोरखपुर में गोरखपुर मंडल की एक मीटिंग हुई थी। हमारे मुख्य मंत्री वहां उपस्थित थे। उस समय की विकराल बाढ़ को देख कर हमारी मांग पर उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि राप्ती जलकुंडी योजना अवश्य बननी चाहिये और इसके लिये प्रयत्न किया जायगा। आज जब 75-76 का बजट पेश है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बाढ़ के सम्बन्ध में कोई ऐसा ठोस कदम उठायें जिससे हमारे पूर्वी जिलों को राहत मिल सके। बाढ़ के समय करीब 2 लाख रुपया आप राहत के लिये देते हैं दियासलाई, बाजरा वगैरह के लिये। इसमें से आधी से अधिक रकम बरबाद हो जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसा ठोस कदम उठायें जिससे बाढ़ से राहत मिल सके।

इसके बाद, जो आपने कृषि के ऊपर ध्यान दिया है और बिजली और सिंचाई के ऊपर ध्यान दिया है इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग तो बढ़े हैं लेकिन जितना रूपया सरकार इसके ऊपर खर्च करती है उतना हम आगे नहीं बढ़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें, बड़ी बातें हो रही हैं।

श्री ध्रुव नारायण सिंह---

जब 75 प्रतिशत किसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके ऊपर हमारी सरकार का ध्यान कुछ कम है। आज जो उद्योग-धंधे हमारे देश में चल रहे हैं उन सब पर प्रतिबन्ध लगा कर आप उनका सामान नहीं लेते हैं लेकिन जो काश्तकार पैदा करता है उसे आप लेवी के रूप में लेते हैं। लेवी का रेट काश्तकारों की लागत के आधार पर होना चाहिये जिससे काश्तकार दिलचस्पी से काम करें और अपनी खेती की तरक्की करें।

इसके साथ ही प्राइमरी शिक्षा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे गोरखपुर जिले में करीब 10 लाख रुपया प्रति माह प्राइमरी अध्यापकों को दिया जाता है लेकिन आज प्राइमरी शिक्षा का जो हाल है वह किसी से छिपा नहीं है। प्राइमरी शिक्षा बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। न स्कूलों के लिये भवन हैं, न लड़कों के लिये टाट पट्टी, न साज सज्जा। अगर 8 अध्यापक स्कूल में हैं तो 2 आते हैं और 6 अनुपस्थित रहते हैं। हमारे नौजवान मंत्री जरा इस बात पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री ध्रुव नारायण सिंह--

मैं सामुदायिक मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप रुपया तो व्यय कर रहे हैं लेकिन उस रुपये का अपव्यय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ध्रुव नारायण सिंह--

एक विकास क्षेत्र में 20 हजार रुपये तनख्वाह के दिये जाते हैं,लेकिन उससे एक पाई का भी फायदा नहीं हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मदरे मोहतरिम, जो बजट पेश किया गया है वह किसान निवाज नहीं बल्कि बिड़ला निवाज बजट है।

"आरजू थी यह चमन जन्नत निशा हो जायेगा,
क्या खबर थी दौरे गुल दौरे खिजां हो जायेगा।"

मैं कई रोज से इस बजट पर बहस सुन रहा हूं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह बजट गरीबों के लिये, किसानों के लिये, अवाम के लिये कहां तक मुनासिब है और कहां तक सरमायादारों के लिये इससे सहूलियतें दी गयी हैं। बिजली की कमी बतायी गयी है मगर बजट में क्या कहा है--

"Additional 30 Megawatts of power will be made available to HINDALCO at the revised rates so that they may be able to increase their Production. Government of India have permitted HINDALCO to install an additional captive generation plant for production of 220 megawatte of power.

आज जब कि प्रदेश में बिजली की कमी है तो हिंडालको को बिजली देने, और वह भी साढ़े 10 पैसे फी यूनिट के हिसाब से देने की क्या जरूरत है। अगर किसानों को दी जाय तो उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। किसानों को यही बिजली देने से 9 करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है। मगर इस सरकार ने किसानों को सहूलियतें न देकर बिड़ला को सहूलियतें दी हैं।

44 लाख रुपये खर्च करके जो कानपुर-लखनऊ रोड पर बड्र्स-सेन्चुरी बनायी जा रही है वह फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्ची को रोक कर किसानों को राहत पहुंचायी जा सकती है।

हरिजनों को भी जो सहूलियतें मिलना चाहिये नहीं मिल रही हैं। मैं मुसलमान हूं इसीलिए बिला झिझक कहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के साथ भी इन्साफ हो, मेरी कौम के साथ बेइंसाफी न हो जो आज हो रही है। इस प्रदेश में पुलिस और पी0 ए0 सी0 के अन्दर से उनका सफाया किया जा रहा है, सेक्रेटेरिएट के अन्दर तथा दूसरी जगह भी शासन के अन्दर जो भी पोस्टे हैं, उन पर से मुसलमानों को हटाया जा रहा है। उनको कम किया जा

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क]

रहा है। क्या मुसलमान यहां के शहरी नहीं हैं? उनके साथ नाइन्साफी क्यों हो रही है? पी० ए० सी० और पुलिस के अन्दर मुसलमानों की नुमाइन्दगी तनासुब के हिसाब से क्यों नहीं है? मैं गुजारिश करूंगा कि पुलिस और पी० ए० सी० में भी इनकी भर्ती की जाय।....

श्री काशी नाथ मिश्र--

4-4 मुसलमान तो मंत्रि मंडल में हैं, कहां उनके साथ बेइन्साफी हो रही है?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

सदरे मोहतरम, मैं चाहता हूं कि यहां के मुसलमान भी जो इस प्रदेश के ही शहरी हैं उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिये।

दूसरी बात यह कि जहां तक उर्दू जबान का सवाल है, वह यहीं पर पली और बढ़ी है। यह कहना कि यह केवल मुसलमानों की जबान है, सही नहीं है बल्कि गलत है। यह हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, इसाई, सब की ही जबान है और इसी देश की जबान है, इसलिये इसको दूसरा दर्जा देना चाहिये।

(व्यवधान)

घबराहट की कोई बात नहीं है। आज प्रदेश के अन्दर जो भी बेइन्साफी हमारे साथ की जा रही है या हमारे किसी भाई के साथ की जा रही है, यहां कोई फिरकापरस्ती का सवाल नहीं है, कोई कम्युनल सवाल नहीं है, बल्कि देखना यह है कि इस प्रदेश के अन्दर जो कुछ भी हो रहा है वह सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कहां पर किस बात की कमी है और किस चीज की जरूरत है।

अब एक बात मैं अपने क्षेत्र सम्भल की कहता हूं जहां से कि मैं चुन कर आया हूं। यह बहुत पुरानी बस्ती है जो राजधानी भी रह चुकी है। आप वहां जाकर देखें कि वहां जो शफाखाना है उसकी क्या हालत है। मैं चाहता हूं कि वहां पर मर्दाने व जनाने शफाखाने का माकूल इन्तजाम किया जाय और उसे अपग्रेड किया जाय।

अब मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सम्भल से जाया तक और चौधरपुर मनोटा तक वाली रोड जो जेरे तामीर हैं उनको तो फौरन बनवाना ही चाहिये और जोया-इकोंदा, हाजीपुर-बाबूखेरा तक वाली रोड भी बनवा दी जाय।

(इस समय 4 बजकर 4 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, सम्भल में घेराव के सम्बन्ध में मैंने कहा था तो उस समय आपने कहा था कि बाद में आपको टाइम देंगे, इसलिये आप मुझे 5 मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं। बजट जब आयेगा तब। अभी तो जेनरल बजट है। बाद में आपको मौका मिलेगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

इसी समय बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

फिर बोलने का मौका दूंगा। अभी तो 24 दिन बजट के अनुदानों पर बहस होगी।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष जी, 75-76 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सरकार और वित्त मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं और

उन्होंने जो यह बजट प्रस्तुत किया है इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इसमें तीन विशेष मदें हैं। कृषि, सिंचाई तथा बिजली। हमारी सरकार बधाई की पात्र है लेकिन जहां तक पर्वतीय अंचल का प्रश्न है—ये तीन मदें जो कृषि, सिंचाई और बिजली की हैं, इन पर हम कितना भी पैसा खर्च करें, इनकी ओर कितना भी ध्यान दें, ये तीनों मदें ऐसी हैं जो पर्वतांचल में सफल नहीं हो सकती। सिंचाई का जहां तक प्रश्न है पिछला इतिहास बतलाता है कि जितनी भी सिंचाई की नहरें बनी हैं वे जमीन टूटने की वजह से सफल नहीं हो सकीं। इसलिये पहाड़ों पर सड़कों तथा पेयजल की योजना पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, पहाड़ों पर पहले एक नया आबाद ग्रान्ट ऐक्ट था काश्तकारों को जिससे वे एक नाली या दो नाली भूमि प्राप्त कर सकते थे और उसमें अपनी गोशाला या मकान बना सकते थे। उस नया आबाद ग्रान्ट ऐक्ट को अब समाप्त कर दिया गया है। मेरी मांग है कि नया आबाद ग्रान्ट वहां के काश्तकारों को फिर मिलना चाहिये जैसा कि पहले मिला करता था।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बेनाप भूमि को केसर हिन्द भूमि कह दिया गया और अंत में जो अन्तिम बन्दोबस्त हुआ उसमें के सर हिन्दी भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि कह दिया गया है। नया आबाद ग्रान्ट ऐक्ट को समाप्त कर दिया गया। इस भूमि पर प्रति वर्ष 60 रुपया प्रति नाली लीजें लगायी जाती हैं। मैदानी भागों के अलावा जहां कुछ पैदा नहीं हो सकता केवल गोशाला और छोटे-छोटे मकान केवल इस भूमि पर बन सकते हैं उस पर भी Govt Grant Act के तहत 60 रुपये के हिसाब से लीज लगा दी गयी। नया आबाद ग्रान्ट खत्म करके, पहाड़ी अंचल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेय चल का सवाल है, पेय जल के संबंध में, कुमायूं वाटर रूल्स को समाप्त किया जाना चाहिये। इस रूल के अनुसार चाहे किसी गांव का पानी बेकार जाय या वह पानी बह जाय दूसरे गांव वाला उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुमायूं वाटर रूल्स को खत्म किया जाय।

इसके अतिरिक्त सिंचाई और बिजली की ओर पर्याप्त मात्रा में इस बजट में ध्यान दिया गया है। मेरा निवेदन है कि अगर पहाड़ी अंचलों में इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सकता है तो सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाय। वहां पर जूनियर हाई स्कूल जो हैं और इसके साथ-साथ नये स्कूलों को भी खोलने की व्यवस्था की जाय। कृषि के स्थान पर हार्टीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कहता हूं कि इस बजट में कृषि, सिंचाई, बिजली के लिये विशेष ध्यान दिया गया है। मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैंने यह सामान्य बजट देखा और इस पर बहुत सी चर्चायें सुनीं। मान्यवर, इसमें देखें, चालू वर्ष में यह निश्चित रूप से स्वीकार किया गया है कि आर्थिक दबाव और तंगी का वर्ष यह रहा है। मान्यवर, आज आर्थिक दबाव इतना है कि इस महीने में सरकार के जितने भी बिल हैं और जितने भी सरकार के चेक हैं वह सब वापस हो रहे हैं। पूरे वर्ष के अन्दर इतना जबर्दस्त आर्थिक संकट रहा है कि किसी को, जिसने सरकार को कुछ माल दिया है, सप्लाई किया है पिछले 2—3 वर्षों से उसको पैसा नहीं मिला है और जितनी साख सरकार की अब गिरी है पहले कभी नहीं गिरी थी। इसके बाद भी इतना बड़ा बजट भाषण तैयार करके सदस्यों को और जनता को माननीय वित्त मंत्री जी यह बताना चाहते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश]

कि यह प्रगतिशील बजट है। अभी कल भी एक प्रश्न उठा था कि जितने कर्मचारी बन्धु हैं उनको होली के पहले पैसा दे दिया जाय। लेकिन कर्मचारियों को खाली जेब त्योहार गुजर करना पड़ेगा। आर्थिक संकट का यह हाल है और नग्न नृत्य हमारे सामने हो रहा है।

मान्यवर, सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वह निरन्तर गिरती चली जा रही है और इसके साथ-साथ जनता के ऊपर भी भार बढ़ता चला जा रहा है। इसका मुझे बड़ा खेद है कि इसके बावजूद अखबारों द्वारा, बयानों द्वारा यह बताने की कोशिश की गयी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई टैक्स जनता पर नहीं बढ़ाया है। जबकि हालत यह है कि पिछले 25 वर्षों में जितने बजट गुजरे हैं उनसे सबसे ज्यादा टैक्स इस बार लगाये गये हैं। इस प्रकार से बजट की तारीफ की गयी है यह कह कर कि हमने इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। मैं समझता हूं कि यह पद्धति कदापि अच्छी नहीं है।

इसके अलावा पुलिस जन सुरक्षा के लिये क्या कर रही है उसको देखना है। आज जगह-जगह जो जनता के साथ हो रहा है वह कभी नहीं हुआ होगा। राजधानी में सुजाता कांड हमारे सम्मुख है और जो पुलिस का कर्त्तव्य है उससे शासन की साख गिर रही है। बदनामी जितनी हो सकती है वह हो रही है। मीसा और डी0 आई0 आर0 के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है कि 1974 तक अधिकारियों ने मीसा के अन्तर्गत 82 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें से 18 मामलों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार ऐसे लोगों को और चाहे जिसको मीसा के अन्तर्गत पकड़ लिया जाता है और उसके बाद में राज्य सरकार सिफारिशों के आधार पर छोड़ देती है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि मीसा जैसे कानून के अन्तर्गत पकड़ना है तो पहले से आपको जानकारी होनी चाहिये और उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर हाथ डाले। आपके दल का या संबंधित व्यक्ति है तो उसको रिहा कर देते हैं और जिसकी पहुंच नहीं है वह जेल में सड़ता रहता है। बदायूं के श्री कृष्ण मुरारी जेल में बन्द पड़े हैं उनके मामले में महानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हो रहा है जबकि अनेकों लोग छोड़ दिये गये हैं। इसलिये मीसा और डी0 आई0 आर0 का इस तरह दुरुपयोग होगा तो इस प्रकार काम नहीं चलेगा।

मान्यवर, हमारे वित्त वित्त मंत्री जी ने इस बार बहुत बड़ा बिक्री कर अधिनियम में परिवर्तन करके एक बहुत बड़ी तोप दागी है और प्रदेश के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की है। यदि जनता के ऊपर सेल्स टैक्स की दरें कम नहीं होंगी तो कोई राहत नहीं मिलेगी। आपने 32 करोड़ रुपये के टैक्स बढ़ा दिये हैं जिसका कि जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा और वित्त मंत्री जी ने एनाउन्समेन्ट किया है कि राहत दिया है। यह टैक्सेशन बिक्री कर में सरचार्ज के द्वारा किया गया है। जो हाफ परसेन्ट का एक परसेन्ट और 7 परसेन्ट सिंगिल प्वाइन्ट का कर है वह कुल मिलाकर 8 परसेन्ट हो जायेगा। इसलिये अभी अवसर है कि उसको 5 परसेन्ट से ज्यादा न बढ़ाये।

श्री अध्यक्ष—

इस बहस में कांग्रेस दल के 32, भारतीय लोक दल के 15, जनसंघ के 11, कम्युनिस्ट के 3, संगठन कांग्रेस के 3, सोशिलिस्ट पार्टी के 2 और कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) के एक सदस्य को बोलने का मौका मिला है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, पिछले 5 दिनों से लगातार कुछ व्यवधानों के बाद इस सदन में वित्तीय वर्ष 1975-76 के बजट पर वाद-विवाद होता रहा। अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत बहुमूल्य सुझाव इस बजट के प्रसंग में दिये। अपने क्षेत्र के, जिलों के बारे में और जो हमारे प्रदेश के भिन्न-भिन्न जो वर्ग हैं उनके आर्थिक सुधार के बारे में आर्थिक सुझाव दिये इसलिये मैं उनका

आभारी हूं। अनेक सदस्यों ने जो एक उनका अपना कर्तव्य था विरोध करने का उस विरोध जन भावना के अनुसार इस बजट का सम्पूर्ण विरोध भी किया। मैं उनका भी आभारी हूं क्योंकि लार्ड चर्चिल के शब्दों में अपोजीशन का कर्त्तव्य तो यह होता है कि वे सही कामों का भी विरोध करें। श्रीमन्, मैं शुरू में ही क्षमा मांगता हूं कि मुझे 12 मार्च को इस प्रदेश के इतिहास में एक सबसे लंबा बजट भाषण देना पड़ा। मैं उसके लिए सदस्यों से क्षमा चाहता हूं कि उनको यहां बहुत देर तक रुकना पड़ा। लेकिन उसका एक कारण भी था। सदस्यों की यह भावना हमेशा रही कि प्रदेश का बजट भाषण, प्रदेश का बजट संक्षिप्त होते हुए, छोटे से छोटा होते हुए प्रदेश की अभिलाषाओं, प्रदेश की कठिनाइयों, प्रदेश के विभिन्न योजनाओं और उन पर किये जाने वाले आर्थिक खर्च, प्रदेश की आमदनी का पूरा-पूरा ब्योरा नहीं दे पाता इसलिए उस भावना की पूर्ति करने के प्रयास में इसको बहुछ छोटा करते-करते भी इससे छोटा भाषण न बन पड़ा, इसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्रीमन, अभी हमारे विद्वान सदस्य बरेली ने अन्त में एक बात कही। मैं अपने उत्तर को उसी से आरम्भ करना चाहता हूं। उन्होंने सेल्स टैक्स के बारे में बहुत धीमे ढंग से बधाई देने की चेष्टा की। लेकिन थोड़ा कहना ज्यादा समझना वाली बात है। मैं उस दिन उनको देख रहा था जबकि उनका हृदय बोल रहा था और उस दिन उनकी ताली रुकी नहीं और उन्होंने मेजें थपथपाई। इस बजट की श्रीमन्, विशेषता यह है कि इसके माध्यम से प्रदेश की सेल्स टैक्स प्रणाली को एक नया मोड़ दिया गया है। इसके लिये अनेक तार और चिट्ठियां आ रही हैं। श्रीमन्, मुझे यह छटां बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इतने तार और चिट्ठियां साधारण वर्ग की, छोटे व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की पहले कभी नहीं आयीं जितनी कि पिछले चार पांच दिनों में आ चुकी हैं।

एक सदस्य——

और किसानों की।

श्री नारायणदत्त तिवारी——

उनके प्रतिनिधि आप हैं ही। इसमें दुर्भाग्य यह रहा कि जो कुछ सेल्स टैक्स प्रणाली में परिवर्तन किया गया उसका ठीक प्रकार से प्रकाशन और स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। श्रीमन्, हमने पहली बार यह निर्णय लिया कि बहुसूत्री कर के स्थान पर एकसूत्री टैक्स होगा। हमने पहली बार निर्णय लिया कि 12 हजार रुपये की जो छोटे दुकानदार की टर्न न्यूनतम कर योग्य ओवर है उसको 25 हजार किया जाय। हमने यह भी निर्णय लिया कि टर्न ओवर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जिसकी कि सम्भावना बढ़ गयी थी और जिससे कि प्रदेश का व्यापारी वर्ग चिन्तित था। हमने इसमें खाद्यान्नों की कीमत घटाने के लिये और टर्न ओवर बढ़ाने के लिये प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के द्वारा हमने उन छोटे लोगों को मौका दिया है कि वह अपनी बात को निभायें जो कहा करते थे कि 25 हजार की टर्न ओवर कर दें तो ज्यादा सेल्स टैक्स मिलेगा। मैं माननीय सदस्यों का भी इसमें सहयोग चाहूंगा कि जब वह अपने क्षेत्रों में जायं, मंडियों में जायं तो वहां लोगों को समझावें क्योंकि व्यापारी लोग उनसे पूछेंगे। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि बजट भाषण की प्रतियों की बहुत मांग है। मेरे पास चिट्ठियां आ रही हैं कि अखबारों में नहीं छपा है, बजट भाषण भेज दीजिये। खास तौर से पश्चिमी जिलों से यह मांग आ रही है क्योंकि दिल्ली के अखबारों में वह पूरी तरह से नहीं छपा है। इससे स्पष्ट है कि लोग इसको देखना चाहते हैं और वह संतोष भी व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमन, तेल उद्योग चीनी उद्योग, के बाद हमारा सबसे बड़ा उद्योग है। लोग कहते थे कि उद्योग मर रहा है। इसके लिये हमने एक नया सिद्धान्त लागू किया है और वह यह कि जो तेल मिल मालिक पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत या उससे अधिक पैदा करेंगे उन्हें टर्न ओवर पर आधा परसेंट की छूट दी जायगी।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

खाद्यान्नों पर बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 1/2 प्रतिशत कर दी गई है। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमत डेढ़ प्रतिशत तो एकदम घट जानी चाहिये। उसका असर पड़ा है। इसी प्रकार से जूते के व्यापार से लेकर, किराना व्यापार, हलवाई, अर्थात् जितने भी छोटे दूकानदार थे, उन सबको व्यापक राहत दी गई है, इस बजट के द्वारा। एक तरह से इस मानें में चुनौती भी है कि अगर इससे टर्न-ओवर नहीं बढ़ा तो सारी मंशा बेकार जा सकती है क्योंकि इस सदन की यह मंशा रही है कि उत्पादन बढ़े, उद्योग बढ़े, जो कि इसका आधार है। यह सबसे बड़ी विशेषता है, इस बजट की, जिस पर कि सबसे कम चर्चा हुई।

इस अवसर में मैं अपना यह विनम्र कर्तव्य समझता हूं कि इसको हाई-लाइट करूं कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छोटा व्यापार, छोटा उद्योग, इस प्रदेश में मंडियों में काम करने वाले लोग और छोटे दूकानदार को, इस बजट के द्वारा राहत देने का कदम उठाया गया है। इस बजट के अन्दर किसानों को और जो दूसरे अपने धंधे खोलना चाहते हैं, बेरोजगार लोग, उनके लिये स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में छूट देकर, पम्पिंग सेट में छूट देकर, जो अपनी भूमि को बंधक रखना चाहते हैं, उनको सुविधा देकर पहले के मुकाबले में ज्यादा अवसर मिला है और पंजाब और हरियाणा की तरह यहां के किसान भी संस्थागत वित्त से सहायता प्राप्त कर सकते हैं जैसे बैंक है या दूसरे संसाधन हैं और इस तरह से अपनी आमदनी और पैदावार बढ़ा सकते हैं। यह बजट की एक नई दिशा है।

हमारे सम्मानित नेता संगठन दल के कल कह रहे थे कि इफ्लेशन का मुकाबला करना है और उन्होंने बाम्बे एकानामिस्ट की रिपोर्ट का जिक्र भी किया था अपने भाषण में। अगर बजट का एक गम्भीर अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिये, मंदी को रोकने केलिये, उत्पादन में मंदी न आने पाये, खेती के उत्पादन में कमी न हो, इसके लिये कदम उठाये ही गये हैं बल्कि दूसरी तरफ ऐसा न हो कि मुद्रा स्फीति बढ़ जाय, इसको रोकने के लिये भी कदम उठाये गये हैं। हमने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला है और बजट में उसको प्राथमिकता दी गई है।

हमारे नेता विरोधीदल ने बहुत से आंकड़े दिये, उन्होंने बताया कि हमारा कर्जा बहुत बढ़ गया है और यह भी कहा कि इस साल उत्तर प्रदेश का कर्जा 1670 करोड़ हो जायेगा। यह जो आंकड़े बताये गये है वह सही हैं और बजट का अध्ययन करके दिये गये हैं। लेकिन इसमें से 244 करोड़ रुपया प्राविडेंट फंड तथा लोकल बाडीज इत्यादि से सम्बन्धित है, हम उसे कर्जा नहीं मान सकते। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो वह रुपया उसको दिया जाता है और बीच-बीच में लोन भी उसमें से लेता है। इसलिये इस धनराशि को इसमें से घटाना होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

सबसे बड़ा घुटाला है इस प्राविडेंट फन्ड में। प्रदेश के लाखों मजदूरों के प्राविडेंट फण्ड का घुटाला इन मिल-मालिकों ने कर रखा है और सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। उनकी औरतें और बच्चे मर रहे हैं लेकिन उनको प्राविडेंट फंड का पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कही हापुड़ की और सुनी पापड़ की। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसको घटाना होगा और हमें यह भी देखना होगा कि इसके मुकाबले राज्य सरकार ने भी जो कर्जा दिया है वह करीब है 1163 करोड़ का। हमने अगर वह कर्ज लिया है तो उसके मुकाबले हमने 1163 करोड़ रुपये के कर्ज दिये भी हैं विभिन्न कारपोरेशन्स को, म्युनिसिपल बोर्ड्स को, जिला परिषदों इत्यादि को। इसके अलावा हमने 1306 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से

स्थायी एसेट्स बनाये हैं। वह करोड़ों रुपये की सम्पत्ति हमारे पास है। इस तरह 1670 करोड़ रुपये के मुकाबले में 2469 करोड़ रुपये की पूंजी हमारे पास है। इस तरह से जहां कर्ज हमारा बढ़ा है वहां एसेट्स भी बढ़े हैं, हमारी जमा पूंजी बढ़ी है, हमारे निर्माण कार्य बढ़े हैं।

आज संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जो बिना कर्ज के चल सके। अमेरिका सबसे अधिक धनाढ्य देश माना जाता है। आज उसका नेशनल डेट दुनिया की सारी सरकारों के नेशनल डेट को मिला कर भी अधिक है। पब्लिक डेट के बिना कोई सरकार चल नहीं सकती, दुनियां के हर देश व प्रदेश के बजट का यह मान्य सिद्धान्त है और इसे मानकर चलना है।

यह भी कहा गया कि हमने जो टैक्स लगाया उसे बतलाया नहीं है। मैंने अपने बजट भाषण में यह बात विनम्रतापूर्वक स्पष्ट लिखा है कि वित्तीय वर्ष 74–75 में हमने जो टैक्स लगाया उसके लिये सदन को धन्यवाद दिया और इस सदन ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिये जितना टैक्स स्वीकार किया उसका भार भी मैंने सदन को बतलाया। अब यह बजट अगले साल का है, पिछले साल का नहीं है और इस समय अगले साल के बजट पर बहस चल रही है और अगले वित्तीय वर्ष के लिये मैंने कहा है कि कोई कर हमने प्रस्तावित नहीं किये हैं। लिहाजा इस वर्ष जो टैक्स लगे उनका भार अगले वित्तीय वर्ष में जोड़ना कहां तक ठीक है (व्यवधान)। यह जितनी बात मैंने बताई उसको अखबारों में अलग-अलग ढंग से छापी गयी। यहां पर एक पत्र है, उत्तरदायी पत्र है तरुण भारत। उसने चौधरी साहब का भाषण छापा कि 319 करोड़ के नये कर इस वर्ष लगेंगे जब कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने चौधरी साहब को वह पत्र दिखलाया और कहा कि उन्होंने 91 करोड़ की बात कही थी। उन्होंने माना कि गलत छापा है और यह ठीक कर दिया जाय। मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि मैंने जो बजट भाषण में लिखा है इस बजट के विषय में वहीं ठीक है और मैं फिर कहता हूं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमने किसी कर के लगाने की प्रस्तावना नहीं की है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

चौधरी साहब ने इनडायरेक्ट टैक्सेज की चर्चा की।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इस बजट में कोई इनडायरेक्ट टैक्सेज भी नहीं हैं। जो प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनमें कोई इनडायरेक्ट टैक्सेज भी नहीं हैं। पिछले वर्ष के बजट में कुछ आंकड़े दिये गये थे जिनका जिक्र धर्मयुग में किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष का बजट भाषण भी मेरे पास है। माननीय सदस्यों के पास सुरक्षित न हो तो उसे उनको देने को तैयार हूं और वह देखेंगे कि पिछले वर्ष के बजट भाषण में पृष्ठ 6 पर वार्षिक योजना का उल्लेख किया गया था। तो मैंने उसका उल्लेख भी किया था। मैंने कहा था कि 255 करोड़ रुपये की हमारी योजना को योजना आयोग ने स्वीकृत दे दी है। उसी बजट भाषण में आगे चलकर मैंने कहा था " किन्तु इसमें वित्तीय क्षेत्र के कतिपय पहलुओं की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकताएं सम्मिलित नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार से परामर्श जारी है। हमें यह बताया गया है कि इस प्रयोजन के लिये केन्द्र से जो भी सहायता मिलेगी, हमें केवल बिजली की मशीनों एवं अन्य उपकरणों के भुगतान के लिये लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है।" तो इस सदन के सामने यह बात चल रही है जिसका संकेत मैंने अपने पिछले वर्ष के बजट भाषण में संकेत किया था। वर्ष के दौरान हमारा बजट कोई जड़ वस्तु नहीं है और न हो ही सकता है। उभड़ती हुई, डाइनामिक इकोनामी और ज्वलन्त परिवर्तनशील बजट प्रणाली में हमारा बजट जड़ वस्तु नहीं रह सकता है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जब आवश्यकतायें आती हैं तो उस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि बजट में प्राविधान नहीं है..... (श्री मधुकर दिघे के कुछ कहने पर) मुझे डिगाइये नहीं दिघे जी। ..... (श्री सत्य प्रकाश के खड़े होने पर)..... सत्य का प्रकाश कीजिये। तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यह बजट जड़ वस्तु नहीं है। वह परिवर्तनशील है। अगर प्रदेश को केन्द्र से रुपया मिलता है तो हम जरूर यह कोशिश करेंगे कि 411 करोड़ रुपये की योजना 500 करोड की हो जाय। इस सदन को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता अगर हम यह कहें कि 411 करोड़ की योजना 412 करोड की क्यों कर ली। हमें कोशिश करनी चाहिये कि हमें अधिक से अधिक रुपया प्राप्त हो सके, कहीं से मिले, वर्ल्ड बैंक से मिले।

इसी प्रक्रिया में योजनायें स्वीकार होती हैं और उसी मात्रा में जब अगले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तुत होंगे तो वे उसमें दिखाये जायेंगे। इसलिये वह बढ़ गया तो उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। ताकि कल यह न कहा जा सके कि तब तुमने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से हमारा बजट इस साल बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, काम बढ़ गये और वह बिजली के लिये बढ़े। कहा जाता है कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिये रुपया खर्च करने के लिये नहीं है। कर्ज बन्द है और श्रीमन्, मैं अर्ज करूंगा कि क्या जिनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिये, उनके लिये सदन ने रुपया नहीं दिया। दिया है शारदा सहायक योजना के लिये सदन ने रुपया दिया है। यह संसार की तीसरी सबसे बड़ी योजना है। यह नहर बन रही है। हजारों व्यक्ति उसमें लगे हुये हैं और सदन के निर्णय से महान कार्य उसमें हो रहा है। बजट में उसके लिये कुल 20 करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन अब दूसरी मद से रुपया निकालकर उसमें रुपया लगाया जा रहा है। इसी प्रकार ओबरा में एक निर्माण-मंदिर बन रहा है। समितियों के माननीय सदस्य वहां जाकर देखे होंगे कितना काम वहां पर हो रहा है। 102 करोड़ रुपया बजट से अतिरिक्त लगाकर उसमें काम हो रहा है ताकि बिजली ज्यादा मिले।

तो जो सदन चाहता है जो बुनियादी उत्पादन के पहलू हैं उसको पूरा करने के लिये खर्चे में कमी नहीं है, बल्कि वह बढ़ाई गई है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से बिलकुल सहमत हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने आदेश दिये थे कि 15 मार्च के बाद कन्टीन्जेन्ट इक्सपेन्डिचर को रोका जाय। मार्च के महीने में फिजूलखर्ची होती है और बिलों का पेमेन्ट हो जाता है। उन्होंने कहा इसका पालन नहीं हो रहा है। हमने यह किया है कि मार्च के महीने में ट्रेजरी को कंट्रोल किया है।

सदन के बहुत से विद्वान सदस्यों ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्टों का जिक्र किया, ठीक किया। आडिट रिपोर्ट जो हैं उन पर अधिक प्रभावकारी कार्यवाही होनी चाहिये। बहुत से विभागों में लैक्सिटी है। मिश्रा जी ने ठीक ही कहा हमारे सेल्स टैक्स विभाग में कमजोरियां हैं या दूसरे विभागों में कमजोरियां है। उनके खर्च को नियंत्रित करने के लिये कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सदन के निर्णयों के विरुद्ध जाते हैं। अगर मार्च के महीने में खर्च करने के लिए कंटिन्जेन्सी के नाम पर रुपया निकालने की कोशिश की जाती है तो उसको रोकना चाहिये। तो यह कोई आदर्श प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रक्रिया से अगर किन्हीं बिलों में रुकावट हुई तो उसका मतलब यह नहीं हुआ कि सरकार दिवालिया हो गई है। यह एक अधिकार है सरकार को जो सदन ने दिया है।

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने, एस्टीमेट कमेटी ने बीमियों दफा कहा है। तो अगर उस निर्णय को हम डिपेंडेंटली निर्वहन करने की कोशिश करते हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि किस पाप के भुक्त भोगी हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हमें और भी वित्तीय नियंत्रण करना चाहिये उसमें सदन को कहना चाहिये कि हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमारी लोक लेखा समिति की संस्तु-

तियां हैं, जो हमारी प्राक्कलन समिति की संस्तुतियां हैं उन संस्तुतियों के निर्वहन में अगर सदन हमें शक्ति नहीं देगा तो कौन देगा ? अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी आलोचना होगी, हमारे विभाग भी कहेंगे कि प्रस्ताव कुछ होते हैं और कार्यान्वयन कुछ होता है। तो मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा इसमें हम पार्टी का प्रश्न न लायें, यह राज्य के हित का प्रश्न है। तो उसमें प्रतिपक्ष के लोग हों या इस पक्ष के लोग हों सब का सहयोग चाहिये।

अब श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने यह भी कहा कि हमारे राजस्व का 462 करोड़ रुपया तनखाहों और भत्तों में चला जाता है और विकास के लिये पैसा कम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि 462 करोड़ रुपया टी0 ए0, डी0 ए0 और हाऊस रेन्ट तथा पे में चला जा रहा है। तो यह आंकड़े सही हैं। लेकिन मैंने हिसाब लगाया तो हम करें क्या। आज यह मांग आती है कि इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है, आज मांग आती है कि महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरफ तो यह मांग आये कि महंगाई भत्ता बढ़ायें, इनके साथ अन्याय हो रहा है, तनखाहें बढ़ाई जायें, महंगाई को प्राइस इन्डेक्स से मिलाया जाय और दूसरी तरफ यह बात आये कि महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं और विकास के कार्य बन्द कर रहे हैं। तो यह दोनों बातें साथ-साथ नहीं चलने वाली हैं। हमें दोनों का संतुलन करना है, बैलेंस करना है और वह हमने किया है। तो उसमें हमारा प्रतिशत लें तो 1967–68 में कुल रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का 34.55 था।

1967–68 में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जो खर्च होता था और आज जब तनख्वाह 277 करोड़ रुपया लग रहा है तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का 35.47 प्रतिशत है यानी कुल एक परसेन्ट के लगभग बढ़ा है। जो 1967 में थी उससे हमारी आमदनी भी बढ़ी है जहां रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बढ़ा तो वहां आमदनी भी बढ़ी है, हमारे रिसोर्सेज बढ़े। इसलिये पिछले 8, 9 सालों में एक परसेन्ट तनखाहें बढ़ी हैं। इसका मतलब हमारा यह नहीं है कि अनाप शनाप तनखाहें बढ़ा दें। लेकिन हमने नियंत्रण रखा है। रेवेन्यू रिसोर्सेज और एक्सपेंडीचर में इम्पलाईज की जो पे है उसका आपस में तालमेल रखा है।

श्रीमन् यह कहा गया कि हमारे प्रदेश में बहुत से कारपोरेशन बना दिये हैं यह गलत है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये तो माननीय नेता विरोधी दल ने मांग की कि इसे भंग कर दिया जाय। श्रीमन, यह कारपोरेशन या और जो इकाइयां हैं यह आज की नहीं है सारे संसार में इस प्रकार की अण्डरटेकिंग्स यूटिलिटी सर्विस के लिए पब्लिक सेक्टर में बनाई जाती रही हैं। इस संबंध में नेता विरोधी दल ने हवाला दिया है एक कमेटी का और अपनी बिलकुल विपरीत राय दी है। मैं उस सन्दर्भ में विश्व विख्यात, दुनियां के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, जिनको नोबुल पुरस्कार भी मिला है, उनकी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री गुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक "एशियन ड्रामो" में, जो एशिया के विकास के बारे में सबसे बड़ी पुस्तक है, जो लिखा है, उससे कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा है--

"Opinion in South Asia is equally unanimous that investments in public utilities on the other hand, should normally be made by the state. But again, it is only in the socialist countries that this line of policy is called socialist. The policy had been gradually established during the colonial period, As in most Western countries, such investments were initially undertaken by private interests, though often with government assistance and guarantees, but even before independence, government departments or quasi-private enterprises had come more and more to assume primary responsibility for investment in transport, power, irrigation, and communications."

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

अपने माता-पिता की भाषा में भी इसे बोल दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं अपने और आपके दोनों के माता-पिता की भाषा में बताए देता हूं। सारे दक्षिण एशिया में आज जो ट्रेन्ड है बजाए व्यक्तिगत हाथों में यह कार्य रहे, जिसमें बिजली के बारे में अलग से उल्लेख है, यह सब एक पब्लिक सेक्टर में पब्लिक यूटिलिटीज रहें। किन्तु हम यहां पर उसकेविपरीत यह कहें कि उसे भंग कर देंगे? यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आज हमने नहीं बनाया। सन् 48 में इसका ऐक्ट बनाया गया था। दूसरे राज्यों में लागू हो गया था, लेकिन हमारे यहां 10-15 साल पहले ही यह बनाया गया है।

अब बैंकों से कर्ज लेने के लिये तथा अन्य दूसरे फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से कर्ज लेने के लिये इन कारपोरेशनों का बनाना जरूरी है। हां इनका प्रबन्ध जरूरी है, यह अवश्य है कि सारे कारपोरेशन वगैरह का प्रबन्ध ठीक होना चाहिये। मेरा विचार तो यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है कारपोरेशन न बनने से। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं, यू0 पी0 ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 1972 में बनाया गया यहां। यह ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अगर यहां 60 या 62 में बन जाता तो रेलवे बोर्ड से हमें 3 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल का मिल गया होता बसें खरीदने के लिए, जो दूसरे राज्यों--महाराष्ट्र और गुजरात आदि ने बसों के लिये प्राप्त किया है बहुत पहले ही। आज गुजरात में जितनी बसें हैं, हम उतनी यू0 पी0 में नहीं जुटा पाए हैं। हम बजट पर सारी यूटिलिटीज का बोझ नहीं डाल सकते, यह कर देने वाली जनता के साथ अच्छा नहीं होगा। बैंक्स व अन्य फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशंस गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट को कर्ज नहीं देते हैं।

हम इंडस्ट्रियल डेवलपमन्ट या बैंक इंडस्ट्रियल फाइनेन्शियल कारपोरेशन से कर्ज नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत संस्थाएं हैं जिनसे हम गवर्नमेन्ट होने के कारण कोई कर्ज नहीं ले सकते हैं। एल0 आई0 सी0 से कभी ले लिया, यह दूसरी बात है। लेकिन बड़े-बड़े फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स या बैंक्स सरकार को कर्ज नहीं देते हैं। तो संसाधनों की दृष्टि से हमें कारपोरेशनों का बनाना बहुत आवश्यक था। आज इसीलिए महाराष्ट्र, तामिलनाडु और गुजरात आगे बढ़े हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि अभी वह थोड़ा अध्ययन करें कि महाराष्ट्र, तामिलनाडु और गुजरात कैसे आगे बढ़े हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आज वहां पर छोटे-छोटे उद्योगों की बड़ी चर्चा है, लेकिन हम अपने यहां भाषण ही देते रहे, एक दूसरों की आलोचना में ही समय लगाते रहे और मुख्य मंत्री बदलते रहे, लेकिन हमने बुनियादी ढांचा बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बुनियादी ढांचा नहीं बदला तो क्या होने वाला है? इसलिये आवश्यक है कि हम इस बुनियादी ढांचे को बदलें। पिछले वर्षों में हमने इस बात की चेष्टा की है कि हमारे ये कारपोरेशन मुनाफे में चलें। मुझे खुशी होती है कि पिछले वर्षों में कई कारपोरेशन्स ने मुनाफा दिया। उन्होंने काम को सफलतापूर्वक चलाया है। लेकिन एक कठिनाई भी है। हम चाहते हैं, सदन चाहता है कि वे पिछड़े इलाकों में काम करें। हम उनसे कहते हैं कि घाटे में काम करो। हम एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कहते हैं कि किसानों को बिजली देने के लिये चार फर्लांग तक मुफ्त बिजली लाइन ले जाओ, जैसे आदेश गये हैं, तुम्हें मुफत काम करना होगा। जब घाटा हो जाय तो कहें कि घाटे में चल रहे हो। आज हमें प्लाण्ड पालिसी के कार्यान्वयन के लिये कारपोरेशन्स को सब्सिडाइज करने की जरूरत है। इसलिये कारपोरेशन्स हमारी नीतियों की वजह से जनहित में कार्य करने के कारण घाटे में चलती हैं।

माननीय मुख्य मंत्री के निर्देशों में हमारे यहां, जैसा कि सेन्टर में ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज है ऐसा ही, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो बनाया गया है। ब्यूरो आफ पब्लिक

एन्टरप्राइजेज हमारे यहां की सारी कारपोरेशन्स की जो बुनियादी नीतियां हैं उन पर और उनके खर्चों पर नियन्त्रण करेगा। और जो सदन की पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी है वह भी पूरा नियन्त्रण करेगी इसका मुझे भरोसा है।

नेता विरोधी दल ने दो तीन बातें कही थीं, आजमगढ़ कंसालिडेशन आफिसर के बारे में कहा था, लखीमपुर खीरी के डाक्टर के बारे में कहा था, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में कहा था। आजमगढ़ का जहां तक सवाल है उनका हस्तांतरण हो गया था। अप्रैल, 1975 के अन्त तक खीरी में जाना था। केवल थोड़े समय के लिये रोके गये थे। अप्रैल के महीने में दूसरी जगह कार्य भार ग्रहण करना है। जहां तक लखीमपुर खीरी का प्रश्न है। कोई तरक्की नहीं हुई है। नेता विरोधी दल हैं नहीं। इसमें कोई प्रोमोशन नहीं किया गया है।

महानगर डिस्पेंसरी में रिजर्व ड्यूटी में इस समय हैं। प्रोमोशन पर नहीं आये हैं। जहां तक बोगस इंडस्ट्रियल यूनिट्स का सवाल है, 23 हजार 330 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से 12 हजार 898 कार्यरत नहीं पायी गयीं। इनमें 9 हजार 498 कैंसिल कर दी गयीं एक साल के अन्दर, एक साल के अन्दर उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक इस बारे में चेष्टा की है जब कि 1960 से काम चल रहा था, पिछले साल इसमें कार्यवाही हुई। (व्यवधान) 9 हजार 498 यूनिट्स जो बोगस थीं उनको कैंसिल किया गया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आगरा, कानपुर, गाजियाबाद में जो रेट कंट्रैक्ट के घपले चल रहे हैं दो तीन सौ यूनिटों में, उनके बारे में प्रकाश डालेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं निवेदन कर रहा था कि सदन को मालूम है कि बोगस यूनिटों को समाप्त करने का जो अभियान चलाया गया हमारे एक युवक आई0ए0एस0 आफिसर श्री रजतकुमार को किस प्रकार अपने शासन के आदेशों के अनुपालन करने में जीवन की हत्या का खतरा उठाना पड़ा। जो अभियान चलाया गया, रजतकुमार की हत्या की चेष्टा का उदाहरण है कि बोगस यूनिट्स के चलाने वाले कितना बौखला गये थे। इसके साथ-साथ जो दूसरे प्रश्न आये कि हमारे पिछड़े हुए जिलों के लिए क्या हो रहा है? श्रीमन्, 74-75 के बजट में जो 421 करोड़ रुपये में से 172 करोड़ रुपया विभाजित नहीं हो सकता है जैसे ओबरा में जो रुपया खर्च हो? रहा है वह खाली ओवरा के लिये नहीं हो रहा है बल्कि सारे प्रदेश के लिये खर्च हो रहा है। यह अविभाज्य खर्चा है। यह विभाजन योग्य खर्चा नहीं है। विभाजन योग्य खर्च 172 करोड़ रुपये हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये 70 करोड़ रुपया है, बुंदेलखंड के लिये 9 करोड़ 70 लाख रुपया, केन्द्रीय यू0 पी0 के जिलों के लिये 37 करोड़ रुपया है, पहाड़ी जिलों के लिये 21 करोड़ रूपया है। इस तरह से आप देखेंगें कि अनुपात वही है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

विकास के नाम पर प्रति व्यक्ति कितना देते हैं। पहाड़ों पर 105 रुपया प्रति व्यक्ति देते हैं और पूर्वी प्रदेश में 20 रुपये ही देते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य को सारे देश का नागरिक मानता हूं। मैं नहीं मानता कि वह अकेले आजमगढ़ की विभूति हैं। उनको सारे प्रदेश की विभूति मानता हूं।

श्री राम अधार--

लेकिन आप एक बात मानते हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं निवेदन कर रहा था कि इस बजट में 165 करोड़ की विभाज्य धनराशि में से पूर्वी प्रदेश के लिये 68 करो : 8 6 लाख रुपया है। बुन्देलखंड के लिये 10 करोड़ 10 लाख रुपया और केन्द्रीय यू0 पी0 के जिलों के लिये 32 करोड़ 17 लाख रुपये का विभाजन है। इसके अलावा जो केन्द्रीय यू0 पी0 के जिलों के लिये तथा पूर्वी प्रदेश के लिये 200 करोड़ रुपये की शारदा सहायक योजना अलग है। इसी तरह से 34 करोड़ की राजघाट की योजना अलग है। हम अपने प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के बारे में जो पटेल आयोग ने कहा था उससे आगे बढ़े हैं।

श्री राम अधार—

यह बताइये कि आमदनी बढ़ी है या घटी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारे आगे चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे पहा ी क्षेत्र हो, चाहे बुन्देलखंड हो और चाहे कोई भी क्षेत्र हो यह गंगा यमुना का क्षेत्र सारे देश का हृदय है। हमें मनसा, वाचा, कर्मणा से कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे राष्ट्र के उत्तरदायित्व के निर्वहन करने में कोई किसी भी प्रकार की कमी आये। मुझे विश्वास है कि प्रदेश को और देश को एक बनाये रखने के लिये इस की भौगोलिक अक्षुणता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से हमारे सम्मानित सदस्य चाहे शासक दल के हों या विरोधी दल के हों वह भी पूर्णतया इससे सहमत होगें।

श्रीमन्, कहना तो बहुत है और उत्तर देने के लिये भी बहुत है। ....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

समय नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रश्न और उत्तर के एक लगातार निर्झर के रूप में सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं तो फिर दोहराना चाहता हूं कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जो मैंने विश्वास और भावना व्यक्त की उसके परिपेक्ष में इस बजट को कसौटी में कसना है। मुझे विश्वास है कि हमारे इस सदन के सभी सदस्य निष्प्राय होकर, बिना किसी दलगत राय के होकर इस प्रदेश के भविष्य के लिये, इस प्रदेश के विकास के लिये इस बजट को कसौटी पर कसेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, गन्ना उद्योग के लिये बता दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जब केवल एक वर्ष का प्रयास है, जहां युगों का बोझ हमारे ऊपर है, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन का बोझ है, मुझे विश्वास है कि सद्भावनापूर्वक यह सदन इस बजट को स्वीकार करेगा और आने वाले समय में इस बजट को पास कर एक नया मोड़ पैदा करेगा।

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। मैं 15 मिनट का समय बढ़ाता हूं। माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, माननीय कैलाश सिंह, माननीय गिरिजा शंकर, माननीय रामरति विन्दु, माननीय शतरुद्ध प्रकाश, माननीय मुहम्मद असरार अहमद, माननीय सत्यप्रकाश मालवीय, माननीय शारदा प्रसाद रावत, माननीय शफीकुर्रहमान बर्क ने गोरखपुर में छात्रों द्वारा निकाले गये बिहार दिवस जलूस पर लाठी चार्ज एवं छात्रों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिया है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, माननीय उप नेता जी ने भी कहा था और उस दिन उधर से भी आवाज आई थी कि यह लइया, खीलें, चूड़ा पर जो 7 परसेंट का 3 परसेन्ट किया गया था। इसको हमने कर मुक्त करने का निश्चय किया है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष---

एक माननीय काशी नाथ मिश्र ने दिया है कि कोटवा नरायनपुर, जिला बलिया के किसानों के खलिहान को नक्सलपंथियों ने नष्ट कर दिया। इनका कहना है कि वहां के किसानों की सारी फसल नक्सलपंथियों ने नष्ट कर दिया। इसको मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मान्यवर, आपकी जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं..... (कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये)..... (व्यवधान)....

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, मैंने भी एक दिया था। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

आपका एक स्वीकार किया है। माननीय मोतीलाल का जो एक स्वीकार किया था उसका वह स्थगन के लिये है।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, वह तो पहले का है।

श्री अध्यक्ष---

दूसरा नहीं स्वीकार करूंगा। एक आपका स्वीकार हो चुका है।

श्री मोती लाल देहलवी---

वह तो बहुत पहले दिया था ?

श्री अध्यक्ष---

पहले दिया था, तो रोज-रोज नहीं होगा। उसको जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक दूसरा नहीं स्वीकार करेंगे।

## अनुदानों से सम्बन्धित साहित्य की मांग

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको ध्यान दिलाया था, 5 दिन हो गये बजट पर चर्चा के लिये, तमाम अनुदानों मे संबंधित लिटरेचर हमें अभी तक नहीं मिला। हमें लिटरेचर इसी जमाने में मिलना चाहिये। आज तक सिवाय एक वार्षिक रिपोर्ट के और कोई चीज नहीं मिली है। कल सिंचाई है और सिंचाई की कोई किताब नहीं मिली है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, तो कैसे काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुहम्मद असरार अहमद जो कह रहे हैं ठीक है। सिंचाई विभाग की मांग के सम्बन्ध में जो साहित्य हो, माननीय सिंचाई मंत्री देख लें।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

मान्यवर, यह बड़े महत्व का है।

श्री अध्यक्ष--

सिंचाई मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

श्री दया राम भास्कर का 25 जनवरी, 1975 से आजमगढ़ जिले में चल रहे हरिजनों के अनशन के सम्बन्ध में है। 17 मार्च को चर्चा हो गयी है। इसलिये वह स्वीकार नहीं है।

श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, आजमगढ़ में हरिजनों की हड़ताल का 56वां दिन चल रहा है, बड़ी गंभीर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष--

हम क्या करें?

श्री दया राम भास्कर---

उनकी मांग है कि जो 18 प्रतिशत का कोटा दिया गया है वह पूरा किया जाये वह पूरा नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर सकते हैं। अब एक फिर दुहराया गया है।

श्री दया राम भास्कर--

अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं सदन का त्याग करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इलाहाबाद के विभिन्न विकास खंडों में पीने के.....

श्री दया राम भास्कर---

मंत्री लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं। मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री दया राम भास्कर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष---

आप जा सकते हैं।

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय के खड़े होने पर) आपने दिया था कि विभिन्न विकास खंडों में पीने के पानी के अभाव से जनता में रोष। रोष उत्पन्न हो सकता है। इसको आपने (श्री अठई राम ने) ही कहा था तो कार्यवाही के लिये शासन को भेज दिया गया है।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)---

इसमें कार्यवाही क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष---

उसको मैंने कार्यवाही करने के लिये भेज दिया है। श्री सत्य प्रकाश ने बरेली स्थित विमको माचिस फैक्टरी के कर्मचारियों की मांग न स्वीकृत करने से कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में दिया है। इस पर अल्पसूचित प्रश्न करें यह उसी का विषय है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

बहुत ज्यादतियां हो रही हैं कर्मचारियों पर, बड़ा गम्भीर मामला है। इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप सरकार का वक्तव्य दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष---

अब एक माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया, गोरखपुर के मैनेजर के विरुद्ध शिकायत की है।

श्री सत्य प्रकाश---

मान्यवर, इसको कार्यवाही के लिये भिजवा दीजिए। हड़ताल चल रही है।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है यह कर देते हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, मैंने भी दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मेरा।

श्री अध्यक्ष---

अभी रुकें। श्री ओझा ने फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया, गोरखपुर के मैनेजर के विरुद्ध शिकायत की है। उनका कहना है कि जो हिसाब किताब है उसको नष्ट किया जा रहा है। तो यह तो पहले आया था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

स्टेटमेन्ट दिलवा दीजिए। 28 लाख का मामला है। पुलिस मिली हुई है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, देवरिया जिले सानुघाट-बरहज मार्ग पर 12 मील में जो आम के हरे बृक्ष काटे जा रहे हैं, उनके बारे में मैंने भी एक सूचना दी थी। कृपया उसे आप नियम 51 में ले लें।

श्री अध्यक्ष--

आज एक माननीय फिरंगी प्रसाद और दूसरी माननीय शतरुद्ध प्रकाश को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्रीमन्, वहां पर आम के हरे वृक्ष काटे जा रहे हैं यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजिए ? एक जौनपुर जिले में उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है ।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, एक हरिजनों के बारे में था (व्यवधान)

श्री मुहम्मद ममूद खां--

मान्यवर, हरिजन छात्रों के बारे में आप मंत्री जी का वक्तव्य ही दिला दें ।

(व्यवधान)

डाक्टर मल्लिखान सिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन में हैं, उनसे आप कह दें कि वे स्थिति बता दें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यदि माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह दें ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)--

अभी जो माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि छात्रवृत्ति हरिजनों के बच्चों को नहीं मिल रही है, ऐसा कोई आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं हुआ है । यह एक बड़ा भ्रम हो गया है कि शायद उन्हें मार्च के महीने में छात्रवृत्ति न दी जाय । पहला जो तरीका था उसमें प्रिन्सिपल्स और हेड मास्टरों के द्वारा यह छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसके बारे में बहुत शिकायतें मिलीं ।

अब हमने यह कर दिया है कि डाकखाने में खाते खोल कर हर छात्र को उसकी छात्रवृत्ति दी जाय । तो उसमें देर जरूर हुई है लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं है कि मार्च के महीने में न दिया जाय । उन्नाव के जिले में जिला हरिजन अधिकारी ने एक डिस्ट्रक्ट में यह कह दिया था कि मार्च में अगर डाकखाने में जमा भी हो जाय तो उसे डा करने की इजाजत न दी जाय । कल ही वायरलेस किया गया है कि वह दिया जाय और डायरेक्टर से कहा गया है कि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय कि उन्होंने अपनी ओर से कैसे आर्डर दे दिया ।

एक सदस्य--

फिर भी छात्रवृत्ति मार्च के आखिर में ही दी जायगी ।

## जौनपुर जिले के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध विभिन्न शिकायतें एवं उससे उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

कार्य स्थगन प्रस्ताव में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के बारे में एक शिकायती पत्र दिनांक 16-2-1975 मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जौनपुर, से प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायती पत्र की जांच उप पुलिस महा निरीक्षक, विशेष कार्याधिकारी को जौनपुर भेज कर कराई गयी । जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ।

जौनपुर के पुलिस अधीक्षक के बंगले के अहाते में एक तथाकथित पुराने मजार को पुलिस अधीक्षक के द्वारा खुदवा कर फिकवाने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 19-10-74 को थाना कोतवाली जौनपुर पर धारा 297 भा0 द0 वि0 का मुकदमा दर्ज कराया गया और विवेचना क्षेत्र निरीक्षक के सिपुर्द की गयी। इस बीच में दिनांक 12-11-74 को एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक के बंगले से उत्तरी तरफ की जमीन पर अपना स्वामित्व बताते हुए मुन्सिफ शहर, जौनपुर, के न्यायालय मेंदावा किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि बाद का निर्णय होने के समय तक यथा स्थिति (स्टेट्स को) कायम रखा जाय। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उप पुलिस महानिरीक्षक विशेष कार्याधकारी, ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जिस दिन की यह घटना बतलाई गयी है उस दिन पुलिस अधीक्षक के बंगले पर तैनात एक हेड कान्सटेबिल तथा 4 कान्सटेबिलों की गारद में दो कान्सटेबिल मुसलमान थे। इसके अतिरिक्त तथा कथित मजार के स्थान के बिलकुल समीप बंगले के आउट-हाउसेज हैं जिसमें पुलिस अधीक्षक, जौनपुर का मुसलमान ड्राइवर रहता है।

यह कहना सही नहीं है कि थाना शाहगंज के अन्तर्गत खेता-सराय की चौकी के सिपाहियों ने हरिजनों की आबादी की जमीन पर कब्जा करके उनकी दीवारों को गिरा कर हरिजनों की ईंट से जबरदस्ती पुलिस चौकी बनवा ली। उप पुलिस महानिरीक्षक विशेष कार्याधिकारी, ने विस्तृत जांच करके रिपोर्ट दी है कि उपरोक्त चौकी चकबंदी के बाद गांव की आबादी के लिये छोड़े गए क्षेत्र का अंग है और यह पुलिस चौकी न किसी हरिजन के निवास, झोपड़े या घर को उजाड़ कर बनाई गयी है और न ही यह हरिजन आबादी की जमीन पर स्थित है। यह चौकी 17 जुलाई, 1969 को बनायी गयी बतायी जाती है।

उपपुलिस महानिरीक्षक, विशेष कार्याधिकारी की जांच के दौरान यह प्रमाणित नहीं हुआ कि जिला पूर्ति विभाग के कार्यालय के किसी लिपिक के घर पर डकैती का माल छिपाने के जुर्म में पुलिस ने छापा मारा और लिपिक को गिरफ्तार किया। छापे में 86,000 रु0 नगद अथवा आभूषण बरामद होने अथवा 50,000 रु0 घूस लेकर उस लिपिक को छोड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। शहर कोतवाल को प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसी जिले के दूसरे प्रथम कोटि के थाने शाहगंज पर थानाध्यक्ष बना कर भेजा गया था।

दिनांक 12/13 नवम्बर, 1974 को थाना सुजानगेज के अन्तर्गत ग्राम भगवानगंज बाजार में डाका पड़ने के सम्बन्ध में धारा 395/397 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ और उसकी विवेचना की जा रही है। उपपुलिस महानिरीक्षक, विशेष कार्याधिकारी, ने विस्तृत जांच करके निष्कर्ष निकाला है कि थानाध्यक्ष तथा थाना सुजानगंज के अन्य पुलिस कर्मचारियों के इस अपराध में शामिल होने का आरोप असत्य है। इस डकैती में जिस व्यक्ति को गोली लगी थी वह अस्पताल में दाखिल होने के समय से मरने के समय तक पूर्ण चेतना में नहीं आये और इस कारण मरने के पूर्व उनका बयान (डाइंग डेक्लेरेशन) नहीं लिया जा सका। जिन पांच व्यक्तियों के मकान घटना में लूटे गए उन्होंने भी थानाध्यक्ष श्री बी0 के0 सिंह या किसी पुलिस कर्मचारी के अपराध में पहचाने जाने या होने का खंडन किया है। इस बात का भी विश्वसनीय साक्ष्य जांच में उपलब्ध हुआ है कि 12/13 नवम्बर, 1974 की रात्रि में थानाध्यक्ष, सुजानगंज, ने राजाबजार का गश्त चेकिंग किया था और वहीं पर रात में रुके भी थे। इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मरने वाले को बदलाकर थाने पर ले जाया गया अथवा उसने वहां पर अथवा अस्पताल में अभियुक्तों के नाम बताये। मृतक के भाई द्वारा धारा 396 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत किसी थाने में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं कराई गयी।

यह कहना सही नहीं है कि उपरोक्त आरोपों के संबंध में अधिकारियों तथा सरकार को दिये गए प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तथा कथित मजारवाले मामले के बारे में एक जांच अभिसूचना विभाग के द्वारा की गयी और जिला मजिस्ट्रेट ने अलग से हाकिम परगना द्वारा जांच कराई। इसी प्रकार भगवान गंज बाजार में नवम्बर, 1974 में हुई डकैती की घटना

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

से सम्बन्धित आरोपों की जांच उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गयी। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इन समस्त आरोपों की जांच शासन ने उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी द्वारा भी कराई है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-1-1975 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने थाना सुजानगंज के समक्ष एक सभा आयोजित की। यह सही नही है कि थानेदार ने थाने में गुण्डों को जमा करके सभा करने वालों पर ढेलेबाजी कराई। इस सभा के समय हाकिम परगना तथा पुलिस के क्षेत्राधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।

दिनांक 3-2-1975 को 130 कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल आरम्भ की। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मैजिस्टीरियल जांच का आश्वासन दिये जाने पर भी भूख हड़ताल जारी रखी गयी और फिर दिनांक 4-2-1975 को 12.30 बजे दोपहर भूख हड़ताल समाप्त कर दी गयी। दिनांक 4-2-75 को जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जौनपुर ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पांच सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया जिनमें से एक मांग पुलिस अधीक्षक, जौनपुर का अविलम्ब तबादला करके उनके विरुद्ध जांच कराये जाने तथा उन्हें पब्लिक डीलिंग संबंधी विभाग कभी न दिये जाने के बारे में थी। इसके अतिरिक्त दो मांगे थाना सुजानगंज की डकैती तथा खेता-सराय चौकी की जमीन के बारे में थीं जिनकी स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है। एक अन्य मांग के द्वारा पुलिस थानेदारों की गुण्डागर्दी, लूट और घूसखोरी पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। स्पष्टतया इस प्रकार की मांगों का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पांच दिन के अन्दर कोई निराकरण किया जाना सम्भव नहीं था।

दिनांक 15-2-75 को 64 व्यक्ति न्यायालय में व्यवधान उत्पन्न करने के अपराध में दंडित किये गए और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त 35 व्यक्ति धारा 144 जाब्ता फौजदारी के आदेश का उल्लंघन करने के लिये गिरफ्तार किये गए और उन्हें अगले दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके जेल भेजा गया। उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष कार्याधिकारी, की जांच के दौरान उपरोक्त व्यक्तियों को दमकल के ठंडे पानी में भिगोने आदि के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। दिनांक 17-2-1975 को न्यायालय के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के अपराध में 27 व्यक्तियों को दंडित किया गया और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें जेल भेजा गया। दिनांक 20-2-1975 को 7 अन्य व्यक्तियों को फिर इसी प्रकार दंडित करके जेल भेजा गया।

श्री काशीनाथ मिश्र ( जिला बलिया )--

मेरा श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप नियम 51 के अन्तर्गत कोई एक घटना के बारे में माननीय मंत्री जी से वक्तव्य देने के लिये कह सकते हैं, जो वक्तव्य अभी माननीय मंत्री जी दे रहे है उसमें आनेकों बातों की चर्चा हैं। पुलिस कप्तान के खिलाफ अनेकों प्रकार की शिकायतें हैं। वह विषय ध्यान आकर्षण का विषय नहीं बनाया जा सकता। किसी विषय पर कोई खास बात हो और वह लोक महत्व की हो, तो आप वक्तव्य के लिये स्वीकार कर सकते हैं। इसमें किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनेकों शिकायतें हैं, वह लोक महत्व का विषय नहीं बन सकतीं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह बहुत देर से उठाया, यह उसी वक्त उठाया जाना चाहिये था. . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र--

उस वक्त हल्ला गुल्ला होता रहता है।

एक सदस्य—

पूरा विषय तो आप पढ़ते हैं नहीं, तो पता कैसे चले क्या है।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला इतना लम्बा हो गया, इसलिये इतना पेचीदा हो गया है। ...

(व्यवधान)।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसमें तमाम घटनायें पढ़ दी गयीं हैं.....

श्री अध्यक्ष —

उनके वक्तव्य पर हम कैसे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह विषय नियम 51 के अन्तर्गत नहीं बनता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने इसे देर से उठाया है। जब मैं इसे स्वीकार कर रहा था उसी दिन इस प्रश्न को उठाना चाहिये था। माननीय भीखालाल जी ने इसे एक दिन उठाया, दो दिन उठाया, तीसरें दिन उठाया, बराबर उठाते रहे, तब शायद मैंने उसे स्वीकार किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कम्युनिस्ट पार्टी ने आन्दोलन किया है, इसलिये उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है। ऐसे मैं जानता हूं कि वहां का जो पुलिस कप्तान है वह बहुत ईमानदार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सजगता में माननीय काशीनाथ जी, आप चूक गये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक दिनांक 15-2-1975 के बाद 22-2-1975 तक कथित सत्याग्रहियों के साथ पुलिस द्वारा ज्यादती करने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि एक शिकायती पत्र दिनांक 26-2-1975 जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जौनपुर, द्वारा उप पुलिस महा निरीक्षक, विशेष कार्याधिकारी को प्रस्तुत किया गया था जिसमें 17-2-1975 को 27 व्यक्तियों को जेल दाखिल करने से पहले दमकल के ठंडे पानी से भिगोकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप की जांच की जा रही है। इस प्रार्थना पत्र मेंउसी दिन अर्थात् 17-2-1975 को अन्य 38 सत्याग्रहियों के एक जत्थे को परगनाधिकारी, जौनपुर की अदालत के अन्दर से गिरफ्तार करके पुलिस लाइन्स में दमकल के पानी से भिगोकर मारपीट करने आदि का अरोप भी लगाया गया था। इस संबंध में स्थिति यह है कि दिनांक 17-2-1975 को 30 व्यक्तियों को उनके द्वारा याचना करने और लिखित तहरीर देने पर कि उन्हें प्रति व्यक्ति 1.50 (एक रुपया पचास पैसे) देकर और सरकारी जमीन दिलवाने का प्रलोभन देकर, धारा 144 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा के बारे में बताये बिना लाया गया था, जाती मुचलके पर छोड़ा गया। उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी ने तथा कथित अत्याचार आदि की शिकायत नहीं की। दिनांक 17-2-1975 के बाद कथित सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा ज्यादती आदि किये जाने का कोई उल्लेख जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जौनपुर के शिकयती पत्र दिनांक 26-2-1975 में नहीं है।

यह कहना सही नहीं है कि उपरोक्त घटनाओं से जनता में क्षोभ, असंतोष अथवा रोष का वातावरण व्याप्त है।

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैंने भी एक नियम 51 का दिया था। उसका क्या हुआ? क्या मुझे भी इसके लिये वाक आउट करना पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष --

यह तो आपका दृष्टिकोण है। चार को मैंने स्वीकार किया। चारों इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

श्री राम नारायण पाठक--

पुलिस द्वारा गोली चलायी जाय और उससे किसी की मृत्यु हो जाय, तो क्या यह महत्व का प्रश्न नहीं है?

श्री अध्यक्ष--

जब आपका टर्न आवेगा और महत्व का होगा तो उसे क्रम में स्वीकार करूंगा।

श्री राम नारायण पाठक--

तो फिर मैं अपना 11 बजे ही बोलना शुरू कर दूं?

श्री अध्यक्ष--

कुछ संसदीय ढंग हैं। कहीं लाखों का खलिहान जला दिया गया और वहां के लोगों का नारकीय जीवन बना दिया गया तो आपके मुकाबले किसको तरजीह दी जाय? आप कल दीजिये, फिर दीजिये।

श्री राम नारायण पाठक--

फिर मैं कब उठाऊं इसे?

श्री अध्यक्ष--

आप पूछ लीजियेगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह डी0 आई0 जी0 की रिपोर्ट पर आधारित है। जैसा कि उन्होंने स्वयं तसलीम किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि डी0 आई0 जी0 साहब ने जेल के अन्दर जाकर उन सत्याग्रहियों का बयान लिया और जेल के उस रजिस्टर का भी मुआयना किया जिसमें चोटें आदि रेकार्डेड हैं?

श्री अध्यक्ष--

जेल के अन्दर पुलिस वाले कैसे जा सकते हैं? जेल के अन्दर तो पुलिस वाले फटकते नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जेल का वह रजिस्टर भी देखा गया जिसमें इन बन्दियों की चोटें आदि इन्दराज हैं और दमकल के पानी से उनको भिगोने आदि की बात है और जो जेल रजिस्टर में भी रेकार्डेड हैं। इस बयान को देने के पहले उस रजिस्टर को भी उन्होंने देखा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो रिपोर्ट है उसमें जेल रजिस्टर का उल्लेख तो नहीं है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अगर जांच में कोई चीज रह गयी हो, कृपा करके वे लिख कर दे देंगे तो उसकी जांच भी करा ली जायेगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इनको कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। मैं जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं।

"विशेष कार्याधिकारी को प्रस्तुत किया गया था जिसमें 17-2-75 को 27 व्यक्तियों को जेल दाखिल करने से पहले दमकल के ठंडे पानी से भिगो कर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप की जांच की जा रही है।"

वक्तव्य में साफ लिखा है, ध्यान से देखें। असल बात यह है कि डी0 आई0 जी0 गये थे उसी दिन उनको एप्लीकेशन दे दी गयी कि ऐसी-ऐसी घटना हुयी है। इसकी जांच करने के लिये कागज दिया गया था। यह बात तो वक्तव्य से ही स्पष्ट हो जाती है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, 2 बातें। एक तो सजा होने के बाद उन व्यक्तियों को पुलिस लाइन में क्यों लाया गया? दूसरे, उनको दमकल से भिगोया गया और मारने पीटने के बाद उनको जेल खाने में बंद किया गया तो क्या मंत्री महोदय इन बातों की जांच करायेंगे? क्योंकि मान्यवर, उनको चोटें लगीं थीं और उनके कपड़े भीगे थे। इसकी पूरी जानकारी कराकर क्या सदन को अवगत करायेंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र —

यह आप लिख कर दे दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आप कौन होते हैं, बोलने वाले?

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह तो ओम प्रकाश जी ने पहले कह दिया था।

(शोर)

श्री ऊदल—

मैं पूछता हूं कि ओम प्रकाश कौन होते हैं, बोलने वाले?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब भी कोई अनुचित काम होता है मेरा सदन में बोलने का अधिकार है।

(शोर)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है क्या यह सब नियम 51 में स्वीकार कर लेंगे?

(शोर)

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह सरकार के हर मामले में क्लेरीफिकेशन करते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न है, अगर कोई प्रश्न किया जाता है तो हर बात में काशीनाथ मिश्र कहते हैं कि कलेक्टर सही था, एस0 पी0 ने सही काम किया है। यह सब सवाल के माध्यम से पूछ सकते हैं, यें यह सब बात करते हैं। यह कोई तरीका है?

श्री अध्यक्ष—

आपको बार-बार नहीं खड़े होना चाहिये। आप भी (श्री मिश्र से) प्रश्न कर सकते हैं।

श्री ऊदल—

मैं दूसरा प्रश्न पूंछ रहा हूं। क्या मंत्री जी जांच करायेंगे ? सुजान गंज के थानाध्यक्ष क्या इस घटना में थे क्या इसकी जांच करायेंगे ? इसके अलावा जो विशेष अधिकारी गया था और जिसके घर में डकैती पड़ी थी और जो आदमी मारा गया क्या वह चेतावस्था में था, अस्पताल में वह होश में था और उसका बयान नहीं लिया गया, क्या इन बातों की जांच करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, अगर लिख कर देंगे तो अवश्य करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 10 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गया। )

**सत्यप्रिय सिंह,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
21 मार्च, 1975

## नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 625 पर)

### तालिका

सत्यनामी विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शुकुलपुर, जिला बाराबंकी के दो अध्यापकों की मांगें और उस पर की गई कार्यवाही

| क्रम सं0 | अध्यापक | मांग | कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री रघुवीर सिंह सिन्हा | (1) वर्ष 1959, 1969, 1972 तथा 1973 का वेतन पुनरीक्षीकरण नहीं किया गया है। | (1) अध्यापक का वेतन निर्धारण वर्ष 1959 में नहीं होना था क्योंकि यह विद्यालय उस समय हाईस्कूल के रूप में अनुदान सूची पर न था। वर्ष 1969, 1972 एवं 1973 में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण करके अध्यापक को देय धनराशि का भुगतान दिनांक 14-3-75 को कर दिया गया है। |
| | | (2) भविष्य निर्वाह निधि में सम्मिलित नहीं कराया गया। वेतन वृद्धियां एवं स्कूल महंगाई नहीं दी गई। | (2) से (4) भविष्य निधि में सम्मिलित कराने हेतु प्रबन्ध समिति एवं सम्बन्धित अध्यापक से प्रकरण अभी तक अप्राप्त है। प्राप्त होते अनुमति प्रदान कर दी जायगी। वेतन वृद्धियां और महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्वयं अपने कार्यालय के समस्त अभिलेख लाकर श्री सिन्हा को दिखलाये और वह उससे संतुष्ट हो गये। श्री सिन्हा ने दिनांक 12-3-75 को रात 9-30 बजे अपने स्वेच्छा से अनशन समाप्त कर दिया। |
| | | (3) उपरोक्त बातों का कारण भी आज तक स्पष्ट नहीं किया गया। | |
| | | (4) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। | |
| 2 | श्री राम धैर्य माधव | दिनांक 8-7-70 से 7-7-71 तक विज्ञान अध्यापक को देय अग्रिम वेतन बढ़ोत्तरी की अवशेष धन का भुगतान किया जाय। | इनके अवशेष वेतन के धन की स्वीकृति प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 6-3-75 को भुगतान कर दिया और अध्यापक ने उसी समय अपना अनशन समाप्त कर दिया। |

## नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 649 पर)

उन व्यक्तियों की सूची जिनको सन् 1960 के मूल सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत निकाली गई अतिरिक्त भूमि का आवंटन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्योहारा तहसील धामपुर जिला बिजनौर में किया गया

| पट्टेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान | पटटेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान |
|---|---|
| 1—श्री छिद्दा पुत्र हमामबख्श, स्योहारा | 21—श्री शिवचरन पुत्र बिद्धी, नि० संहसपुर |
| 2—श्री रमाशंकर पुत्र गंगा प्रसाद, निवासी फतेहपुर । | 22—श्री नत्थू पुत्र जुम्मन, नि0 अब्दुल्ला नगर, टांडा । |
| 3—श्री भगवाना पुत्र सरूपा, निवासी लाम्बाखेड़ा । | 23—श्री भगवन्त पुत्र जुम्मन ,, |
| 4—श्री चन्दू पुत्र रघु, नि0 महुपुरा | 24—श्री पुस्से पुत्र भोंगा ,, |
| 5—श्री मथुरा पुत्र सुमरा, निवासी शाहपुर बडवा । | 25—श्री बुद्ध सिंह पुत्र निर्मल, नि0 मझोला । |
| 6—श्री बिन्दा पुत्र सुमरा, निवासी महुपुरा । | 26—श्री परभा पुत्र कलवा, नि0 अब्दुल्ला पुर । |
| 7—श्री हरकेश पुत्र रग्घू, नि0 महुंपुरा | 27—श्री गुनवा पुत्र सोहन ,, |
| 8—श्री छोटे पुत्र बंशी, निवासी रामखेड़ा । | 28—श्री संताराम पुत्र बुद्धन, नि0 कासमपुर बिल्लोच । |
| 9—श्री सुमरा पुत्र लेखा, निवासी रामखेड़ा । | 29—श्री पूरन पुत्र माना, निवासी अलाउद्दीनपुर । |
| 10—श्री मादी पुत्र हरकिशन, निवासी रामखेड़ा । | 30—श्री विजयकुमार सिंह पुत्र बागेश्वरनाथ, नि0 रोशनपुर जागीर । |
| 11—श्री झबरे पुत्र नन्हें ,, | 31—श्री श्यामा पुत्र भुकिया, नि0 रोशनपुर जागीर । |
| 12—श्री खवेड़ू पुत्र भीकू, नि0 कासमाबाद | |
| 13—श्री लाखन पुत्र मोहन ,, | 32—श्री कालू पुत्र दडवा ,, |
| 14—श्री गंगू पुत्र हीरो ,, | 33—श्री शिवचरन पुत्र झुकिया ,, |
| 15—श्री ललू पुत्र भोगा, नि0 संहसपुर | 34—श्री शेरा पुत्र मुनवा ,, |
| 16—श्री आशाराम पुत्र रामदास ,, | 35—श्री बेदप्रकाश पुत्र कालू ,, |
| 17—श्री भगीरथलाल पुत्र शिवचरन ,, | 36—श्री कालू पुत्र फुल्लू ,, |
| 18—श्री बुधवा पुत्र कलवा ,, | 37—श्री विशना पुत्र भुकिया ,, |
| 19—श्री बलराम पुत्र शादी ,, | 38—श्री ललू पुत्र बुद्धू ,, |
| 20—श्री जीवन पुत्र मुखराम ,, | 39—श्री बुद्धन पुत्र सोमू ,, |

| पटटेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान | पट्टेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान |
|---|---|
| 40—श्री शोनाथ पुत्र मंगल, निवासी रोशनपुर जागीर । | 51—श्री पुत्तन पुत्र रामलुख, निवासी रोशनपुर, जागीर । |
| 41—श्री छिद्दन पुत्र झब्बन ,, | 52—श्री जुही पुत्र मुनवा ,, |
| 42—श्री ख्याली पुत्र सुमरा ,, | 53—श्री खेमसिंह पुत्र बुद्धवा ,, |
| 43—श्री घिस्सू पुत्र मंगल ,, | 54—श्री चन्द्रवीर पुत्र दाताराम ,, |
| 44—श्री ललू पुत्र न्यादर ,, | 55—श्री परवीन पुत्र न्यादर, नि0 छज्जूपुरा । |
| 45—श्री बंशी पुत्र सुक्खे ,, | 56—श्री मल्हू पुत्र फुस्सन ,, |
| 46—श्री बंशी पुत्र छिदवा ,, | 57—श्री निहाल पुत्र सुख्खन ,, |
| 47—श्री छुट्टन पुत्र सुरूवा ,, | 58—श्री केसरी पुत्र सिल्लू ,, |
| 48—श्री श्यामा पुत्र भूकिया ,, | 59—श्री कैलाश पुत्र पाचा, नि0 पुरैनी, दुर्वेशपुर । |
| 49—श्री रामसरथ पुत्र बुद्धन ,, | |
| 50—श्री सुख्खन पुत्र रामसुख ,, | |

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 109 वि0 सभा—(524)—1976—8401